

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

23 मार्च, 1982

खण्ड 1, अंक 7

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 23 मार्च, 1982

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(7)1
प्र न संख्या 2633 पर आधे घंटे की चर्चा की मांग	(7)8
तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(7)9
वाक आउट	(7)15
तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(7)15
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(7)19
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(7)28
ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर संक्षिप्त चर्चा	(7)72
ध्यानाकर्षण सूचना:—	
पंजाब तथा हरियाणा के मध्य रावी ब्यास के पानी के बंटवारी तथा प्राईम मिनिस्टर द्वारा दिये गये ऐवार्ड संबंधी ।	(7)75

वक्तव्य:—	
मुख्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण सूचना संबंधी	(7)79
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट	(7)83
वाक आउट	(7)89
बिलज (इन्ट्रोड्यूस्ड सदन की अनुमति से):—	
दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमेंडमेंट एंड वैलीडे 1न) बिल, 1982	(7)90
दि पंजाब एक्साईज (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1982	(7)90
दि ईस्ट पंजाब मौलेसिज (कंट्रोल) हरियाणा अमेंडमेंट बिल, 1982	(7)90
दि पंजाब पैसेंजर्ज एंड गुड्ज टैक्से 1न (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1982	(7)91
दि पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1982	(7)91
दि फरीदाबाद काम्पलैक्स (रैगुले 1न एंड डिवैल्पमेंट) अमेंडमेंट बिल, 1982	(7)92
वर्ष 1981-82 के सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स (दूसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान:—	(7)92

(i) राज्य के राजस्वों पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा।	
(ii) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।	
वाक आउट	(7)106
वर्ष 1981-82 के सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स (दूसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान (पुनराग्भ)	(7)106
नेमिंग आफ मैम्बर	(7)107
वर्ष 1981-82 के सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स (दूसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान (पुनराग्भ)	(7)108
नेम किए गए सदस्य को वापिस बुलाना	(7)119
वर्ष 1981-82 के सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स (दूसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान (पुनराग्भ)	(7)119
बैठक का समय बढ़ाना	(7)122
वर्ष 1981-82 के सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स (दूसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान (पुनराग्भ)	(7)122
वर्ष 1977-78 के लिए ऐक्ससैस डिमांडज ओवर ग्रांटस एंड ऐप्रोप्रिए िज पर चर्चा तथा मतदान	(7)125

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 23 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1 चण्डीगढ़ में प्रातः 9-30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Regional Buffalo Research Centre in the State

***2614. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Jails and Dairy Development be pleased to state:-

(a) whether any I.C.A.R. Regional Buffalo Research Centre has been allocated by the Indian Council of Agricultural Research to the Haryana State;

(b) if so, details of the said project together with the date of its allocation and the place selected for location of the project; and

(c) the steps, if any, taken by the State Government for the setting up of the said Centre?

जेल तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी विठ्ठल राम वर्मा):

(क) अभी नहीं।

(ख तथा ग) 'क' को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पूछने से पहले एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि पार्लियामेंटरी रिवायात को तोड़ने का इन मिनिस्टरों ने ठेका ले रखा है। इस क्वेश्चन का जवाब मंत्री महोदय ने हाउस में देना था लेकिन 22 मार्च के ट्रिब्यून के अन्दर इस बारे में खबर छपी है। इस सवाल का जवाब चौधरी भामदेव सिंह जी द्वारा प्रैस को दिया गया है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: अभी तो आप सप्लीमेंटरी पूछें।

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, जो सवाल हाउस की लिस्ट में हो उसका जवाब पहली प्रैस में नहीं दिया जा सकता। चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला की प्रैस कान्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई जिसमें उन्होंने इसके बारे में पहले ही जवाब दे दिया।

श्री अध्यक्ष: इसके बारे में आप लिख कर दे दें।

चौधरी राम लाल वधवा: बहुत अच्छा जी।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): यह तो सरकार की पालिसी की बात है जिसके बारे में हम हर समय कह सकते हैं।

चौधरी राम लाल वधवा: मुख्य मंत्री जी रूल 55 पढ़ लें फिर पता चल जाएगा कि पहले जवाब देना चाहिए था या प्रैस में पालिसी डिक्लेयर करनी थी। क्या यह ठीक है कि जो सैंटर मंजूर हुआ था उसके लिए ये जमीन एक्वायर नहीं कर सके जिसके परिणामस्वरूप यह इनता बड़ा सैंटर हरियाणा से चला गया ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उसके बारे में अब ये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: स्पीकर साहब, जो इन्होंने कहा है कि सैंटर मंजूर हुआ था लेकिन हम जमीन एक्वायर नहीं कर सके, यह सारी बात बिल्कुल गलत है। पता नहीं ये कहां से ऐसी खबरें ले आते हैं। जब चौधरी राम लाल वधवा और मैं एक ही सीट पर बैठा करते थे तो उस वक्त मैं समझता था कि भायद ये समझदार हैं लेकिन अब इनकी नौलेज का पता लग गया है। जिसकी नौलेज का आधार अखबारों की खबरों पर हो उसका क्या किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में अभी बता चल रही है।

श्री अध्यक्ष: मैं इस लिटल बिट आफ ह्यमूमर को एप्रिंशिएट करता हूँ जो हाउस में इन्ट्रोड्यूस की जा रही है

लेकिन मैं मैम्बर साहेबान से यह भ दखास्त करूंगा कि एक दूसरे न एसप नि कास्ट न करें, ह्यूमर बड़ा लिमिटेड होना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: क्या मंत्री जी बताएंगे कि इस सेंटर और प्रोजैक्ट को लेकर दो मंत्रियों में बड़ा भीत युद्ध चल रहा है ? एक मंत्री तो इस प्रोजैक्ट को करनाल ले जाना चाहते हैं और दूसरे मंत्री इसको जीन्द ले जाना चाहते हैं। इस कारण दोनों में यह भीत युद्ध चला है। उनको एक दूसरे से खतरा है। इसलिए 107/151 के तहत मुकद्दमा दर्ज होना चाहिए। (गोर)

चौधरी िव राम वर्मा: मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कोई भीत युद्ध नहीं चल रहा है और न ही किसी प्रकार का कोई झगड़ा है। केन्द्र से हमारे पास एक चिट्ठी आई थी कि आप तीन जगहों के नाम लिख कर भेजें। उनमें से टास्क फोर्स एक जगह को सेंटर बनाने के लिए सिलैक्ट करेगी। हमने तीन जगहों, करनाल, जीन्द और हिसार का नाम लिख कर भेज दिया है। वह टास्क फोर्स अभी हरियाणा में नहीं आई है। जब आएगी और जिस जगह को वह सिलैक्ट करेगी, वहां उसको आव यकताएं उपलब्ध करा दी जाएगी।

चौधरी हरिचन्द्र हुड्डा: मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि चूंकि भैंसों का सेंटर रोहतक है इसलिए इन्होंने रोहतक का नाम क्यों नहीं भेजा ? रोहतक की भैंसों की

प्रोडक्शन केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में ऊंची मानी गई है।

चौधरी शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, उन्होंने तीन स्थानों के नाम मांगे थे, हमने तीन स्थानों के नाम भेज दिए हैं।

श्री फतेह चन्द विज: मंत्री जी ने अभी फरमाया कि पहले जमीन देखी जाएगी फिर फैसला होगा कि सेंटर काहं बनना है। आम तौर पर यह होता है कि पहले प्रोजैक्ट स्टेट को मिल जाता है और जमीन बाद में देखी जाती है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि यह कैसा फैसला किया गया है ?

चौधरी शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने वह बात बताई है जो चल रही है क्योंकि सेंटर ने अभी टास्क फोर्स बनाई है लेकिन अभी तक प्रोजैक्ट की एलोकेशन नहीं की है। टास्क फोर्स जहां पर सेंटर खोलने के लिए कहेगी, वहां सारी आवश्यकताएं पूरी कर दी जाएंगी।

डा. मंगल सैन: अभी मंत्री महोदय ने बताया कि यहां से वहां दल बदल जाने के बाद वे बहुत अकलमन्द हो गए हैं और उनका कोई भीत युद्ध कृषि मंत्री से नहीं चल रहा है। (व्यवधान) क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर भीत युद्ध नहीं चल रहा है तो क्या उश्ण युद्ध चल रहा है जिसके कारण मामला खटाई में पड़ गया है ?

श्री अध्यक्ष: यह कोई सवाल नहीं है।

चौधरी िाव राम वर्मा: न हमारुा भीत युद्ध चल रहा है और न ही उश्ण युद्ध चल रहा है लेकिन जब से इनकी मिनिस्टरी छूटी है तब से इनका उश्ण युद्ध चल रहा है। (गोर)

डा. मंगल सैन:

चौधरी राम लाल वधवा:

चौधरी िाव राम वर्मा:

श्री अध्यक्ष: यह कुछ भी रिकार्ड न किया जाए।

राव बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जैसे ये तीन जगहों को सैंटर खोलने के लिए कंसिडर कर रहे हैं वैसे ही जिला महेन्द्रगढ़ के अन्दर रेवाड़ी भी एक ऐसी जगह है जो कंसिडर की जा सकती है। क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे ?

चौधरी िाव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि मुर्दा भैंस हरियाणा की एक ऐसी ब्रीड है जो सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। वैसे सारे हरियाणा में मुर्दा नसल मिलती है लेकिन जीन्द, हिसार और करनाल के ऐसे इलाके और भी अच्छी नसल बनाना चाहते हैं। यह तो केन्द्र सरकार के हाथ की बात है कि जहां भी सरकार सैंटर मन्जूर करेगी, वहां खोलेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर यह सैंटर मुर्दा के ट्रैक्ट में हो तो ज्यादा अच्छी बात है।

राव बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय मानते हैं कि वहां आलरेडी मुरा भैंसे हैं। वहां जो स्कीम चल रही है उसके तहत सारी मुरा भैंसे खरीदी गई हैं इसलिए मैंने रेवाड़ी को कंसिडर करने के लिए कहा है।

चौधरी िव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले बता दिया है कि हमसे तीन स्थानों के नाम मांगे थे इसलिए तीन जगहों के ही नाम लिखे जाने थे, फिर भी अगर केन्द्रीय सरकार कोई और जगह पसन्द करेगी तो यह सैंटर वहां खोल दिया जाएगा। हम तो यह चाहते हैं कि यह सैंटर हरियाणा में होना चाहिए। स्थान के बारे में हमारा किसी प्रकार का मतभेद नहीं है।

श्री अध्यक्ष: जब तक आप जगह का नाम नहीं बताएंगे तब तक सैंटर खुद तो फ़ैसला नहीं कर सकता।

चौधरी िव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, उन्हेंने तीन जगहों के नाम मांगे थे और हमने तीन ही नाम लिखने थे।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मंत्री जी कम से कम हाउस को यह वि वास दिला दें कि यह भैंसों का सैंटर हरियाणा प्रान्त में जरूर आएगा ?

श्री अध्यक्ष: वधवा साहब, यह सैंट्रल गवर्नमेंअ का विशय है इसलिए मंत्री जी यह वि वास कैसे दिला सकते हैं।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, उस सेंटर को हरियाणा में खोलने की बात चल रही है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस सेंटर को हरियाणा में खोलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भारते रखी हैं, क्या हरियाणा प्रान्त उन सभी भारते को पूरी करता है ?

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के बारे में मैंने पहले ही सारी बातें बता दी है। हरियाणा सरकार इस सेंटर को हरियाणा में खोलने के लिए पूरी प्रयत्न ली है और आगावादी है।

श्री अध्यक्ष: वधवा साहब ने पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस सेंटर के खोलने के लिए जो भारते रखी हैं क्या वे हरियाणा प्रान्त पूरी करता है या नहीं ?

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में अभी तक हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी भारते नहीं आई है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भारते आएगी तो सरकार उस भारते को जरूर पूरा करेगी। मैं हाउस की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि पिछली 20 तारीख को आई.सी.ए.आर. की मीटिंग हुई थी उसमें हरियाणा में भैंसों का सेंटर खोलने के बारे में एजेंडे में आईटम थी और उस मीटिंग में इस बारे में खुल कर बातें हुई हैं लेकिन पूरा विवास तो केन्द्रीय सरकार ही दिला सकती है। जो 20 तारीख को मीटिंग हुई है

उससे हमें पूरी आशा मिली है कि यह सेंटर हरियाणा प्रान्त में स्थापित होगा।

Polluted Water

***2633. Ch. Ude Singh Dalal:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state the steps, if any, taken or proposed to be taken to stop the flow of polluted water of the factories located at Bahadurgarh in District Rohtak into the canals and rivulets passing through that area?

Food and Supplies Minister (Sh. Lachhman Singh): Prosecution has been launched against eight Industrial Units for the violation of the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974 and other units are also being impressed to take effective steps for the proper treatment of the effluents discharged by them.

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, आपको भी याद होगा और मुख्य मंत्री जी को भी याद होगा कि इन्होंने पिछले सैठान में हाउस के अन्दर यह वायदा किया था कि जितनी भी फैक्ट्रियों का गंदा पानी नहरों और ड्रेनों में गिरता है उसका हम एक साल के अन्दर अन्दर इंतजाम कर देंगे। लेकिन बहादुरगढ़ की बदरी ड्रेन के अन्दर एक धागा फैक्ट्री का पानी गिरता है और उस पानी को मवेशी पीते हैं जिसके कारण बहुत से मवेशी बीमार हो गए हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार

ने उन फैक्ट्रियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया है जिनका पानी बदरो ड्रेन में गिरता है ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, दलाल साहब की यह बात हीक है कि मुख्य मंत्री जी ने पिछली सैशन में फैक्ट्रियों के गंदे पानी का इंतजाम करने के लिए वायदा किया था। स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने जो वायदा किया था उस पर बहुत तेजी के साथ काम हुआ है। हमने 8 फैक्ट्रियों को प्रोसीक्यूट किया हुआ है। और बहादुरगढ़ कोर्ट में उनका चालान कर रखा है। अब हरियाणा के अन्दर यदि कोई फैक्ट्री लगाएगा तो उसको पहले गंदे पानी का ट्रीटमेंट करने के लिए प्लांट लगाना जरूरी है। यदि कोई आदमी गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए प्लांट नहीं लगाएगा तो उसको फैक्ट्री लगाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। स्पीकर साहब, हरियाणा प्रान्त में लगभग 33000 इंडस्ट्रीज हैं, उनके गंदे पानी का एकदम इंतजाम करना बड़ा मुश्किल है। पिछले सैशन के बाद इस तरफ बहुत तेजी से काम हुआ है।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैंने मंत्री जी से यह पूछा है कि पानीपत में एक धागा फैक्ट्री है उसका पानी जी.टी. रोड के साथ साथ बदरो ड्रेन में गिरने लग रहा है और उस पानी को मवेशी पीते हैं, सारे मवेशी बीमार हो गए हैं। मंत्री जी उस पानी को बदरो ड्रेन में गिरना कब तक बंद करवा देंगे ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, उस फैक्ट्री का नाम एस.एस. थ्रैड मिल है। उसके खिलाफ हमने कोर्ट में चालान कर रखा है।

श्री देवी दास: स्पीकर साहब, पिछले सैक इन में मंत्री जी ने बताया था कि गंदे पानी को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बना दिया है इसलिए किसी भी फैक्ट्री का गंदा पानी भाहर के अन्दर नहीं जाएगा। उस बोर्ड को बने हुए लगभग 8 महीने हो गए हैं लेकिन वह फैक्ट्रियों के गंछे पानी पर कंट्रोल नहीं कर सका है। सोनीपत में एक फैक्ट्री है उसका गंदा पानी ड्रेन नम्बर 6 में गिरता है और वह ड्रेन सोनीपत भाहर के अन्दर से जाती है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उस फैक्ट्री के खिलाफ कोई मुकदमा बनाया है और कब तक उस पानी को रोकने का प्रबंध किया जाएगा ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, हमने सोनीपत में भी कुछ फैक्ट्रीज के खिलाफ मुकदमें बनाए हैं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, सोनीपत में हमने 12 फैक्ट्रियों के खिलाफ कोर्ट में चालान किया है और अब तक हम सारे हरियाणा में 1816 फैक्ट्रियों को नोटिस दे चुके हैं ताकि जिस फैक्ट्री का गंदा पानी फैक्ट्री से बाहर निकला है वह उसका इंतजाम करे वरना उसके खिलाफ भी कोर्ट में केस द दिया जाएगा।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, जी.टी. रोड के साथ साथ हरियाणा ब्रिवरीज है और वह गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। उसका गंदा पानी सोनीपत मुरथल रोड के साथ साथ संतरों में भर कर खड़ा रहता है। जब मुख्य मंत्री जी और दूसरे मंत्री वहां से गुजरते हैं तो इन्होंने भी उस पानी को देखा होगा। वहां पर मजदूर लोगों की आबाद है, वे उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। और उनके मवेशी भी उस पानी को पीते हैं। इसलिए उस पानी का इस्तेमाल करने से उन लोगों की और मवेशियों की सेहत पर बड़ा भारी असर पड़ा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उस पानी को उन संतरों से कब तक निकाल दिया जाएगा और उनमें जो गंदा पानी आ कर भर जाता है उसका कब तक इंतजाम कर देंगे ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, जो पब्लिक सैक्टर की फैक्ट्रीज हैं उनको भी प्रोसीक्यूट किया हुआ है। किसी को भी नहीं बख्शा गया है। हरियाणा ब्रिवरीज का भी कोर्ट में चालान कर दिया है। यह मामला हमारे हाथ में तो नहीं है। जब तक कोर्ट से कोई फैसला न हो जाए तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई फैक्ट्री गड़बड़ करती है तो हम उसको बंद करने के लिए कोर्ट में चालान पैदा कर सकते हैं। कोर्ट में उसके विरुद्ध एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस संबंध में बहुत सारे इन्डरट्रीयलिस्टएस के साथ हमारी मीटिंग भी हुई है और यह बात तय हुई है कि वाटर पोल्यूशन बंद होना चाहिए।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, हरियाणा ब्रिवरीज का भी कोर्ट में चालान पे 1 किया है। सारे हरियाणा में जिन जिन इन्डस्ट्रीज के हमने चालान पे 1 किए हैं, उसमें उसका सीरियल नम्बर 38 है। सोनीपत की इन्डरस्ट्रीज के जो चालान पे 1 किए गए हैं उसमें हरियाणा ब्रिवरीज का नम्बर 2 है।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि बहुत सारी फैक्ट्रियों के चालान कोर्ट में पे 1 किए गए हैं। बहादुरगढ़ के अन्दर भी गन्दा पानी ड्रेन में जा रहा है और उस पानी को प ु पीते हे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां जहां इस प्रकार का पानी डाला जा रहा है और उस पानी को पीने से प ु बीमार हुए हैं या मरे हैं, क्या उनको फैक्टरी की तरफ से कोई मुआवजा आदि दिया जाएगा ? केवल अदालत में चालान पे 1 करने से काम नहीं चलेगा, जो लोग प्रभावित होते हैं उनको मुआवजा दिया जाए। इस लिए यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा ऐसा कोई पेग उठाया जायेगा ?

लछमन सिंह: मैं चौधरी संत कंवर जी से अर्ज करना चाहता हूं कि ये यहां पर इस तरह की बातें तो कर रहे हैं लेकिन खुद एम.एल.ए. होस्टल के अन्दर यूरिन न करके होस्टल से बाहर करते हैं। ये तौलिया आदि का भी प्रयोग नहीं करते। (गोर)

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके विरुद्ध मैं सीरियसली प्रोटैस्ट करता हूँ।

Mr. Speaker: Actually this is a very serious matter and I would request the Minister not to answer like this.

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, इस मामले को स्टेट गवर्नमेंट ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। इसके साथ साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं, उनके एम.डी. या मालिक को भी कोर्ट में पेनाल्टी होना पड़ता है। एच.एम.टी. के जो एम.डी. हैं, वे भी पेनाल्टी भुगतने के लिए बंगलौर से आते हैं। (गोर) फरीदाबाद के अन्दर भी पीने के पानी की समस्या हो सकती है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस वाटर पोल्यूशन को रोका जाये। लेकिन सवाल यह है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे यह समस्या एकदम हल हो जाए।

चौधरी संत कंवर: आप को इसके लिए कोई एक्ट बना लेना चाहिए। कुछ न कुछ हल तो निकालना ही चाहिए। इस संबंध में कोई कायदा कानून आपको बनाना चाहिए।

श्री लहरी सिंह मेहरा: स्पीकर साहब हमारे हरियाणा में सबसे बड़ी नदी वैस्टर्न जमुना कैनल है। वहां पर मैं अपनी तीन चार मंत्रियों को लेकर भी गया हूँ। उस पानी को पीने से हर साल डंगर मरते हैं। उस पानी के अन्दर बच्चे स्नान करते हैं और पशु पानी पीते हैं। पिछली बार यह आवासन दिया गया था कि

इसका तीन महीने के अन्दर अन्दर इंतजाम कर दिया जायेगा। मैं यह बात फिर दोहरा रहा हूँ कि उस पानी को पीने से पशु बीमार होते हैं और जब बच्चे नहाते हैं तो उनके भारीर को भी नुकसान पहुंचता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, जो बात यह कह रहे हैं, ठीक है। इस संबंध में भारत सरकार और हरियाणा सरकार की पुरजोर कोशिश चल रही है। मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि हमने युनानगर के M/s Haryana Distillery, Industrial Area, M/s Ballarpur Industries Ltd., M/s Bharat Starch & Chemicals, M/s L.P. Metals, Jagadhri, M/s Parkash Aloha Udyog, M/s Saraswati Surgar Mills, M/s Adarsh Metals, Jagadhri and M/s Shadi Metal Works, Jagadhri के विरुद्ध कोर्ट के अन्दर केस दायर किए हुए हैं। इनके एम.डी. या मालिक को कोर्ट की तिथि पर हाजिर होना पड़ता है ?

श्री गुलजार सिंह: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया है कि बहादुरगढ़ और दूसरे स्थानों पर गंदे पानी की काफी समस्या है और इससे काफी नुकसान हो रहा है। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि यदि इस गन्दे पानी के अन्दर थोड़ा और साफ पानी मिला कर फसलों के लिए उपलब्ध करा दिया जाये तो क्या उचित नहीं रहेगा ? यदि ऐसा हो जायेगा तो किसानों को काफी हद तक खाद की भी आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह कोई सप्लीमेंटरी नहीं है।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने यह कह कर कि आदलत के अन्दर चालान पे । कर दिए जाते हैं और इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है, इन्होंने इस बात को बड़ा लाईटली लिया है। यदि कोर्ट के अन्दर इसी प्रकार से केस स्टे होते रहे तो यह मामला बढ़ता रहेगा और इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब तक कोई इन्डस्ट्री प्लांट न लगाए तो उसकी बिजली आदि कट कर दी जाये ताकि वह प्लांट को जल्दी से जल्दी लगवा ले। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि भविश्य में लगने वाली फैक्ट्रियां जब तक अपना ट्रीटमेंट प्लांट न लगायेंगी, उस समय तक उनको चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी ? इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि यमुना नगर के अन्दर जो बलारपुर फैक्टरी है, क्या उसने अपना ट्रीटमेंट प्लांट बना लिया है ? यदि नहीं बनाया है तो उसको बिजली आदि न दी जाये और इसी प्रकार के दूसरे तरीके से उनको उस समय तक रोका रखा जाये जब तक वे अपना ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा लेते।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, यह फैक्टरी बन कर तैयार हो गई है। उन्होंने करीब एक करोड़ रुपये की लागत से अपना ट्रीटमेंट प्लांट बना लिया है। यह प्लांट तकरीबन मुकम्मल है। भविश्य में जो कारखाने में जो कारखाने लगा करेंगे उनको

उस समय तक चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक वे अपना ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा लेंगे।

प्र न संख्या 2633 पर आधे घंटे की चर्चा की मांग

कुछ आवाजें: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हाफ एन आवर डिस्कशन होना चाहिए। यह बहुत जरूरी मसला है।

Mr. Speaker: Both sides of the House are very much exercised on this question of pollutions of environment. इन्वायरेन्मेंट पोल्यूशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है इसलिए इस पर क्वैशन आवर में बहस नहीं हो सकती और न ही समय है। I accept half an hour discussion on this question because this is a very important matter. (Interruptions) Please do not interrupt when I am speaking. यह बहुत ही जरूरी मसला है। हरियाणा गवर्नमेंट की इस मामले में दूसरे प्रान्तों की अपेक्ष स्थिति काफी अच्छी हैं लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिस पर हमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना चाहिए। इस काम में वृक्षों का लगायसा जाना काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है। इस संबंध में फोरेस्ट विभाग ने जो काम किया है, वह काबिले तारीफ है। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि कलेसर के अन्दर अन्धाधुन्ध वृक्ष काटे जा रहे हैं, यह गलत बात है। यदि वृक्ष इसी प्रकार से कटते रहेंगे तो इस समस्या पर हम काबू नहीं पा सकते। यह बहुत जरूरी मसला है इसलिए इस मामले पर मैं आधा घण्टे की बहस मन्जूर करता हूँ।

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: इस संबंध में अब आप कृपया कुछ न कहें क्योंकि इस पर हाफ एन आवर डिसकशन होगी।

श्री मूल चन्द जैन: मैं एक बात इसलिए कहना चाहता हूँ ताकि ये जवाब देने के लिए तैयार हो कर आएँ। इन्होंने कहा कि अदालत स्टे दे सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि जिन 8 केसिज में चालान पुट अप हुए हैं उनमें से किसी में इन्होंने स्टे न देने के लिए दरखास्त भी दी है या नहीं ?

श्री लछमन सिंह: बैलारपुर के केस में हमने दरखास्त दी थी। और भी केसिज में दरखास्तें दी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: दोनों तरफ से यह बात आ रही है कि केवल चालान करना सफ़ि एंट नहीं है। यह कोढ़ बात नहीं है कि चालान तो हो जाए लेकिन दूसरी तरफ जमींदारों के मवे गी मरते रहें और जमीन बरबाद होती रहे। इसके लिए तो कोई न कोई ऐक्ट एन एमीजिएटली लिया जाना चाहिए।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

S.Y.L. Water for Irrigation in Mewat Area

***2646. Swami Aditya Vesh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to provide water of S.Y.L. for Irrigation in Mewat Area; and

(b) if so, the details thereof together with the steps, if any, taken to implement the said proposal?

Irrigation & Power Minister (Sardar Tara Singh):

(a) Yes.

(b) The Ravi Beas wates, to be conducted through Sutlej Yamuna Link Canal, are planned to be utilized in Gurgaon Canal System which shall cover Mewat area as well. Alternative schemes are under consideration to utilise this water most efficiently.

स्वामी आदित्य वे I: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि वह नई योजना कब से भुरु करेंगे और कब तक पूरी कर दी जाएगी ? (विधन)

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मेवात इरीगे ान स्कीम बड़ी भारी योजना है क्योंकि तकरीबन 13-14 करोड़ रुपये इस पर खर्च होने हैं। यह स्कीम सरकार के अन्डर कंसिड्रे ान है। इस स्कीम के मुकम्मल होन के बाद मेवात को काफी पानी मिलेगा।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, सरकार ने कई बार आ वासन दिया है कि एस.वाई.एल. नहर बनने के बाद तकरीबन सभी किसानों को पानी मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: मेरे सामने तो कभी ऐसा आ वासन नहीं दिया गया कि तमाम जमीन को पानी मिलेगा।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, इस समय सोनीपत और रोहतक जिलों पर इन्होंने पानी का कट लगा रखा है क्योंकि पानी गुड़गांव को दिया जाता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह नहर बनने के बाद क्या उस कट का बहाल किया जाएगा ? (विधन)

चौधरी संत कंवर: अध्यक्ष महोदय, रोहतक और सोनीपत जिलों के पानी पर 40 प्रति सै कट लगा रखा है। (विधन)

सरदार तारा सिंह: वैसे तो स्पीकर साहब, इसके लिए सैपरेट क्वै चन दरकार है लेकिन फिर भी मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि इरीगे टन डिपार्टमेंट ने कोई कट सोनीपत और रोहतक जिलों के ऊपर नहीं लगा रखा है। (विधन) इसके अलावा मैं हाउस को यह भी बताना चाहता हूं कि रावी ब्यास का पानी आने के बाद सभी इलाकों को ज्यादा से ज्यादा पानी दिया जाएगा। इस वक्त स्पीकर साहब, रोहतक और सोनीपत जिलों में समस्या पानी को निकालने की है पानी लगाने की नहीं।

सरदार सुखदेव सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: कृपया मेन सवाल के ऊपर ही सप्लीमेंटरी पूछें।

सरदार सुखदेव सिंह: स्पीकर साहब, यह सवाल चूंकि एस.वाई.एल. के पानी की डिस्ट्रिब्यूशन का है, उसकी यूटिलाइजेशन का है इसलिए मैं मंत्री जी से यह आवासन चाहता हूँ कि क्या इस पानी में से सिरसा को भी कुछ पानी मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष: यह सैपरेट क्वेश्चन है।

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, वैसे तो यह सवाल मेवात क्षेत्र से संबंधित था लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर माननीय सदस्यों को बता दूँ कि रावी ब्यास का पानी सब इलाकों को मिलेगा।

चौधरी गया लाल: अध्यक्ष महोदय, मेवात के साथ ही होडल सब तहसील का एरिया लगता है। उससे कुछ दूरी पर आगरा कैनल निकलती है। बीच में कुछ एरिया ऐसा है जो सूखा है। उसके नीचे मीठा पानी भी नहीं जिससे ट्यूबवैल वहां लग सके। क्या मंत्री जी का उस एरिया को भी पानी देने का कोई विचार है ?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, यह सवाल मेवात क्षेत्र के बारे में था और मैं केवल इसी की तैयारी करके आया था। अगर आनरेबल मैम्बरज नूँह, फिरोजपुर झिरका और पुनहाना आदि क्षेत्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए ये सैपरेट क्वै चन करें। (विघ्न)

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, हमें भी मौका दें

श्री अध्यक्ष: यह मेवात के इलाके की बात है और चूंकि मेवात के इलाके को रिप्रजेंट करने वाले इधर बैठे हैं इसलिए मैंने इनको मौका दिया है।

डा. मंगल सैन: कुछ लोग इधर भी बैठे हैं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत हाउस को यह बताना चाहता हूँ कि रावी ब्यास का पानी हरियाणा प्रान्त के हर कोने में, जहां भी वह पानी पहुंच सकता है, दिया जाएगा। (सरकारी पक्ष से प्र संसा)

चौधरी हरस्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि मेवात एरिया को पानी देने के लिए जो कैनल बनेगी वह पक्की होगी या जवाहर लाल नेहरू कैनल की तरह होगी जिसकी सीपेज से बेरी का इलाका तबाह हो गया है ?

श्री अध्यक्ष: क्या उसमें ब्रिक लाइनिंग नहीं है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: ब्रिक लाइनिंग तो है लेकिन फिर भी सीपेज है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो कौनाल बनेगी। क्या उसमें पहले से ऐसे मैयर्ज लिए जाएंगे ताकि उससे सीपेज बहुत कम होने पाये ?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, यह बात हमारे ध्यान में है। यह बात दरुस्त है कि जवाहर लाल नेहरू कौनाल में कुछ सीपेज है। उसका नाम प्रबन्ध कर रहे हैं। इन्वैस्टिंग अंज पूरी हो रही है। आगे के लिए हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे लेकिन स्पीकर साहब मैं माननीय सदस्यों को यह बात बता देना चाहता हूँ कि जवाहर लाल नेहरू कौनाल इस सरकार के वक्त में नहीं बनी। यह काफी पुरानी बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष: यह बात ठीक है कि इस नहर को किसी पहली सरकार ने बनवाया था लेकिन अगर यह बात अब नोटिस में आई है कि यह बेरी के इलाके में सेम पैदा कर रही है। then I think it is incumbent upon this Government to find out where the fault lies and appropriate action to remove the same.

Sardar Tara Singh: Sir, the matter is under consideration. We have deputed the Chief Engineer, Superintending Engineer and Executive Engineers. Report has come. I am studying it. I assure you, Sir, that we will take serious action against the defaulters.

श्री मूल चन्द मंगला: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में फरमाया कि गुड़गांव कौनाल को ये पानी देंगे। इस

समय गुड़गांव कैनाल में पानी बहुत कम है। पिछले सै। न में यह विवास दिलाया गया था कि यू.पी. नहर से पानी आएगा और इस इलाके को दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या मंत्री जी इस बारे में कुछ करने की कृपा करेंगे ?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, हमारे पास जितना ज्यादा से ज्यादा पानी आएगा उसे हम आगे भेजने की कोशिश करेंगे। आजकल हम तीन आल्टरनेटिव टर्नज पर गुड़गांव में पानी उस नहर के जरिए भेज रहे हैं।

श्री दीप चन्द भाटिया: स्पीकर साहब, मैं आपका भुक्ति अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस सै। न में पहली बार सवाल पूछने के लिए समय दिया है। स्पीकर साहब, फरीदाबाद में पीने का पानी नहीं है और न ही जमीन में नीचे पानी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो स्कीम लागू की जा रही है, उसके द्वारा फरीदाबाद कम्पलैक्स और टाउनशिप को पानी देंगे ?

सरदार तारा सिंह: मेवात इलाके में इरीगे न की स्कीम के साथ साथ ड्रिफिंग वाटर देने की भी बहुत बड़ी यानी कई करोड़ की स्कीम है। उस स्कीम द्वारा वहां पर भी पानी मिलेगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: जैसा कि मुख्य मंत्री ने कहा है कि सारे हरियाणा में जहां भी एस.वाई.एल. का पानी पहुंच सकता है। वहां पर पानी दिया जायेगा। मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूँ

कि क्या जितना पानी एस.वाई.एल. का मिलेगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम कम्पलीट हो गया है या नहीं ? अगर कम्पलीट नहीं हुआ तो कब तक हो जायेगा ? जो इलाके रेतीले और टीले हैं जैसे भिवानी, महेन्द्रगढ़ आदि जहां पानी नहीं पहुंच सकता क्या वहां पर फब्बारों से पानी पहुंचाने का सिस्टम कम्पलीट हो गया है या नहीं ?

सरदार तारा सिंह: कुछ काम मुकम्मल हो गया है और कुछ काम अन्डर प्रोसैस है हमें 3.55 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना है। उसकी ठीक तरीके से सारे हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूटान होगी ?

श्री अध्यक्ष: श्री हीरा नन्द आर्य का सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जहां तक मेरी समझ में आया है, उसका मतलब यह है कि जो हमें 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा उसको यूटेलाइज करने का इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार है या नहीं।

चौधरी भजन लाल: अभी सारा प्रोसैस पूरा नहीं हुआ है। जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि बहुत सी स्कीमें चल रही है। जब तक रावी ब्यास के पानी के लिए पंजाब के नहर बन कर तैयार होगी उससे पहले पहले सारे हरियाणा प्रान्त में नहरें और माइनर्ज बना कर पानी डिस्ट्रीब्यूटान का प्रोसैस कम्पलीट कर देंगे।

Sugar Mill at Kaithal

***2661. Ch. Jagjit Singh Pohloo:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a sugar mill at Kaithal, if so, the time by which it is likely to be set up?

Co-operation Minister (Thakur Bir Singh): No.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि कैथल में भूगर मिल नहीं लगाया जा रहा है ? जब मैंने जनता पार्टी का साथ दिया था उस समय 3-12-79 को चौधरी भजन लाल, कैथल की पब्लिक मीटिंग में अनाउन्स करके आये थे कि कैथल में भूगर मिल लगायेंगे परन्तु आज तक वहां पर भूगर मिल नहीं लगा है। कैथल के एरिया के साथ यह दुभांत क्यों की जा रही है ?

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, भूगर मिल लगाने की मंजूरी देने का काम स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का सैन्ट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस देने का कुछ क्राइटेरिया मुकरर किया हुआ है कि किस एरिया को लाइसेंस दिया जाये और किस को न दिया जाये। जैसा कि आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि पंजाब गवर्नमेंट भी भूगर मिल का लाइसेंस लेने के लिए बड़ा जोर लगा रही है लेकिन में तीन मिलज के लाइसेंस मिले और पंजाब को एक का मिला। जहां तक कैथल एरियसा में मिल लगाने का सम्बन्ध है, वहां की

कोआप्रेटिव सोसाइटी सन् 1970 में रजिस्टर्ड हुई थी। सन् 1973 में इस सोसाइटी ने गवर्नमेंट आफ इंडिया से सीधा लाइसेंस लेने की भी कोशिश की लेकिन इनका केस रिजैक्ट हो गया। जब इन तीन मिलज को लाइसेंस मिला था। किसी केस को कंसिडर करने का भी केस उठाया था लेकिन वह कंसिडर नहीं हुआ। किसी केस को कंसिडर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। किसी एरिया में भूगर मिल एस्टेबलिश करने के लिए कम से कम साल भर में 18.5 लाख टन गन्ने का उत्पादन उस एरिया में होना चाहिए और दूसरे साल में 150 दिन तक मिल चलना चाहिए। लेकिन जो 15 मील का जोन मुकर्र है उसमें केवल साढ़े तीन लाख टन के करीब गन्ना पैदा होता है जबकि मिल को कम से कम 18.5 लाख टन गन्ना चाहिए। भूगर मिल कमी नर ने तो यहां तक भी कहा कि अगर वहां पर भूगर मिल नहीं लग सकता है तो सलफर मिल लगा दिया जाये लेकिन उसका भी क्राइटेरिया पूरा नहीं होता था। हमने कैथल में मिल लगाने के लिए फेवर की है लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने केस रिजैक्ट कर दिया है। हमने यह मामला दुबारा भी टेकअप किया है और एग्जामिन करा रहे हैं कि कैथल को लाइसेंस मिले। अगर कोई एरिया लाइसेंस मिलने के काबिल ही न हो तो क्या किया जा सकता है ?

कृषि मंत्री (श्री भामदेर सिंह): स्पीकर साहब, कैथल के सवाल के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा क्योंकि जो मंत्री जी ने बताया है कि वहां का केस रिजैक्ट हो गया है वह तो पुरानी

बात है। मुख्य मंत्री जी ने दुबारा लिखा है कि कैथल में भूगर मिल लगाने के केस को फ्रै 1 एगजामिन करो और इस एरिया में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दुबारा सर्वे कर रहा है। मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि इस एरिया में भूगर मिल लगाने के केस को दुबारा टेक अप किया जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अभी चौधरी भाम गेर सिंह जी ने कहा कि जो इन्फर्मेशन ठाकुर बीर सिंह जी ने दी है वह तो बहुत पुरानी है। अब इन्होंने नयी बात बतायी है। अब उससे भी नयी बात मुख्य मंत्री जी बतायेंगे। (गोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अभी चौधरी भाम गेर सिंह जी ने कहा कि जो इन्फर्मेशन ठाकुर बीर सिंह जी ने दी है वह तो बहुत पुरानी है। अब इन्होंने नयी बात बतायी है। अब उससे भी नयी बात मुख्य मंत्री जी बतायेंगे। (गोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय जहां तक कैथल में भूगर मिल लगाने का सवाल है, उसके बारे में मिनिस्टर ने भी बताया है और आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार लाइसेंस देती है, लाइसेंस लेने के लिए हमने कोशिश की परन्तु लाइसेंस मिला नहीं। जहां तक पोहलू साहब की बात का ताल्लूक है कि मैंने कैथल में मिल लगाने की अनाउन्समेंट की थी, मैंने उस टाईम पर यह कहा था कि हम यहां मिल लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने भारत सरकार को रिक्मेंड करके भेजा था

लेकिन भारत सरकार ने कंसिडर नहीं किया। मैंने कैथल में यह भी कहा था कि अगर यहां पर मिल लगाने का स्कोप है तो हम भारत सरकार को अब य रिक्मेंड करके भेजेंगे। हरियाणा सरकार लाइसेंस नहीं देती, लाइसेंस तो भारत सरकार देती है। अगर भारत सरकार लाइसेंस दे दे तो हम वहां पर भूगर मिल लगायेंगे।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू:

श्री रघुनाथ गोयल:

Mr. Speaker: Nothing will be recorded.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर सहाब, कैथल में भूगर मिल नहीं लगायी जा रही है, इसलिए मैं एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करता हूँ।

(At this state Ch. Jagjit Singh Pholu, a member from teh opposition, staged a walk out).

तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुररारम्भ)

Posting of Additional Doctors in Civil Hospital, Jhajjar

***2654. Capt. Mange Ram:** Will the Minister for Health be pleased to state:-

(a) the number of male and female doctors presently posted in Civil Hospital, Jhajjar, together with the population

of the are to which the doctors of the said Hospital have to cater;

(b) whether there is any proposal under the consideration of the Government to post more doctors in the Civil Hospital, Jhajjar; and

(c) it reply to part (b) above be in teh affirmative the numbe of additional doctors proposed to be posted and the time by which they are likely to be posted?

Health Minister (Ch. Gajraj Bahadur Nagar):

(a) one male and one female Medical Officers are presently posted in Civil Hospital, Jhajjar. These two doctors are meant to cater to a population of Jhajjar town which in 24246.

(b) Yes, when the hospital will be upgraded to 50 bedded Hospital.

(c) Three including one Senior Medical Officer. For upgrading this Hospital to 50 beded, additional construction in the existing buildings is necessary. It is difficult to indicate at this stage the time by which the additional construction will be completed and additional doctor posted. Additional construction will be undertaken subject to availability of funds.

The other day I had stated that we have decided to take up this project in the next year commencing from 1st April.

Dhani Jatan Road

***2673. Sh. Bhagi Ram:** Will the Minister for Public Works (B&R) be pleased to state the total expenditure incurred on the construction of Dhani Jatan road in Ellenabad in District Sirsa togetherwith the date on which the construction work was started and the stage there of at present?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह): ढाणी जाटां तक सड़क के निर्माण पर 2.4 लाख रूपये व्यय किये गये। यह सड़क ऐलनाबाद—नोहर कनीना सड़का का एक भाग है। ऐलनाबाद नोहर कनीना सड़क पर अर्थ वर्क संयुक्त पंजाब में 1962 में भुरू किया गया था और 1966 में पूर्ण हो गया था। इस सड़क को पकका करने का कार्य 1971—72 में हाथ में लिया गया और ढाणी जाटां तक कार्य मार्च 1974 में पूर्ण हो गया था।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि यह सड़क ऐलनाबाद नोहर कनीना का एक भाग है। (व्यवधान व भाोर) अध्यक्ष महोदय, ढाणी जाटां में अब तक भी सड़क नहीं है। इन्होंने यह ही कह दिया है कि वहां पर सड़क पूर्ण हो चुकी है। यह जो ऐलनाबाद—नोहर कनीना सड़क है यह ढाणी जाटां जिसको कि नपुरा भी कहते हैं, से होकर जाती है। यह सड़क ढाणी खेड़ा और ढाणी जाटां के अन्दर तक नहीं जाती क्योंकि यह गांव आग रह जाते हैं। वहां पर अब तक भी सड़क नहीं है। 1966 में सबसे पहले यह सड़क मंजूर हुई थी, उसके बाद चौधरी भजन लाल जी तो पता नहीं कितनी बार वहां

पर सड़क मंजूर कर चुके है। मंत्री महोदय भी जितनी बार वहां पर जाते हैं तो सड़क मंजूर कर देते हैं लेकिन सड़क अब तक भी नहीं बनी है। और ये तमाम बोल रहे हैं।

कंवर राम पाल सिंह: स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो भाब्द का इस्तेमाल किया है, यह अनपार्लियामेंट्री है। इसको एक्सपंज करवाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: भागी राम जी, ऐसा कहना कि मंत्री महोदय झूठ बोल रहे है, आपके लिये भाभा नहीं देता। इस बारे में तो मैं यह कहूंगा कि जो सवाल आप द्वारा पूछा गया है वह क्लीयर और कम्पलीट नहीं है। इन्कम्पलीट सवाल आपने पूछा है। यदि मंत्री महोदय उस सवाल को अच्छी तरह नहीं समझ सकेंगे तो ठीक जवाब कैसे आयेगा ? अगर मंत्री जी ने कोई गलत बात कही हो तो मैं मान सकता हूं, लेकिन यह कहना कि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, यह आपके लिए भाभाजनक नहीं है। क्वै चन आवर का मतलब यह होता है कि गवर्नमेंट से किसी सवाल के बारे में करैक्ट इन्फर्मे ान ली जाये। अगर हम इन्फर्मे ान लेने की बजाए किसी मंत्री को यह कहें कि वह झूठ बोल रहे हैं, तो यह बात ठीक नहीं है। जब तक आपका सवाल क्लीयर नहीं होगा, तो वह जवाब कैसे देंगे। (व्यवधान व भाोर) मेरी भी समझ में नहीं आया है कि आप किसी एप्रोच रोड की बात कर रहे हैं या किसी दूसरी सड़क के बारे में पूछ रहे हैं। (व्यवधान व भाोर) आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो तो मिनिस्टर साहब का जवाब कैसे सुनोगे ?

श्री भागी राम: मेरा सवाल पूछने का असली मकसद तो यही था कि वहां पर सड़ि बननी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: क्वै चन पूछने का असली मकसद तो आपको पता था। वह आपकी क्लीयर करना चाहिए था।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, यह जो ढाणी खेड़ा और ढाणी जाटां का माजरा है, इस बारे में मेरा कहना यह है कि जो सडक नोहर को जाती है वह कि इनपुरा के पास कसे होकर जाती है। इन्होंने इस जवाब में यह लिख दिया है कि ढाणी जाटां तक सडक का काम पूरा कर दिया गया है और सडक से यह गांव मिलाया गया है। क्योंकि बार बार मुख्य मंत्री जी यह अनाउन्समेंट करते रहते हैं कि हमारे हरियाणा में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो सडक से न जुडा हुआ हो। मैं इसलिए यह कहता हूं कि ढाणी जाटां में कोई सडक नहीं बनी हुई है।

कंवर राम पाल सिंह: स्पीकर साहब, सवाल ही क्लीयर नहीं है। जब तक मैम्बर साहब की इन्टैं इन हमें क्लीयर न हो, हमें कैसे पता लगा सकता है कि उनका पूछन का मकसद क्या है। जैसे इन्होंने यह कहा है कि मुख्य मंत्री जी बार बार यह अनाउन्समेंट करते हैं कि हमारे हरियाणा में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो सडक से न जुडा हुआ हो, इस बारे में मैं अब भी यह कहता हूं कि हमने हर गांव को सडक से मिला दिया है। हम उस स्टैंड पर अब भी कायम है। सवाल यह है कि ढाणी जाटां, जो

ऐलनाबाद में है, में सडक बन गयी है या नहीं। इस बारे में मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि एक बार किसी टाईम पर कोई भयंकर बीमारी वहां पर आयी थी जिस वजह से लोग वहां से उठकर तीन जगहों पर बस गये थे। एक ढाणी जाटां, इलीयास, कि नपुरा दूसरी ढाणी हरचन्दका बास और तीसरी है ढाणी भोरां। स्पीकर साहब, इन तीनों में से सबसे ज्यादा आबादी 735 ढाणी जाटां में है। उस गांव को हमने सडक से मिला दिया है। दूसरा गांव ढाणी हरचन्दका बास है, जहां पर उससे थोड़ी सी कम आबादी रिफ्ट हुई थी। उसको भी हमने मिला दिया। तीसरा जो ढाणी भोरां है, उसकी आबादी 600 के करीब है। इतनी लम्बी चौड़ी सडक जिसकी यह मांग कर रहे हैं, यह गवर्नमेंट की प्रोपोजल में नहीं है। इसलिए वहां पर सडक नहीं बनायी जा रही है। (व्यवधान व भाोर)

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, उस ढाणी भोरां में इन्होंने परवेज सैंटर भी खोला हुआ है। (व्यवधान व भाोर) ढाणी भोरां में इन्होंने पवरेज सैंटर भी मंजूर किया हुआ है। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है कि कितनी पापुले उन वाले विलेजिज को सडक से जोड़ा जायेगा।

कंवर राम पाल सिंह: स्पीकर साहब सरकार ने यह फैसला किया था कि जो 1971 की सैन्सस के मुताबिक डायरैक्टरी

विलेजिज हैं और जिसकी आबादी अढ़ाई सौ से डेढ़ सौ तक है, उन सब गांवों को सड़क से मिला दिया जायेगा। यह काम तकरीबन तकरीबन पूरा हो चुका है। कुछ एरियाज जैसे साहबी नदी का खादर का एरिया है, या कुछ कालका का हिल्ली एरिया है, वहां पर अभी कुछ सड़कें बनानी बकायसा है वरना सारा काम कम्पलीट हो चुका है। इनके अलावा जैसे लीडर आफ दी हाउस ने यह आ वासन दिया था कि डेढ़ सौ से अढ़ाई सौ की आबादी वाले नान डायरैक्टरी विलेजिज में सड़कें बनाने के लिए हम सर्वे करवायेंग वह सर्वे कम्पलीट हो चुका है। इस बजट के पास हो जाने के बाद इस बारे में फैसला किया जायेगा कि कितनी आबादी वाले गांव को पहले सड़क से मिलाया जाये और कितनी आबादी वाले गांव को बाद में सड़क से मिलाया जाये।

कामरेड भांकर लाल: स्पीकर साहब, मेरा सप्लीमेंट्री यह है कि मेरे यहां एक फूलका से कंवरपुर और दूसरी सुलारकोटली से जोधका तक सड़कें बननी है, वह अभी लोगों को 10-12 मील का चक्कर काटकर आना जाना पड़ता है। क्या सरकार इन सड़कों को जल्दी से जल्दी बनवाने का कश्ट करेगी ?

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों
के लिखित उत्तर

Water Supply Scheme at Vilalge Gillah Khera

***2682. Sh. Jagdish Kumar Beniwal:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state-

(a) Whether the construction work of water supply scheme at village Gillah Khera and Darban Kalan constituency has been completed and

(b) if not , the time by which the aforesaid work is likely to be completed?

Food and Supplies Minister (Sh. Lachhhman Singh):

(a) No.

(b) During 1982-83.

Dadhi Ghiler Sub-Minor

***2702. Sh. Ran Singh Mann:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration a Dadhi Ghiler Sub-minor on the Loharu Canal; and

(b) if so, the date since when the said proposal is under consideration?

Irrigation and Power Minister (Sardar Tara Singh):

(a) Yes.

(b) Since September, 1980

Centre for Imparting Training for Stenographers

***2747. Dr. Mangal Sein:** Will the Minister for Public works (B & R) be pleased to state-

(a) Whether any centres are being run by the Department of the Welfare of Scheduled Castes Backward Classes for imparting training for stenographers and clerks grade examinations; if so, names of places of their locations, number of trainees being admitted in each centre since 1971 and rate of scholarship, if any, payable to each trainee together with the details of staff posted for the purpose at such centers and monthly expenditure incurred separately;

(b) The number of typewriters provided in each such centre together with the dates of purchase thereof; and

(c) Whether it is fact that all the typewriters as mentioned in part (b) above are not in working order?

Minister of State for Public Works (Smt. Shakuntla Bhagwaria):

(a, b & c) statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) (i) Name of Centres

(i) Pre Examination Training Centre, Ambala.

(ii) Pre Examination Training Centre, Bhiwani.

(iii) Pre Examination Training Centre, Rohtak.

(ii) No. of Trainees

Year	Name of Centre and no. of Trainees		
	Ambala	Bhiwani	Rohtak
1971-72	62	45	32
1972-73	43	60	59
1973-74	43	60	68
1974-75	39	60	61
1975-76	37	60	61
1976-77	61	60	63
1977-78	61	50	57
1978-79	60	57	60
1979-80	60	57	59
1980-81	56(21+35)	19	59(20+39)
1981-82	78(32+46)	72(0+42)	80(30+50)

(iii) Rate of Scholarship

Centres	Rate	Remarks
Ambala	Rs. 75 P.M. (August, 1969 to July, 1980) Rs 125 P.M. (Nov. 1980 till)	Scholarship given in the form of free lodging of total expenditure of the centre borne by Govt. of India.
Bhiwani	Rs. 75 P.M. (Nov. 71 till date)	Entirely financed by State Govt. Non-residential training is being imparted.
Rohtak	Rs. 75 P.M. (Nov. 1971 till date)	Do

(iv) Details of Staff as on 15-3-82.

Sr.	Ambala Centre	Bhiwani Centre	Rohtak Centre
1	Hindi Lecturer	Instructoe	Principal (Part-time)
2	Instructor	Clerk	Hindi Lecturer
3	Clerk	Peon	Instructor
4	Peon	Sweeper(Part-time)	Clerk
5	Chowkidar-cum-sweeper	Chowkidar	Peon

6	Cook		Chowkidar
7	Assistant Cook		Sweeper (Part-time)

(v) Average monthly expenditure during current financial year (1-4-81 to 28-2-82)

Sr.	Name of Centre	Average monthly expenditure
1	Pre-Examination Training Centre, Ambala	Rs./ 8124.60
2	Pre-Examination Training Centre, Bhiwani.	Rs. 5871.82
3	Pre-Examination Training Centre, Rohtak.	Rs. 7422.72

(b) Number of typewriters in each centre and date of purchase

Sr.	Name of Centre	No. of Typewriter	Date of Purchase
1	Pre-Examination Training Centre, Ambala		
(1)		IJ-390322-K	23-6-69

(2)		IJ-389972-K	23-6-69
(3)		IJ-389790-K	23-6-69
(4)		IJ-390338-K	10-6-69
(5)		IJ-390026-K	12-6-69
(6)		IJ-389966-K	12-6-69
(7)		IJ-390043-K	22-6-69
(8)		IJ-390100-K	23-6-69
(9)		IJ-388843-K	12-6-69
(10)		IJ-376218-K	2-5-70
(11)		IJ-375583-K	2-5-70
(12)		IJ-375793-K	2-5-70
(13)		IJ-376966-K	2-5-70
(14)		IJ-375894-K	2-5-70
(15)		IJ-376175-K	2-5-70
(16)		IJ-383737-K	Not Available
(17)		AI-200713-	Not Available
(18)		AI-200211	Not Available
(19)		AI-200728	Not Available
(20)		R-6-76844	21-6-69

(21)		135535	29-6-69
(22)		149669	30-3-79
(23)		1502264	30-3-79
(24)		141811	30-3-79
(25)		141290	30-3-79
(26)		133817	30-3-79
(27)		134811	30-3-79
2	Pre-Examination Training Centre, Bhiwani.		
(1)		IJ-383711-K	25-3-71
(2)		IJ-374316-K	25-3-71
(3)		IJ-374584-K	25-3-71
(4)		IJ-374348-K	25-3-71
(5)		IJ-383715-K	25-3-71
(6)		IJ-377377-K	25-3-71
(7)		IJ-374746-K	25-3-71
(8)		IJ-390034-K	30-6-69
(9)		IJ-375858-K	2-5-70
(10)		IJ-390332-K	30-6-69

(11)		IJ-390309-K	23-6-69
(12)		IJ-375499-K	2-5-70
(13)		IJ-376933-K	2-5-70
(14)		I-154418	Recived from Printing and Stationery Deptt. Haryana Chandigarh on rent basis w.e.f. 14-11- 72.
(15)		I-154283	
(16)		I-154442	
3	Pre-Examination Training Centre, Rohtak.		
(1)		I-167236	3-1-73
(2)		I-167328	3-1-73
(3)		I-167166	3-1-73
(4)		I-167094	3-1-73
(5)		I-54401	3-1-73
(6)		I-167345	3-1-73

(7)		I-167235	3-1-73
(8)		I-167255	3-1-73
(9)		I-154436	3-1-73
(10)		I-167369	3-1-73
(11)		I-167050	3-1-73
(12)		R6-15432	3-1-73
(13)		IJ-374322-K	25-3-71
(14)		IJ-390029-K	25-6-69
(15)		IJ-374183-K	25-3-71
(16)		IJ-375584-K	2-5-70
(17)		IJ-376590-K	2-5-70
(18)		IJ-390091-K	23-6-69
(19)		IJ-374331-K	25-3-71
(20)		IJ-374380-K	25-3-71
(21)		IJ-374303-K	25-3-71
(22)		IJ-389973-K	23-6-69
(23)		IJ-375581-K	2-5-70
(24)		IJ-376115-K	2-5-70
(25)		IJ-374369-K	25-3-71

(26)		IJ-374562-K	25-3-71
------	--	-------------	---------

(c) Typewriter in working order as on 15-3-1982.

Sr.	Name of Centre	No. of Typewriter in working order
1	Pre-Examination Training Centre, Ambala	12
2	Pre-Examination Training Centre, Bhiwani.	10
3	Pre-Examination Training Centre, Rohtak.	4

Reservation of Posts in Private Colleges

***2796. Sh. Lehri Singh Mehra:** Will the Minister for education be pleased to State-

(A) Whether any decision has been taken by the Govt. to give 95 per cent Govt. grat to the Private Colleges; and

(b) if so, whether it is also binding on all such Colleges to adhere to the policy of the Govt. in the matter of reservation of posts for the persons belonging to Scheduled Castes/Backward classes, ex-servicemen for appointment to the various posts in such Govt. aided private Colleges ?

Education Minister (Ch. Des Raj):

(a) Yes.

(b) No.

**Scheduled Castes Employees in the Directorate of
Industries**

***2781. Sh. Prit Singh:** Will the chief Minister be pleased to state-

(a) The category-wise no. of posts sanctioned under the Rural Industrialisation Scheme during the period from 1971 to date;

(b) The category-wise no. of posts, out of those referred to in partt (a) above, filled up from amongst the persons belonging to Scheduled Castes;

(c) Total number of sanctioned posts of Assistant and the number out of those lying vacant at present in the Directorate of Industries, Haryana, Chandigarh, together with the numbr of posts held by the persons belonging to Scheduled Castes during the period from 1st January, 1971 to date; and

(d) whether the posts of Assistants held by the persons belonging to Scheduled Castes is According to the prescribed reservation quota, if not, the steps, if any, taken to cover up the shortfall?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal):

(a&b) The scheme was initiated in 1977-78. No posts were created till the middle of 1978-79. The rest of the information as at Annexure 'A' is laid on the Table of the House.

(c) (i) Sanctioned posts of Assistants

(ii) Vacant posts

(iii) Posts held by persons belonging to the Scheduled Castes

(d) Yes.

Annexure 'A'

Sr.	Category of Posts	No. of Posts Sanctioned	No. of Post Filled up	No. of Posts Filled up by S.C.
1	2	3	4	5
1	Addl. Managing Director, IAS Cadre	1	1	
2	General Manager (RI)	1	1	
3	General Manager (Tsech.)	1	1	
4	Training Officer	1	1	
5	Mechanical Engineer	1	1	
6	Deputy Manager	3	2	
7	Field Officers	4	3	1
8	Marketing Officer	2	2	
9	Deputy Superintendent	1	1	1
10	Accountanat	2		
11	Asssistant/Accounts	64	48	8

	Assistant			
12	Tech. Asstt./Purchase Asstt.	3	3	
13	Monitoring Officer	2	1	
14	Junior Engineer	1		
15	Senior Draughtmans	1	1	
16	Draughtsman	5	2	
17	Stenographer	5	5	
18	Steno-typist	20	10	2
19	Clerks	46	33	6
20	Peons/Peons0-cum-chowkidar	94	59	15
21	Electrician	4	2	
22	Helper	86	29	10
23	Sr. Die Fitter	1		
24	Die Fitter	2	2	
25	Quality Control Inspector	2	2	
26	Asstt. Quality Control Inspector	1	1	

27	Press Operator/Asstt. Press Operator	6	4	
28	Chemist	2	2	
29	Mechinist-cum-Fitter	2	2	
30	Welder	1	1	
31	Sales Asstt.	16	8	1
32	Sweeper	2	2	2
33	Painter/Asstt. Painter	2	1	
34	Semi-Skilled worker	17	11	2
35	Skilled worker	10		
36	Development Officer	2	1	
37	Dyer	1		
38	Sales Organiser	1		
39	Fireman	2		
40	Disstt. Marketing Officer	15	10	
41	Machine Operator	6	5	
42	Mali	1		
43	Technical supervisor	5	3	

44	Ceramic Expert	1		
45	Asstt. Ceramic	1		
46	Designer	1		
47	Dyeing Supervisor	1		
48	Machineman	2	1	
49	Cutter	1		
50	Instructor	4		
51	Desiner-cum-Moulder	1		
52	Sales Officer	1		
53	Salesman	1		
54	Master Potter	1		
55	Klin Attendent	1		
56	Manager (Sewing Machine Parts)	1	1	
57	Manager (Tool Desingining)	1	1	
58	Manager (Hand Tools)	1		
59	Manager (Hardware)	1		
60	Manager (Drass Ware)	1		

61	Manager (Electrical Appliances)	1	1	
62	Manager (Kint ware)	1		
63	Manager (Artistic Pottery)	1		
64	Manager (Sports Goods Complex)	1	1	
65	Manager (Nutan Stove)	1		
66	Manager (Raw Material)	1	1	
67	Manager (Rural Industries)	1	1	
68	Manager (Technical)	1	1	
69	Foreman (Sewing Machine Parts)	1		
70	Foreman (Machininh)	1		
71	Foreman (Forging)	1		
72	Foreman (Non-Ferrous) (Desinger)	1		
73	Foreman (Nutan)	1		

	Stove)			
74	Foreman (Shoe Making)	1	1	
75	Foreman (Artistic Pottery)	1		
76	Foreman (Artistic Pottery)	1		
77	Foreman (Carpentry)	1		
78	Foreman (Handloom Dyeing)	1		
79	Foreman (Fabrication & Agriculture Imp.	1		
80	Foreman (Leather Goods)	2	2	
81	Foreman (Machining)	4	2	
82	Asstt. Foreman (Machining)	2		
83	Asstt. Foreman (Machining Hand Tools)	1		
84	Asstt. Foreman (Machining Hardware)	1		

85	Asstt. Foreman (Nutan Stove)	2		
86	Asstt. Foreman (Leather Goods)		2	2
87	Disstt. Project Officer		6	
88	Driver	6	6	2
89	Supervisor (Electrical)	2		
90	Supervisor (Pottery)	1		
91	Supervisor	1	2	
92	Supervisor	3		2
93	Supervisor	1	4	
94	Supervisor	6		4
95	Supervisor	2	1	
96	Supervisor	1	1	1
97	Instructor	3		1
98	Instructor	1	1	
99	Instructor	2	1	1
100	Instructor	5	5	1
101	Instructor	1		5

102	Instructor	2	2	
103	Instructor	2	1	2
104	Instructor	2		1
105	Instructor	1		
106	Instructor	1		
107	Technician	1		
108	Technician	1		
109	Technician	1		
110	Technician	1		
111	Technician	1		
112	Technician	1		
113	Technician	1		
114	Technician	1		
115	Technician	1		
116	Technician	1		
117	Technician	1		
118	Technician	1		
119	Technician	1		
120	Technician	1		

121	Technician	1		
122	Technician	1		
123	Technician	3	1	
124	Asstt. Technician (carpentary)	2	2	

Transfer of Head Masters and Masters

***2848. Master Shiv Parshad:** Will the Minister for Education be pleased to state:-

(a) Whether any policy decision has been taken by the Govt. that all Head Masters transferred up to 1st April, 1981 will not be retransferred; and

(b) The names of the Head Masters and Master alongwith places of their postings, transferred more than once during the period from 1st April, 1981 to date ?

Education Minister (Ch. Des Raj):

(a) No.

(b) The information asked for is voluminous and the time and labour will not be commensurate with the benefit sought to be derived.

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Distribution of Cement

598. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state:-

(a) The total number of bags of cement allotted/received to the State during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1980 and 1st April, 1980 to 31st March, 1981 and 1st April, 1981 to date separately;

(b) The District-wise distribution of cement Industrial purposes, B.D.O. and general allotment to public, out of the cement received, as referred to in party (a) above separately; and

(c) The names of agencies through which allotment of cement was made to industrial Units and other purposes, as referred to in part (a) above separately?

Food & Supplies Minister (Sh. Lachhman Singh):

(a) The required information is as under:-

Quantity of cement allotted/received to the State during the 1-4-79 to 31-3-1980		Quantity of cement allotted/received to the State during the 1-4-80 to 31-3-1981		Quantity of cement allotted/received to the State during the 1-4-81 to 28-2-1982	
Allotted	Received	Allotted	Received	Allotted	Received
51,09,080	34,03,928	39,91,740	26,75,776	39,13,440	26,65,536

(b) The required information is contained in Annexure 'A'.

(c) The names of the agencies through which allotment of cement was made are as under:-

(1)	Industrial Units	By the General Manager District Industries Centres.
(2)	Other Purposes	By the deputy director Food and Supplies, Sub-divisional Magistrate, Administrator Municipal Committee, Block Development (Panchayat Officer, deputy director Agriculture, Secretary Zila Sainik Board and District Food & Supplies Controllers.

ANNEXURE 'A'

Name of Distt./ Circle	Quantity Distributed during 1-4-79 to 31-3-1980			Quantity Distributed during 1-4-80 to 31-3-1981			Quantity Distributed during 1-4-81 to 31-3-1982		
	Industrial Purposes	By B.D. & P.O.	General	Industrial Purposes	By B.D. & P.O.	General	Industrial Purposes	By B.D. & P.O.	General
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ambala	19020	168720	208120	22820	158300	196980	19320	147820	191380
Bhiwani	9780	109890	73259	3760	41585	27723	7600	56518	37678
Faridabad		26600	76660	12830	72000	170249	22620	67220	142969

Gurgaon	14700	13670 0	91150	10800	69720	46516	22920	11242 0	74970
Hissar	9900	16142 0	24212 0	10380	74960	12244 0	12740	14534 0	96880
Jind	5620	10562 0	96020	9450	12132 4	10991 0	9016	78828	10659 2
Karnal	19280	16456 0	16170 0	14960	19098 0	15034 0	15280	15424 0	11768 0
Kaithal	1840	11160 0	74400	1840	91220	60800	2120	76700	51120
Kurukshe tra	2960	17588 0	11726 9	4460	13108 0	87389	3000	88000	58685
Narnaul	1040	12326 0	82180	660	78920	52620	12400	88860	59240
Rohtak	18800	13752 0	91680	18800	14182 0	94560	14700	11252 0	75020

Sirsa	15880	18114 0	12076 0	7460	85020	56700	10140	15640	77080
Sonepat	19980	13560 0	91300	15940	68420	40400	17620	99000	63660
Total	138800	17385 10		134160	13253 49	12162 67	169476	13431 00	11529 54

**Haryana State Small Industries and Export Corporation
Ltd., Chandigarh**

599. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister be pleased to state:-

(a) The details of the present total working capital of the Haryana State Small Industries & Export Corporation Ltd., Chandigarh together with the details of loans taken from different financial agencies with their names and addresses and the rate of interest payable separately;

(b) The position of profit earned or loss suffered by the said corporation as on 31st December, 1981, together with the details of Balance Sheet thereof; and

(c) The reasons for losses, if any, suffered by the above said Corporation during the period as mentioned in part (b) above, together with the steps, if any, taken to meet the loss ?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal):

(a) The accounts of Haryana State Small Industries and Export Corporation Ltd., Chandigarh are closed on 30th June each year. According to the annual Accounts of the corporations as on 30th June, 1981, their working Capital was Rs. 75.23 lakhs. This Corporation does not obtain loan from any financial institutions but has an arrangement of Cash Credit with the Canara Bank Sector-17, Chandigarh and the Balance outstanding as on 30th June, 1981 was Rs. 1600856.54. The rate of interest payable on the Cash Credit was Rs. 17.5 percent.

(b) The Corporation has earned a profit before taxation Rs. 52.45 lakhs as on 30th June, 1981 on which last accounts were closed. The details of Balance Sheet are as under:-

SOURCES OF FUNDS

Shareholders Funds:		
Share Capital	4375000.00	
Reserve & Surpluses	8781174.30	13156174.30
Loans Funds		
Secured	1600856.54	1690834.34
Unsecured	89977.80	
	Total	14847008.64

Application of Funds		
Fixed Assest	7856308.81	6228366.99
Less: Depreciation	1627941.82	1095375.26

reserve Investment		
--------------------	--	--

Current Loans and Advances		
A	Current Assset	37568176.47
B	Loans & Advances	14074687.18

Less Current Liabilities & Provisions		
Current Laiblities	35587252.94	
Provisions	8532344.32	7523266.45
Total	44119597.26	14847008.64

(c) A question does not arise.

Raw Material or Industrial Units

600. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) The total requirement of different kinds of raw material for Industrial units affiliated with the

Haryana State Small Industries & Export Corporation Ltd., Chandigarh in the State for the years, 1980-81 and 1981-82 (to date) separately;

(b) The total quantity of raw material received and supplied by the the Haryana State Small Industries& Export Corporation Ltd., Chandigarh to the aforesaid Industrial units during the period as referred to in part (a) above seperately; and

(c) the steps if any, taken to meet the requirement in the case the reciept is in short of requirement?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क)			
क्रमांक	आईटम	1980-81	1981-82 (अन्त तक)
1	आयरन एण्ड स्टील	116150 मी० टन	265000 मी० टन
2	पिग आयरन	72000 मी० टन	260000 मी० टन
3	पैराफिन वैक्स	5000 मी० टन	5000 मी० टन

4	फैटी एसीड	376	376
5	हार्ड कोक	6000	6000
6	सीमेन्ट	2200	450
यह आकंड़े राज्य की एलोके उन के उस भाग को अंकित करते हैं जो निगम को दिया गया।			

(ख)							
क्रमांक	माल का नाम	1980-81 (1-7-80 से 3-6-81)			1981-82 (1-7-81 से 28-2-82)		
		ओपनिंग बैलेन्स 1-7-80 (मी० टन)	प्राप्त माल (मी० टन)	वितरित माल (मी० टन)	ओपनिंग बैलेन्स 1-7-81 (मी० टन)	प्राप्त माल (मी० टन)	वितरित माल (मी० टन)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आयरन एण्ड स्टील	3165	36862	35774	4253	17051	17136

2	पिंग आयरन	154	29992	30146	3	14120	12839
3	पैराफिन वैक्स	69	1073.50	1032	111	336	196
4	फैटी एसिड	—	70.20	68.760	1.260	105	106.260
5	हार्ड कोक	—	4500	4500	—	1500	1500
6	सीमेन्ट	1650	2200	2184	17	277	184

(ग) वर्ष 1980-81 में लोहा तथा इस्पात की बांट जो कि 40100 एम.टी. थी वह निगम के प्रयत्नों के फलस्वरूप वर्ष 1981-82 में बढ़कर 43200 एम.टी. हो गई। इस बांट में 9000 एम.टी. वह माल भी शामिल है जो कि बफर स्कीम के अन्तर्गत स्टील ऐथोरिटी आफ इण्डिया द्वारा आयात किया गया।

पिंग आयरन की बांट जो कि वर्ष 1980-81 में 40540 एम.टी. थी वह वर्ष 1981-82 में मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्पादन में कमी के कारण घट कर 30000 एम.टी. रह गई है। इस बांट में बढ़ौतरी के लिए यह मामला हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम द्वारा ज्वार्इन्ट प्लांट कमेटी, मुख्य उत्पादकों और भारत सरकार के साथ उठाया गया। स्वदे की स्रोतों से प्राप्त नहीं था इसलिए स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया द्वारा 15000 एम.टी.

माल बांटने के लिए निगम को दिया। पाकिस्तान से पिंग आयरन की जो मात्रा आयात की जा रही है उसके अतिरिक्त सप्लाई में वृद्धि के लिए भी प्रयत्न किया जा रहे हैं।

वर्ष 1980-81 में राज्य की पैराफिन वैक्स की बांट 1180 एम.टी. थी जोकि राज्य के उद्योग निदेशक द्वारा भारत सरकार की मिनिस्ट्री आफ पेट्रोलियम एण्ड कैमीकल्ज से बार बार अनुरोध करने के फलस्वरूप वर्ष 1981-82 में बढ़ कर 1411 एम.टी. हो गयी।

वर्ष 1980-81 में राज्य की फ़ैटी ऐसिड की बांट 280 एम.टी. थी जो कि वर्ष 1981-82 में भी इतनी ही है। इस माल को प्रयोग में लाने वाली औद्योगिक इकाईयों के लिए यह माल पर्याप्त है।

वर्ष 1980 में राज्य का हार्ड कोक का कोटा 3000 वैगन प्रति वर्ष था जिसके अन्तर्गत इस विभाग ने 300 वैगन हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम को प्राप्त करने हेतु तथा उन औद्योगिक इकाईयों को जो कि हार्ड कोक निगम के माध्यम से लेना चाहती थी को बांटने के लिए दी गई। बाकी गाड़ियों की बांट सीधे रूप से इकाईयों को विभाग द्वारा कर दी गई थी।

वर्ष 1981 में राज्य सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप रेल विभाग ने राज्य का कोटा 3000 गाड़ी से 3120 गाड़ियां प्रति

वर्ष कर दी थी। फिर भी कोल/कोक के कोटे में उचित बढ़ौतरी नहीं हुई है जब कि मामला राज्य स्तर पर कई बार भारत सरकार के साथ उठाया गया था।

चालू वर्ष (1982) में उद्योगिक इकाईयों के लिए हार्ड कोक का राज्य का कोटा 3120 गाड़ी प्रति वर्ष ही रहने दिया गया है। इस कोटे में से 900 गाड़ियां हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम को उद्योगिक इकाईयों में वितरण के लिए दी गई है।

राज्य के सीमेंट के कोटे में से उद्योग विभाग, हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम और हरियाणा राज्य उद्योग विकास निगम को उनके द्वारा स्थापित किये जा रहे उद्योगिक कॉम्प्लैक्स जैसे कि आरटीसटीव पौटरीज, झज्जर स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स मूरथल, सिलाई मीन कॉम्प्लैक्स, पंचकूला तथा राज्य में स्थापित इकाईयों के लिए भी सीमेंट की बांट कर रहा है। जो माल हमारे पास उपलब्ध है, उसमें से ही औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहां तक संभव हो सका है, भरसक प्रयत्न किये गये हैं।

National Permits

601. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Transport be pleased to state:-

(a) The names and addresses of persons/firms/associations to whom the National N/Z and W/Z permits for the public carriers have been issued by the Transport Department during the years 1980-81 and 1981-82 (to date) separately; and

(b) The criteria, if any, adopted for the allotment of the permits as referred to in part (a) above separately?

Transport Minister (Sh. Jagan Nath):

(a) The requisite information as Annexure A, B & C is laid on the Table of the House.

(b) (1) A copy of criteria laid down by the Govt. during the year 1981-82 for the grant of National/Zonal permits is laid on the Table of the House.

(2) During the year 1980-81 no National or Zonal permit has been granted. However, for the grant of National permits before 1980-81, Govt. of India had issued guide-lines on 1st October, 1975 and 12th December, 1975 according to which permits were to be granted as under:-

(a) 50 percent of the National permits may be granted to those already holding inter-State permits.

(b) 25 per cent to those holding State and Regional permits.

(c) 25 per cent to new entrepreneurs including Ex-army personnel and un-employed drivers. Out of this 25 per cent reservation, 10 per cent will go to ex-serviceman and 15

per cent for new entrepreneurs including un-employed drivers.

ANNEXURE 'A'

Statement showing the name and address of the of persons/firms/ associations to whom the National N/Z and W/Z permits for the public carriers have been issued by the Transport Department during the years 1980-81 and 1981-82.

1980-81 No National; Permits have ben issued during the yaer 1980-81.

1981-82

Sr.	Name and address
	Ambala Region
	S/Shri/Smt.
1	H.K. Chadha W/o jai Dev Singh, Ambala City
2	Inderjit Singh S/o Jai Dev Singh, Ambala City
3	H.k. Bansal S/o Prithvi Nath, Ambala City
4	Paramjit Singh S/o Sukh Dev Singh, Ambala City
5	Amrik Singh S/o of Mitha Singh, Ambala City
6	Prehlad Singh S/O of Attar Sinfgh, Ambala City

7	Smt. Tarwimnder Singh Kaur W/o of Perhlad Singh, Ambala City
8	Surjit Simnfh S/o Bishan Singh, Ambala City
9	Jagjit Singh S/o Suraj Singh, Ambala City
10	Bemal Keshore S/o Satish Kumar, Shahabad
11	Pawan Kumar S/o Har swaroop, Shahabad
12	Manmohan Singh, S/o og Khan Singh, Ambala City
13	Smt. Satinder Kaur W/o of Manmohan Singh, Ambala City
14	Kulwant Singh S/o of Chanan Singh, Ladwa
15	Jangsher Singh, Jagir Singh Vill. Ban , Kurukshetras
16	Hazara Singh S/o Ram Singh, Yamuna Nagar
17	M/s Subharqwal Carriage Co., Ambala City
18	Parmod Kumar S/O Prithvi Raj, Panipat
19	Joginder Singh S/o Balwant Singh, Yamunanager
20	Kirpal Singh S/O Inder Singh, Ambala City
21	Fateh Chand S/o Mohan Lal, Panipat
22	Ashok Kumar & Ramesh Kumar, Ambala City
23	Vishwa Chander S/o Dinna Nath, Ambala City

24	Chaman Lal S/o Mool Chand, Ambala City
25	Avtar Singh S/o Saran Siungh, Ambala City
26	Hari Singh S/o Munshi Ram, Ambala
27	Ved Bharat S/o Bhagwan Dass, Karnal
28	Surjit Singh S/o of Harnam Singh, Yamunanagar
29	Shiv Nath S/o Banarshi, Ladwa
30	Jaswant Rai, S/o Kehar Chand, Ladwa
31	Shadi Lla, S/o Sukh Dev, Yamuna Nagar
32	Sh. Charan Dass & Charna Kewaljit Singh, Karnal
33	Harbir Singh S/o Gurmukh Singh, Ambala City
34	Jawala Singh S/o Subey Singh, Ambala Cantt.
35	Gian Parkash S/o Nanak Chand, Radaur
36	Prithivi Nath S/o Mohan Lal, Panipat
37	Vinod Kumar S/o Charnjit lal, Karnal
38	Karam Chand S/o Thela Ram, Karnal
39	Sheshi Paul S/o Mangal Dass, Karnal
40	M/s Kartar Chand, Joginder Pal, Ambala
41	Mukan Lla and Sons, Karnal
42	Bindra Ban S/o of Raj Bakesht, Karnal

43	Lajpat Rai S/o Suraj Bhan, Ladwa
44	Beni Parshad S/o Chajju Ram, Kurukshetra
45	Davinder Kumar S/o Nand Kishore, Uhala
46	Rajinder Kumar S/o Chuunni Lal, Barara
47	Ravinder Kumar S/o Duni Chand, Panchkula
48	Nanak Chand S/o Bhagwan Chand, Ambala City
49	Surinder Kumar S/o Harbans Lal, Ambala City
50	Gurmit Singh S/o Harbans Singh, Kurukshetra
51	Manjit Singh S/o Balkar Singh, Yamuna Nagar
52	Rajinder Singh S/o of Mulkha Singh, Kaithal
53	Milkha Singh S/o Uggar Singh, Kaithal
54	M/s Joginder Singh, Khan Singh, Gharaunda.
55	Trith Lal S/o of Bhadur Chand, Gharaunda
56	Harinder Singh S/o of Ajit Singh, Ambala Cantt.
57	M/s Ajit Singh and Devindewr Singh,1 Samalkha
58	Goshi Narianpuri s/o Lachhman Narianpuri, Karnal
59	Ved Parkash s/o Lachhman Dass, Karnal
60	Mohinder Singh s/o sunder Singh, Barara
61	Ashok Kumar s/o Baldev Raj, Karnal

62	Rakesh Kumar S/o Ved Parkash, Gharaunda
63	M/s Surinderjit Singh, Mohinder Singh, Karnal
64	Ashok Kumar s/o of Rikhi Ram
65	Raj Kumar s/o of Harbans Lal, Panipat
66	Ramesh Kumar s/o of Chandi Ram, Yamuna Nager
67	M/s S.K.S. Carrier, Ambala Cantt.
68	Jagan Nath s/o Daya Ram, Yamuna Nagar
69	Bishan Dass s/o Ghan Sham Dass, Karnal
70	Butta Ram s/o Ram Lal, Shahabad
71	M/s Shadi Ram, Parmjit Singh, Ambala City
72	M/s Chand Ram,. Isqpal Singh, Ambala City
73	Jasbir Singh s/o Gurcharan Singh, Karnal
74	M/s Sardar Singh, Joginder Singh, Yamuna Nagar
75	Hukan Chand s/o of Bhagwan Dass, Panipat
76	Smt. Urmela Mehta W/o Shashi Pal, Karnal
77	Ashok Kumar s/o Faquir Chand, Karnal
78	Tilak Raj s/o Ram Ludhaya Singh, Ambala
79	Mohan Singh s/o Harbhajan Singh, Karnal
80	Charan Singh s/o Harbans Singh, Trawari

81	Shiv Shakhat Singh s/o Aya Singh, Kurukshetra
82	Ravinder Singh s/o of Swaran Singh, Ambala Cantt.
83	Dhanpat Rai s/o Suraj Bhan, Kaithal
84	Nand Lal s/o Din Dyal, Ambala City
85	Jai Dev Singh s/o Attar Singh, Ambala City
86	Rajinder Pal s/o Krishan Lal, Ambala City
87	Jagdish Kumar s/o Bhadur Chand, Ambala City
88	Satish Kumar S/o of Sadaur Singh, Ambala City
89	Meham Singh S/o Ashok kumar, Yamuna Nagar
90	Kewal Krishan S/o Ramji Dass, Kakru
91	Dharam Lal and Ram Lal, Ambala City
92	Harjinder Singh s/o Phuman Singh, Ambala City
93	M/s Om Parkash s/o Ujjagar Singh, Ambala Cantt,
94	Darshan Kumar s/o Boota Ram, Kaithal
95	Nath Singh s/o Asha Singh, Yamuna Nagar
96	Ashok Kumar S/o Shiv Narain, Barara
97	Surinder Singh s/o Bhagat Singh, Panipat
98	Ran Singh S/o Bhagwamn Singh, Kakru
99	Smt. Nirmal Kumari W/o Rajinder Kumar, KLarnal

100	Rajinder Singh s/o Shiv Ram, Karnal
101	Prem Chand s/o of Kishan Lal, Ambala
102	Rajinder Kumari W/o RameshwarrDass, Kuruksahetra
103	Kirpal SWingh S/o Nanfd Si9ngh, Ambala City
104	Gian Chand S/o Gurdass Ram, Yamuna Nagar
	Faridabad Region
105	M/sw Surinder Kumar, Anil Kumar, Faridabad
106	Man Mohinder Pal singh S/o Balwant singh, Gurgaon
107	Ram Dev S/o Kaura Ram, Sonapat
108	Manhor Lal S/o Thakur Dass, sonapat
109	Hoshiar Singh S/o Pehlad singh, Mohindergarh
110	Raghubir Singh s/o Sukhdev Singh, Narnaul
111	Rattan Dev s/o Rama Nand, Rohtak
112	Sukhpal singh S/o Ram Kumar, Rohtak
113	Ram Kumar S/o Phop Singh, Rohtak
114	Vinod Kumar S/o Ram Parkash, Palwal
115	Chelu Ram s/o Prabhu Dayal, Mohindergarh
116	Ram Parkash S/o Bhagwan Dass, Palwal
117	Krishan chand S/o Jammna Ram., Faridabad

118	Subash Chand S/o Sada Nand, Palwal
119	Dewan Pritam Singh S/o Tulshi Dass, Palwal
120	Mehar Singh S/o Pritam Singh, Gurgaon.
121	Partap singh S/o Man Singh, Faridabad
122	Vinod Kumar S/o Prithvi Singh Palwal
123	Roshan Lal S/o Payare Lal, Rohtak
124	Ram Parkash S/o Tej Bhan, Rohtak
125	M/s Gulsyhan lal Perma Nand, Hodel
126	Laxmi Narian S/o Jogi Ram, R%ohtak
127	Man Mohan S/o Siri Kishan Dass, Rohtak
128	Vijay Lumar S/o Devi D
129	Mangat Rai S/o Kukam Chand Rohtak
130	Rajinder Kumar S/o Mangat Rai, Rohatk
131	Chander Bhan S/o Gugan Ram, Rohtak
132	M/s Gian Chnad Daultram, Palwal
133	Duni Chand S/o Vishan dass, Palwal
134	M/s Harish Chand Madan Lal, Plawal
135	Manhor Singh S/o Ganesh Dass, Faridabad
136	Pargat Singh S/o Balbir Singh, Palwal

137	Attar Singh S/o Lal Chand, Bhadurgarh
138	Krishan Kumar S/o Atma Ram, Rohtak
139	Ram Phool S/o Raje Ram, Rohtak
140	Smt. Usha Rao, W/o G.K. Rao, Gurgaon
141	M/s Stya Narian, Kehar Singh, Gurgaon
142	Anil Kumar S/o Nand Lal Rohtak
143	Prit Singh s/o Bharat Singh, Rohtak
144	Raghbir Singh S/o Ratan Singh, Rohtak
145	Subash Chand s/o D.N. Malhotra Faridabad
146	Subash Chnader S/o Sunder Lal, Rewari
147	Hari Krishan Lal S/o Wazir Chand, Rohtak
148	Ranbir Singh S/o Jit Singh, Rohtak
149	Bhagwan Dass S/o Ruchhi Ram, Faridabad
150	Ram Ditta S/o Khilu Ram, Sonapat
151	Manhor Lal S/o Ram Ditta, Sonapat
152	Bharat Bhushan S/o Sat Narain, Rohtak
153	Ram Rang S/o Bhagwan Dass, Palwal
154	Gurdev Singh S/o Jagir Singh, Palwal
155	Ashok Kumar s/o Ram Rang, Palwal

156	Hari Singh s/o Parbhu Dayal, Palwal
	Hissar Region
157	Om Parkash s/o Bhagwan Dass, Laxmi Cold store, Jind
158	Bhadur Chand s/o Bhagwan Dass, Jhanj Gate, Jind
159	Parvinder Singh s/o Munsha Singh, Guru Nanak Nagar, Khairpur, Sirsa
160	Ram Kumar s/o Bhagrawat Ram Prabhu Padam Colony, Bus stand, Hissar
161	Dharampal Singh s/o Gurdial Singh, H.N. 5136, Gobind Nagar, Sirsa
162	Balbir Singh s/o Hazur Singh Q. N. 98 Band Gate, Sirsa
163	Mithu Singh s/o Zora Singh V. Chaman Dhani Teh. & Distt. Sirsa
164	Balbir Singh s/o Mann Singh H. No. 3386, Rania Bazar, Sirsa
165	Upkar Singh s/o Bhagat Singh Guru Nanak Dev Auto Store , Sirsa
166	Tara Singh s/o Zora singh R/o Chaman Dhani, Sirsa
167	Sarup Chand Gupta s/o Amin Lal Gupta, 32/18 Moh. Bogran, Hissar
168	Vijay Kumar s/o Radha Kishan Moh. Dokatan Gandhi Chowk, Hissar

169	Inder Sein s/o Moti Ram Jyotipura, Hissar
170	Mohan Lal s/o Ram Rikh Shop Shop No. 86, Nai Mandi Fatehabad
171	Babu Ram s/o Rameshwar Dass, VPO Barwala, Hissars
172	Harpat Ram s/o Sadhu Ram 39 Defence Colony, Hissar
173	Vijay Kumar s/o Ram Rikh shop No. 86, Nai Mandi, Fatehabad
174	Prem Kumar s/o Chandu Lal J.n. 160 Prem Nagar, Hissar
175	Sh. Shanker Lal s/o Jawani Ram Prabhu Padam Colony, Bus stand Hissar
176	Joga Ram s/o loalu Ram, Bishnoi, VPO Dhansu Hissar
177	Mani Ram s/o Shiv Narian, VPO Mangali, Hissar
178	M/s Vhander Parkash Gurbax Munjal, Munjal Book Depoty, Main Bazar, Barwala, Hissar
179	Jagdish Rai s/o Suraj Bhan National Steel Co., Delhi Road, Hissar
180	Gian Chand s/o Mool Chand H. N. 334/18 Moh. Dogra, Hissar
181	Sheokaran s/o Ram Partap, 171, Bus stand, Hissar
182	Rattan Singh s/o Bagga Singh Vill. Haboli, Sirsa
183	Gpoi Ram s/o Boghu Ram V. & P.O. Badopal, Hissars

184	Krishan Kumar s/o Gopal Ram VPO Dhangar Teh. Fatehabad, Hissar
185	Anil Kumar s/o Phool Chand Gupta, 541 Auto Mobile Market, Hissar
186	Vijay Kumar s/o Phool Chand Gupta, Vijay Bhawan Opp. New Grain Market, Hissar
187	Ashwani Kumar s/o Phool Chand Super industries, Sirsa Road, Hissar
188	Harish Kumar s/o Gobind Dev H.N. 3-W Model Town, Hissar
189	Luna Rams/o Mehar Chand Shakti Nagar, Hissar
190	Ram Kishan s/o jawahar Singh VPO Kharkara Distt. Hissar
191	Surjit Singh s/o Kanhya singh VPo Barwala, Hissar
192	Surjit Singh s/o Fauza Singh Surinder Motor Elect., Works Dabwali Road, Sirsa
193	Suresh Kumar s/o Anand Parkash H.N. 498 Near Civil Hospital, Sirsa
194	Gurbachan Singh s/o Sardara Singh Gobind Nagar, Hissar Road, Sirsa
195	Om Parkash s/o Ami Lal Patiala House, Nagori Gate Hissar

196	Brahman datt Sharma s/o Mool Chand Sharma, V. Buran P.O. Saharwa, Distt. Bhiwani
197	Surrender Kumar s/o Anand Parkash H.N. 498 Near Civil Hospital, Sirsa
198	Gori Shanker s/o Rop Chand VPo Muklan Distt. Hissar
199	Makhan Ram s/o Pat Ram Vill. Badopal Teh. Fatehabad, Hissar
200	Dolla Ram s/o Mai ram Shakti Nagar, Hissar
201	Anil Kumar s/o Sat Priya Barsi Gate, Hansi, Hansi, Hissar
202	Kuldip Singh s/o Inder Singh Shiv Bhawan, Opp. Income Tax Office , Hissar
203	Chhabil Dass s/o Amin Chand Bus stand, Near Hanuman Mandir, Hissar
204	Rama Nand s/o Bagrawat Singh Siwani Mamndi, Bhiwani
205	Makan Lal s/o Brij Lal H.No. 155-56 Near Bus stand, Hissar
206	Ishwar Singh s/o Surat Singh VPo Dumarkhan Kalan Narwana Jind
207	Dharmvir Singh s/o Dewar Singh VPO Dumarkhan Kalan, Narwana, Jind
208	Randhir Singh s/o Des Raj VPO Dumarkhan Kalan,

	Narwana Jind
209	Gurnam Singh s/o Saudagar Singh V & PO Salarpur, Sirsa
210	Karmvir Singh s/o Magha Ram R/o Dhani Barwala, Hissar
211	Banwari Lal s/o Bhagirath Manphool Nagar, Hissar
212	Shiv Narian s/o Sukh Ram VPO Kaimari, Hissar
213	Satya Pal s/o Raja Ram VPO Kalwas, Hissar
214	Joginder Singh s/o Narinder Singh VPO Sahuwala, Sirsa
215	Harbhajan Singh Dalip Singh, 5/234 Gobind Nagar, Sirsas
216	Jagdish Chander s/o Ram Dhari Mal, Nanak pura, Hansi, Hissar
217	Dalip Singh s/o Chandgi Ram VPO Uchana Mandi, Narwana, Jind
218	Mahavir Parshad s/o Ram Partap Moh. Gujran Parao, Hissar
219	Ajit Kumar s/o Parkash Chand Nerw Haryana Industries, Kali Devi Road, Hansi, Hissar
220	Ram Narian s/o Ram Karan VPO Dhanger, Teh. Fatehabad, Hissar
221	Harcharan Singh s/o Sohan Singh, 92, N. Model Town,

	Hissar
222	Kali Ram s/o Panna Lal VPO Biroli Teh. & Distt. Jind
223	Dharam Pal s/o Chhata Ram Gupta, H.N. 243/15 Sharma Nagar Colony, Jind
224	Krishan Kumar S/o Ladha Ram No. 1927, B. No. 6 Hansi, Hissar
225	Jai Dev s/o Brij Lal VPO Pirthala Teh. Tohana, Hissar
226	Punjab Singh s/o Ranjit Singh V. Uchana Mandi Khurd, Narwana, Jind
227	Kali Ram s/o Partap Singh Esso Petrol Pump, Narwana Jind
228	Manphool s/o Kheraj VPO Mohamadpur Rohi Teh. Fatehabad, Hissar
229	Mohinder singh s/o Pritam Singh V. Quilla Zaffiaragarh, Distt. Jind
230	Ajit Singh s/o Ganga Ram Loharu Road, Charkhi dadri, Bhiwani
231	Bir singh s/o Ram Karan Defence Colony, Hissar
232	Balbir Singh s/o Tek Ra, R/o charkhi dadri, Bhiwan
233	Dharam Pal s/o Telu Ram Gandhi Nagar, Jind
234	Hoshiar Singh s/o Nihal Singh VPO Kakroli, Teh. Charkhi Dadri, Bhiwani

235	Ajit Singh s/o Ujjagar Singh Milap Transport, Near National College, Sirsa
236	Inder Singh s/o Tek Ram VPO Singwa Khas, Hansi, Hissar
237	Om Parkash s/o Rishal Singh VPO Samlo Kalan Teh. and Distt. & wani-
238	Om Parkash s/o Raja Ram VPO Sarupgarh Teh. Charkhi Dadri, Bhiwani
239	Man singh s/o Pirthi Singh VPO Muklan Teh. And Distt. Hissar
240	Krishan Bansal s/o Tulsi Bansal, Delhi Road, Hissar
241	Dwarksa Dass s/o Banoo Ram No. 414 W. No./ 13, Multani Chowk Hissar
242	Babu Lal S/o Hukam Chand Golden Transport Co. Charkhi Dadri, Bhiwani
243	M/s Atma Ram Makhan Lal VPo Landhri, Hissar
244	Nand lal s/o Vir Bhan 83/4 Sant nagar, Patiala Chowk, Jind
245	Ram Swarup s/o Harnam singh, Bhiwani
246	Puran Chand S/o Birbal Dass, H.N. 75, W. N. 73, Dabwali
247	Badri Ram s/o Sheo Narian Vill. Manguli Disstt. Hissar

ANNEXURE 'B'

Statement showing the list of persons who have been issued Northern Zone Permits in the year of 1980-81& 1981-82

Sr.	Name and address
	Ambala Region
	S/Shri/Smt.
1	Sadhu Ram S/o Naresh Kumar, Ambala Cantt.
2	Sita Ram S/o Inder Lal, Ambala Cantt.
3	Kasthuri Lal S/o Inder Lal, ambala City
4	Iqbal Singh C/o Prem Kaur, ambala Cantt.
5	Jit Singh S/o Ram Singh, Barara
6	M/s Udey Ram, Kenehya Lal, Shahabad
7	Ramesh Ahuja S/o Kartar Singh, Panipat
8	Hans Raj S/o Kartar Singh, Panipat
9	Smt. Stya wati W/o Rameshwar Dass, Ladwa
10	Ram Kumar S/o Taj Ram Ban, Ambala
11	Iqbal Singh S/o Mehar Singh, Kurukshetras
12	Devi Parshad s/o Mahabir Parshad, ambala
13	Gori shanker S/o Mahabir Parshad, Ambala

14	M/s Dwaraka Dass, Ashok Kumar, Shahabad
15	Sethi Carriage Co. Ambala
	Faridabad Region
16	Zile Singh S/o Kali Ram, Narnaul
17	Krishan Lal S/o Gobind Ram, Rohtak
18	Mohinder Kumar S/o Tek Chnad, Palwal
19	M/s Devender Singh Rewati, Palwal
20	Kanhya Lal S/o Tulshi Dass, Palwal
21	Chaman Lal Kanna Dass, Palwal
22	Ramesh Chnader S/o Chnader Bhan, Rohtak
23	Dharam Vir S/o Manool Singh, Bahadurgarh
24	Suresh Kumar nS/o Piru Ram Sisana
25	Hnas Raj S/o Mewa Singh, Rewari
	Hissar Region
26	Kishan Lal S/o Mani Ram Fatehabad
27	Parmod Sagar Jain s/o Sudershan Kumar Jain
28	Karan Singh S/o Des Raj Uchana Mandi, Jind
29	Ram Chnader S/o Mir Singh Kila Zaffergarh, Jind
30	Laxmi Narian Sharma S/o Hira Lal Shrama Coloney,

	Bhiwani
31	Hari Ram S/o Abhey Ram Vill. Bhambawa, Jind
32	Bir Singh S/o Har Chand VPO Dobhi, Hissar
33	Hans Raj S/o Sh. Nand Lal Patel Nagar, Narwana

ANNEXURE 'C'

**Statement showing the name and address of the
of persons/firms/ associations to whom the Western Zone
permits for the public carriers have been issued by the
Transport Department during the years 1980-81 and 1981-
82.**

1980-81 Nil.

1981-82

Sr.	Name and address
	Ambala Region
	S/Shri/Smt.
1	H.k. Chadha W/o Jai Dev Singh, Ambala City
2	Inderjirt Singh s/o, Ambala City
3	Smt. Urmela Devi W/o Bhan Parkash, Ambala City

4	S.K. Bansal S/o Prith Nath, Ambala City
5	Inderjit Luthara W/o Atma Ram, Ambala City
6	Darshan Singh S/o Ram Lubhaya, Ambala City
7	Gurjit Singh S/o Ram Nath, Ambala City
8	Mulkha Raj S/o Sohan Mal Nariangarh
9	Surjit Singh S/o Mitha Singh, Ambala City
10	Davinder Singh S/o Amrik Singh, Ambala City
11	Parhlad Singh S/o attar Singh, Ambala City
12	Surinder Kaur W/o Harbans Singh, Ambala City
13	Kashmiri Lal S/o Devi Dass, Kaithal
14	Sunder Singh s/o Pritam singh, Ambala City
15	Saran Singh S/o Kartar Singh, Panipat
16	Gazai Singh S/o Amar Singh, Samalkha Mandi
17	Baldev Raj S/o Gopal Dass, Karnal
18	Tara Singh S/o Kapoor Singh, Kurukshetra
19	Krishan Lal S/o Diwan Pirya Lal, Ladwa
20	Sukhwant Singh S/o Ajit Singh, Karnal
	Faridabad Zone
21	Dev Ran S/o Dharam Chand, sonapat

22	Harchand rai S/o Mansa Ram, Narnaul
23	Mohan Lal S/o Jagdev, Narnaul
24	Jagjit Singh S/o Wazir Chnad, Gurgaon
25	Parkash Vir S/o Mool Chnad , Gurgaopn
26	Amar Nath S/o Sant La, Gurgaon
27	Hans Raj S/o Mewa Ram, Rewari
	Hissar Zone
28	Shoe Chand S/o Sh. Nathu Ram Vill. Naloi Kalan, Hissar
29	Hans Raj S/o Sh. Kalu Ram No. 397 Ram Nagar Colony Hani, Hissar
30	Amar Singh S/o Budh Ram Vill. HJhuma Kalan, Biwani
31	Manhor Lal S/o Kishan Lal, Canal Colony, Fatehabad
32	Poker Mal S/o S/o Kanshi Ram Mandi Adampur, Hissar
33	Narian Dass S/o Hotu Ram G.T. Road, Hissar
34	M/s Major Singh Jograj Singh Vill. Nilanwali, Sirsa
35	Rakesh nand S/o Chaman Lal Mall Road, Sirsa
36	Ramesh Kumar Bansal S/o Baru Ram 22/22 Patram Nagar Narwana, Jind
37	Vilyati Ram S/o Sat Pal Charkhi Dadri

38	Narajan Lal S/o Sh. Baldev Sahai, H.N. 1913 W.N. 9, Charkhi Dadri
39	Mohan Lal S/o Rim Mal Back side Gaueshala, dadri
40	Bnarinder Mohan S/o Jai Lal, Narwana, Jind
41	Subash Chander S/o om Parkash Mohalla Singhana, Dadri
42	Ashok Kumar S/o Babu Ram Moh.alla Singhana, Dadri
43	Surat Singh S/o Nihal Singh Vill. Jhujhu Kalan
44	Som Nath S/o Tulsi Ram Mandi dabwali
45	Ram Kumar S/o Amar Chand Bus Stand, Hissar

Criteria

Govt. have/had been considering for some time past the question of Laying down criteria for making reservations in regard to the issue of National/Zonal Transport Permits. Having regard to the latest amendment made in the Motor Vehcile, Rules , 1940, It has been decideds and the Punjuab following criteria for reservation in regard to the grant of National Zonal permits:-

(i) Permits shall be granted only to bonafide transport operators of the State who own truck(s) and have been arrying on the business for some time.

(ii) Priority in issue of permit shall be given to such operators as have a long experience of operating in inter

State routes and have been obtaining temporary permits/country signatures to that end in the past.

(iii) At least one permit shall be granted to an operator who owns three or more trucks and has not been issued any permit so far.

(iv) An operator already holding permits shall not be ineligible for grant of permit(s). But the grant of additional permit(s) would depend on the size of his fleet and its past performance. This would be subject to a further condition that the total number of permits including those already in his possession should not exceed three.

(v) Subject to the aforesaid conditions, the permits shall be granted according to the percentages of reservations in favour of following categories of operators:-

Scheduled Castes	20%
Backward Classes	10%
Others (Including ex-serviceman)	70%

“Provided that other conditions being equal, preference shall be given to applicants who are ex-army personnel or who have valid licences for driving transport vehicles.”

Complaint regarding Tender of Medicines

664. Dr. Mangal Sein: Will the Chief Minister be pleased to State-

(a) Whether any complaint addressed to the chief Minister regarding the tender of medicines (Notice No 25-1981-82 opened on 9th February, 1982) has been recieved; if so, the action taken thereon; and

(b) A copy of said complaint be laid on the Table of the House?

Chief Minister (Ch. Bhaja Lal) :-

(a) Yes. Two Complaints have been recived and looked into. On the complaint of M/s Vikas Pharmaceuticals, Hissar, it has been decided to re-invite rates for 15 items mentioned in the complaint.

On the Other complaint of sarvshri Jagdish Singh, Ram Kumar and Ram Singh, the Director Health Services, Haryuana has been asked to supply the list of items which were left out in the earlier notice inviting Tender on account of the disliking of the last pages of the list in the course of the processing of the case. The rates for these items will be invited when the said list is recieved from him.

(b) Copies of the Complait referred to in part (a) are are enclosed as Annexure A & B.

ANNEXURE-A

Copy of letter No. Bill recieved from M/s Vikas Pharmaceuticals.

Tender Notice No. 25/1981-82

Serial No. of tender: GL/RC/462/81-82

Due Date of opening of tender: 9-2-82 up to 2.00 p.m.

Earnest Money required: Rs. 2000/-

Rates required to be valid for acceptance up to 8-7-1982.

Sr.	Sr. No. of item in the Scheduled/NIT	Name of item as in the NIT Liquid Extract of Liquor-ice	Trade Name if any Extract Glycy Shiza	Rates Packing
1	2	3	4	5
1	93		U.S.P.	Rs. 6.00 500ml
2	94	Aromatic Spirits of Amonia I.P.		Rs. 2.71 500 ml
3	95	Solution of		Rs. 7.45

		Iodines (Weak) I.P.		500 ml
4	96	Tincture of Belladonna I.P.		Rs. 3.20 500 ml
5	97	Tincture Cardomansa I.P.		Rs. 3.35 500 ml
6	98	Tincture of Hysocyamts I.P.		Rs. 3.45 500 ml
7	100	Tincture Cardamonso I.P.		Rs. 3.37 500 ml
8	101	Tincture Hysocyamts I.P.		Rs. 18.00 500 ml
9	102	Tincture of Ispeacacuhana I.P. 55		Rs. 4.67 500 ml
10	103	Tincture of Opium (Comphorated) I.P.		Rs. 3.30 500 ml
11	104	Tincture of Ginger (Weak) B.P.		Rs. 3.10 500 ml

12	106	Spirit of nitrous Aetherious I.P. 55		Rs. 2.80 500 ml
13	108	Tincture of Stramonium		Rs. 3.75 500 ml
14	110	Syrup Codeine Phosphate I.P.		Rs. 21.75 500 ml
15	131	paracetamol Syrup Vika MolSyrup		Rs. 7.00 500 ml

Terms and Conditions

1. All the rates are F.O.R. Destination
2. Sales Tax extra as applicables per Govt. Rules at the time of supplies.
3. All the above rates are dutry free rates.
4. Delivery shall be made from ready stock or within 6 to 8 weeks.

For Vikas Pharmaceuticals

Mohalla Rampura, Hissar (Haryana)

Sd/-

Managing Partner

ANNEXURE 'B'

To

The Chief Minister, Haryana

Haryana Civil Secretariat

Chandigarh.

Subject: Removal of irregularities done in tender Notice No. 25/1981-82 Superscribed No. of Tender: GL/RC/462/81-82, Drugs opened on 9-2-1982

Sir,

We bring to your kind notice some irregularities done in tender Notice mentioned above, while publishing/Printing the list of Medicines drugs regarding Calling Quotations.

1. That the Director of Health Services, Haryana Chandigarh sent some lists of Medicines/Drugs to the Controller of stores, Haryana Chandigarh for Publishing/advertising the same for inviting Tenders for new rates contract for the coming new years. But about 150 items of Medicines/Drugs out

of that list, were missing in the advertised tender which was opened on 9-2-1982.

2. We have come to know through reliable sources that Mr. Gulati, Dealing Clerk of Drugs Branch, in Controller of stores, Haryana Office, played a mischief with the list of medicines, by snatching 5-6 pages of the same before printing/ Cyclostyling the tender alongwith lists of medicines. Due to this mischief of the dealing clerk, about 150 items of medicines have been omitted in the lists of Tender opened on 9-2-82. This had resulted into delay in calling the rates of those products, for hospitals use, and has also deprived off the Supplies to quote their rates for the same.

3. We have further come to know from other sources that this mischief/ irregularities came to the notice of the Director Health Services, Haryana Chandigarh, also and who has referred the matter to the C.O.S. Haryana. The Director Health Services, Haryana has enquired from the Controller of stores, Haryana about the misplacement of 5-6 pages from the list of medicines attached with the Tender, but still no action seems to have been taken.

It is, therefore, requested that the Drug Authorities may be directed to advertise the balance items of the above tender, which have been omitted due to the mischief of the Dealing Clerk calling tenders/rates for the same, so that the entire list of medicines, of

the actual tender could be accounted for simulatenously.It is also mentioned that while calling/publishing the temnders for these balance items, seperate security may not be demanded from the supplierrs/Tenderes who have already submitted their tender alongwith security against the above tender, and they may be exempted from fresh security, for which the controller of Stores, Haryuana Chandigarh may kindly be instructed accordingly.

It would also be in the interest of justice if necessary suitable action may be taken the defaulter, who has played such mischief with the above tender, so that such thing may not occur in future.

Yours faithfully,

Sd/-

Copy to:

1. The Health minister, Haryana, Chandigarh.
2. The Commissioner & Secy. to Govt. Haryana Industries Deptt. Chandigarh.
3. The Under Secretary, Industries Deptt. Haryana Chandigarh.
4. The controller of stores, Haryana Chandigarh.

5. The addl. Controller of Stores, Haryana Chandigarh.
6. The Asstt. Controller of stores, Haryana Chandigarh.
7. The Director of Health Services, Haryana (General) Sectore-7 Chandigarh.
8. The Directoir of Health Servoices (Hospitals) Haryana Sector 26, Chandigarh.
9. All Members of the Legislative Assembly, Haryana Opposition Group Assembly meeting, that such type of bungling/mischief is being done in the O/O Controller of stores, Haryana Chandigarh.

Cut in the Supply of Electricity

665. Dr. Mangal sein: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether cut on the supply of electricity was impose during the months of January and February, 1982; is so, the number of hours for which the sais cut was imposed for the agricutural, industrial and domestic purposes, separately?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह): हां, ब्यास सतलुज तालाबों में पानी की सतह के कम हो जाने की

वजह से भाखड़ा ब्यास कम्पलैक्स से कम बिजली की उपलब्धि के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए दिनांक 14-1-1982 से बिजली पर प्रतिबन्ध लगाये गये थे। बाद में दिनांक 1-3-1982 से सभी प्रतिबन्धों को हटा दिया गया था।

कृषि, औद्योगिक तथा घरेलू उद्दे यों के लिए उपरोक्त लगाई गई कटौती के घन्टों की संख्या निम्नवत है:-

(क) कृषि:-

बिना सूखाग्रस्त में 17 घन्टे तथा सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में 14 घन्टे प्रतिदिन।

(ख) औद्योगिक:-

औसतन 8 से 10 घन्टे प्रति दिन।

(ग) घरेलू:-

5 घन्टे प्रति दिन।

Coal Received in the State

666. Dr. Mangal Sein: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state:-

(a) The quantity of coal allocated to the State during the year 1981-82; and

(b) The month wise quantity of coal actually received in the State during the year 1981-82?

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(क) वर्ष 1981-82 में हरियाणा राज्य के लिए सलैक कोल की निम्नलिखित मात्रा का आबंटन किया गया था।

(मात्रा टनों में)

1. रेल द्वारा	774000
2. सड़क द्वारा	960000
जोड़	1734000

(ख) हरियाणा राज्य में वर्ष 1981-82 में सलैक कोल की प्रतिमास आयात के आंकड़े फरवरी 1982 तक निम्नप्रकार से हैं:—

(आंकड़े टनों में)

मास	बंगाल / बिहार	आसाम / भूटान	सड़क द्वारा	जोड़
अप्रैल, 81	4000	11096.5	1789.0	16885.5
मई, 81	6000	28236.1	3762.4	37998.5
जून, 81	22000	13270.5	1643.6	36914.1
जुलाई, 81	6000	4792.4	895.3	11687.7

अगस्त, 81	4000	81048.1	1231.5	86279.6
सितम्बर, 81	4000	3486.8	937.6	8424.4
अक्तूबर, 81	6000	3640.0	2960.5	12600.5
नवम्बर, 81	16000	11992.1	3243.1	3235.2
दिसम्बर, 81	12000	9312.8	1109.3	22422.1
जनवरी, 82	2000	7385.6	1545.1	10930.7
फरवरी, 82	22000		2724.7	24724.7
जोड़	104000	174260.9	21842.1	300103.0

**Production of Electricity in Panipat and Faridabad
Thermal Plants**

667. Dr. Mangal Sein: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) The installed capacity of Faridabad and Panipat Thermal Plants;

(b) The quantum of electricity produced by the Panipat and Faridabad Thermal Plants during the year 1981-82; and

(c) Whether the production of electricity, as referred to in part (b) above, has been lesser than the installed capacity of the said plants; if so, the reasons therefor?

Irrigation and power Minister (Sardar Tara Singh):-

(a) The installed capacity of Faridabad and Panipat Thermal Plants is 19.5 MW and 220 MW respectively. Faridabad Thermal Plant consists of 3 units of 60 MW each besides one unit of 15 MW whereas the Panipat Thermal Plant consists of 2 units of 110 MW each.

(b) Panipat and Faridabad Thermal Plants have generated 665 MU and 497 MU respectively in the current year up to February, 1982.

(c) The actual generation of electricity by the above thermal power plants have been comparatively little lower than the production capacity due to the reasons like inadequate supply of spare parts etc. The matter regarding inadequate supply of quality coal was taken up at the level of Chief Minister with the Union Minister of energy and recently there has been taken some improvement in the coal supplies and accordingly the generation has picked up considerably since December, 1981.

Grants given to Municipal Committees

672. Sh. Moiol Chand Mangla: Will the Minister for Local Government be pleased to state the names of the Municipal Committees of A.B.C. categories in Haryana togetherwith the amount of grants and amount other than grants given to them during the years 1979-80, 1980-81 and 1981-82 (to date) seperately ?

Local Government Minister (Sh. Mange Ram Gupta):
A statement is laid down on the table of the House.

STATEMENT

General Grant-in-aid given in year 1979-80

Sr.	Name of Municipality	Amount in lacs
1	2	3
	A Class	
1	Sirsa	0.10
2	Assandh	0.50
3	Beri	0.25
4	Ferozepur	0.50
5	Hathin	0.25
6	Hodel	0.35
7	Julana	1.00
8	Nilokheri	0.50

9	Nuh	1.00
10	Taoru	0.25
	Slum Clerance	
	A Class	
1	Hissar	10.00
	B Class	
2	Narnaul	5.00
	Faridabad Complex	35.00
	Water Supply and Sewerage	
	A Class	
1	Gurgaon	4.90
2	Hissar	2.30
3	Jind Rewari	0.90
4	Rohtak	0.70
5	Yamuna Nagar	5.90
6	Ambala	2.60
7	City	1.86
8	Ambala Sadar	2.68
9	Bhiwani	1.00

10	Panipat	2.78
11	Sirsa	2.80
12	Sonepat	0.17
13	Karnal	1.70
14	Hansi	0.80
	B Class	
15	Bahadurgarh	6.20
16	Narnaul	3.50
17	Palwal	4.70
18	Dabwali	2.00
19	Kalka	1.50
20	Jhajjar	0.79
21	Gohana	1.00
22	Tohana	1.70
23	Fatehabad	0.40
24	Narwana	0.70
	C Class	
25	Ganaur	1.00
26	Kalanwali	0.48

27	Safidon	0.70
28	Beri	0.35
29	Buria	0.30
30	Farrukh Nagar	0.30
31	Hassanpur	0.30
32	Hodel	0.88
33	Hathin	2.50
34	Kalannaur	0.82
35	Mohindergarh	0.30
36	Nuh	0.31
37	Nariangarh	0.24
38	Pataudi	0.43
39	Sohana	0.50
40	Sadhaura	0.5
41	Taraori	1.30
42	Uchana	1.50
43	Chhachrauli	0.23
44	Feorzepur Jhirka	0.17
45	Ratia	0.18

46	Tarou	0.08
47	Ladwa	1.30
48	Haily Mandi	0.70
	Libraries	
	A Class	
1	Karnal	2000
2	Sonepat	2000
3	Hansi	1000
4	Rohtak	1500
5	Yamunanager	2000
6	Ambala Cantt.	1500
7	Panipat	1500
	B Class	
8	Tohana	800
9	Bahadurgarh	1500
10	Jhajjar	1000
11	Charkhi Dadri	1000
12	Narwana	1000
13	Narnaul	1500

14	Palwal	1500
15	Kalka	1000
16	Fatehabad	1000
	C Class	
17	Ganaur	700
18	Ferozepur Jhirkas	1000
19	Kalannaur	1000
20	Uchana	700
21	Mohindergarh	1500
22	Hodel	1500
	Compensatory Allowances to Sweepers	
	A Class	
1	Bhiwani	58210
2	Ambala Cantt.	46810
3	Yamuna Nagar	57560
4	Rohtak	90720
5	Karnal	105840
6	Panipat	81900

7	sirsa	39310
8	Jind	33600
9	Gurgaon	45360
10	Hissar	61150
11	Hansi	26510
12	Sonepat	57100
13	Thanesar	22240
14	Kaithal	32760
15	Rewari	42340
16	Ambala City	57100
	B Class	
17	Charki Dadri	21900
18	Jagadhri	30800
19	Kalka	8520
20	Jhajar	14360
21	Bahadurgarh	27490
22	Dabwali	21840
23	Narwana	21620
24	Tohana	8820

25	Fatehabad	16890
26	Gohana	1840
27	Shahabad	12080
28	Narnaul	27220
29	Palwal	25430
	C Class	
30	Loharu	2770
31	Bawani Khera	1770
32	Chhachhrauli	2520
33	Sadhaura	4470
34	Nariangarh	670
35	Beri	4540
36	Meham	2270
37	Kalannaur	5800
38	Gharaunda	1030
39	Indri	1460
40	Assandh	3090
41	Taraori	2600
42	Nilokheri	5570

43	Kalnwali	5290
44	Rania	1510
45	Safidon	8070
46	Uchana	3530
47	Julana	4570
48	Farrukh Nagar	3780
49	Ferozepur Zhirka	2710
50	Sohana	7310
51	Nuh	7060
52	Haily Mandi	2620
53	Tarou	3100
54	Jakhal	3720
55	Uklana Mandi	2880
56	Barwala	2070
57	Ratia	1430
58	Ganaur	5700
59	Ladwa	9330
60	Radaur	2520
61	Pehowa	8830

62	Ateli	3280
63	Kanina	3530
64	Mohindergarh	8320
65	Hathin	2270
66	Hodel	9570
67	Faridabad Complex Admn.	229700
	Year 1980-81	
	General	
		Rs. in lacs
	A Class	
1	Rohtak	2.00
2	Panipat	1.00
3	Bhiwani	1.50
4	Jind	2.00
5	Hissar	2.00
6	Rewari	2.00
7	Guragon	2.00
8	Hansi	2.00
9	Thanesar	2.00

	B Class	
10	Bahadurgarh	1.00
11	Narwanas	1.00
12	Narnaul	1.00
13	Charkhi ddri	1.00
14	Fatehabad	1.00
15	Palwal	1.00
16	Kalka	1.00
17	Shahabad	0.70
18	Jhajjar	2.00
	Total	10.70
	C Class	
1	Nagina	0.50
2	Uchana	1.00
3	Julana	1.00
4	Hathin	0.50
5	Taoru	1.00
6	Nilokheri	2.00
7	safidon	1.00

8	Sohana	1.00
9	Taraori	0.50
10	Radaur	1.00
11	Kanina	0.50
12	Buria	0.50
13	Chhachhrauli	0.50
14	Gharaunda	1.00
15	Ateli Mnadi	0.50
16	Mohindergarh	0.75
17	Meham	1.00
18	Uklana Mandi	1.00
19	Farrukh Nagar	1.00
20	Kharkhodas	0.50
21	Shahzadpur	0.50
22	Hodel	1.00
23	Nuh	0.50
24	Ferozpur Jhirka	0.50
	Total	19.25
	Revenue Earning	

	A Class	
1	Ambala City	6.32
2	Jind	2.80
3	Sonepat	1.50
4	Jagadhri	9.38
	Slum Clerance	
1	Ambala City	13.00
2	Ambala Cantt.	2.00
3	Jind	10.00
4	Karnal	5.00
5	Panipat	5.00
6	Rohtak	8.00
7	Sonepat	13.00
8	Yamuna Nagar	6.00
9	Thanesar	2.00
	B Class	
10	Narwana	6.00
	Cattle Pond	
	A Class	

1	Bhiwani	1896.25
2	Thanesar	857.30
3	Kaithal	1328.00
4	Rewari	207.00
5	Karnal	2186.00
6	Rohtak	967.00
7	Sonepat	1418.0
8	Sirsa	1873.25
9	Yamuna Nagar	6623.00
10	Hansi	2763.00
11	Gurgaon	1749.70
	B Class	
12	Chanrkhi Dadri	514.30
13	Palwal	2043.00
14	Shahabad	88.00
15	Narwana	825.00
16	Kalka	2453.00
17	Jagadhri	1201.64
	C Class	

18	Loharu	822.00
19	Hodel	2918.00
20	Ladwa	181.00
21	Beri	1450.00
22	Kalannaur	396.00
23	Meham	1505.00
24	Barwala	670.00
	Libraries	
	A Class	
1	Thanesar	1000
2	Kaithal	1000
3	Jind	1000
4	Rewari	1000
5	Hansi	1000
6	Shahabad	1000
7	Gohana	1500
8	Charki Dadri	1500
9	Narwana	1000
10	Tohana	1500

11	Fatehabad	1000
12	Palwal	1500
	C Class	
13	Gharaunda	1500
14	Nilokheri	2000
15	Khar Khauda	2000
16	Ganaur	1500
17	Feorzepur Jhirka	2000
18	Haily Mandi	2000
19	Kalananaur	2000
20	Safidon	1000
21	Ateli	1500
	Total	15500
	Safai Mazdoors	
	A Class	
1	Ambala Cantt.	1338000
2	Yamuna Nagar	155400
3	Bhiwani	138600
4	Gurgaon	112800

5	Kaithal	81000
6	Rohtak	213600
7	Sirsa	98400
	B Class	
8	Jagadhri	76800
9	Kalka	24600
10	Charkhi Dadri	58200
11	Palwal	63000
12	Fatehabad	42000
13	Narwana	49200
14	Bahadurgarh	68400
15	Narnaul	64800
	C Class	
16	Barwala	8400
17	Loharu	6600
18	Uklana Mandi	8400
19	Julana	10800
20	Kalannaur	12000
21	Gharuandas	9600

22	Ladwa	22800
23	Radaur	6000
24	Meham	4800
25	Maohindergarh	10000
26	Ratia	10200
	Water supply & Sewrage	
	A Class	
1	Gurgaon	4.90
2	Hissar	2.30
3	Jind	0.90
4	Rewari	0.70
5	Rohtak	5.90
6	Yamuna Nagar	2.60
7	Ambala City	1.86
8	Ambala sadar	2.68
9	bhiwani	1.00
10	Panipat	2.78
11	Sirsa	2.80
12	Sonepat	0.17

13	Karnal	1.70
14	Hansi	0.80
	B Class	
15	Narnaul	0.50
16	Palwal	0.70
17	Dabwali	2.00
18	Kalka	1.50
19	Jhajjar	0.79
20	Gohana	1.00
21	Tohana	1.70
22	Fatehabad	0.40
23	Narwana	0.70
	C Class	
24	Beri	0.20
25	Hassanur	0.25
26	Kalnanaur	0.30
27	Mohindergarh	1.00
28	Nuh	0.18
29	Nariangarh	0.70

30	Sadhaura	0.10
31	ratia	1.70
32	Haily Mandi	0.47
33	Gharaunda	0.20
34	Assandh	1.70
35	Uklana	0.70
36	Bawal	0.30
37	Rania	1.70
38	Kalyat	1.30
39	Indri	1.30
40	Kanina	0.30
41	Julana	0.80
42	Meham	1.30
43	Nilokheri	0.70
	Year 1981-82 General Grant	
1	Ambala city	1.00
2	Palwal	0.25
	A Class	
	Slum Clearance	

	A Class	
1	Jind	7.00
2	Sonepat	3.00
3	Kaithal	1.50
4	hansi	3.00
5	Karnal	1.00
6	Bhiwani	1.00
7	Ambala City	1.00
8	Yamuna Nagar	1.00
9	Rewari	1.00
10	Hissar	4.00
11	Sirsa	2.00
12	Panipat	1.00
13	Thanesar	1.00
14	Ambala Sadar	2.00
15	gurgaon	2.00
16	Rohtak	1.00
	B Class	
17	Narwana	2.00

18	Bahdurgarh	3.00
19	Jhajjar	1.50
20	Tohana	5.00
21	Fatehabad	2.00
22	Charkhi Dadri	1.00
23	Shahabad	1.5.
24	Gohana	1.50
25	Narnaul	2.00
26	Mandi Dabwali	0.75
27	Palwal	1.50
28	Faridabad Complex	2.00
	1981-82	
	C Class	
29	Kharkhauda	1.00
30	Safidon	1.00
31	Hathin	0.50
32	Kalanwali	0.25
33	Ladwa	2.00
34	Farrukh Nagar	0.75

35	Taraori	1.50
36	Bawani khera	0.50
37	Nilokheri	2.00
38	Ferozpur Jhirka	1.00
39	Pataudi	1.00
40	Ganaur	0.75
41	Sohana	1.00
42	Haily Mandi	1.50
43	Mohinderegarh	0.75
44	Uklana Madi	0.75
45	Nuh	1.00
46	Tarou	1.00
47	Chhachhrauli	.50
48	Indri	1.00
49	Kanina	0.50
50	Julana	0.50
51	Uchana	0.50
52	Nariangarh	0.52
53	Gharaunda	1.00

54	Pehwa	0.50
55	Beri	0.50
	Total	23.75
	Water Supply & Sewarge	
	A Class	
1	Gurgaon	4.45
2	Hissar	3.35
3	Jind	1.40
4	Rewari	4.30
5	Rohtak	6.85
6	Ambala City	3.68
7	Ambala Sadar	4.90
8	Bhiwani	2.35
9	Panipat	1.00
10	Sirsa	0.75
11	Sonepat	6.50
12	Karnal	0.70
13	Thanesar	2.35
	B Class	

14	Palwal	1.55
15	Dabwali	0.75
16	Kalka	7.80
17	Jhajjar	1.15
18	Gohana	2.80
19	Tohana	2.46
20	Fatehabad	0.74
21	Narwana	1.40
22	Charklhi Dadri	1.15
23	Jagadhri	0.80
24	Beri	0.40
25	Farrukh Nagar	0.40
26	Hodel	1.40
27	Hathin	1.15
28	Nariangarh	0.25
29	Taraori	0.40
30	Uchana	1.55
31	Ratia	2.00
32	Tarou	2.45

33	Haily Mandi	1.15
34	Nilokheri	0.40
35	Indri	0.80
36	Julana	1.55
37	Meham	1.15
38	Barwala	2.35
39	Ateli	1.55
40	Bawani Khera	0.40
	Libraries	
	A Class	
1	Sirsa	1500.00
2	Hansi	1500.00
3	Rewari	1500.00
	B Class	
4	Jhajjar	1500.00
5	Kalka	1500.00
6	Narwana	1500.00
7	Charkhi Dadri	1500.00
8	Palwal	1500.00

9	Fatehabad	1500.00
10	Tohana	1500.00
11	Narnaul	1500.00
	C Class	
12	Gharaunda	1500.00
13	Kalannaur	1500.00
14	Nariangarh	1500.00
15	Sadhaura	1500.00
16	Safidon	1500.00
17	Ganaur	1500.00
18	Hodel	1500.00
19	Ateli	1500.00
20	Nuh	1500.00
	Revenue Earning	
	A Class	
1	Guragon	2.00
2	Rohtak	1.00
3	Karnal	1.50
4	Yamuna Nagar	1.00

5	Rewari	1.00
6	Jind	1.15
	B Class	
7	Fatehabad	0.50
8	Gohana	0.50
9	Jhajjar	0.50
10	Nilokheri	0.50
11	Kalayat	0.50
12	Hassanpur	1.00
13	Mohindergarh	0.50
14	Tarou	0.50
15	Nuh	0.50
16	Uchana	0.35
	Safai Abhiyan	
	A Classs	
1	Bhiwani	1.50
2	Rohatk	1.50
3	Ambala city	1.50
4	Yamuna Nagar	1.50

5	Karnal	1.50
6	Panipat	1.50
7	Sirsa	1.50
8	Jind	1.50
9	Gurgaon	1.50
10	Hissar	1.50
11	Sonepat	1.50
12	Thanesar	1.50
13	Ambala Sadar	1.50
14	Rewari	1.50
15	Hansi	1.50
16	Kaithal	1.50
	B Class	
17	Kalka	0.65
18	Charkhi Dadri	0.65
19	Jagadhri	0.65
20	Shahbad	0.65
21	Palwal	0.65
22	Fatehabad	0.65

23	Narwana	0.65
24	Gohana	0.65
25	Jhajjar	0.65
26	Bahadurgarh	0.65
27	Mandi Dabwali	0.65
28	Narnaul	0.65
29	Tohana	0.65
	C Class	
30	Pehowa	0.25
31	Chhachhrauli	0.25
32	Buria	0.25
33	Sadhaura	0.25
34	Pundri	0.25
35	Ladwa	0.25
36	Radaur	0.25
37	Gharaunda	0.25
38	Beri	0.25
39	Meham	0.25
40	Farrukh Nagar	0.25

41	Ferozpur Khirka	0.25
42	Sohana	0.25
43	Nuh	0.25
44	Haily Mandi	0.25
45	Hodel	0.25
46	Bawal	0.25
47	Pataudi	0.25
48	Jakhal	0.25
49	Loharu	0.25
50	Uklana	0.25
51	Madi	0.25
52	Kalanwali	0.25
53	Safidon	0.25
54	Uchana	0.25
55	Julana	0.25
56	Ateli	0.25
57	Kanina	0.25
58	Mohindergarh	0.25
59	Nilokheri	0.25

60	Nariangarh	0.25
61	Jagadhri Workshop	0.25
62	Ganaur	0.25
63	Pinjore	0.25
64	Kalanur	0.25
65	Bawani khera	0.25
66	Tarou	0.25
67	Ratia	0.25
68	Indri	0.25
69	Assandh	0.25
70	Hathin	0.25
71	Kalayath	0.25
72	Barwala	0.25
73	Hassanpur	0.25
74	Taraori	0.25
75	Shazadpur	0.25
76	Kharkhauda	0.25
77	Tosham	0.25
78	Nagina	0.25

79	Brara	0.25
80	Samalkha	0.25
	Total	12.50 lacs
	1979-80	
	Water Supply & Sewrerage Loan	
	A Class	
1	Gurgaon	12.50
2	Hissar	5.80
3	Jind	1.50
4	Rewari	1.50
5	Rohtak	13.50
6	yamuna nagar	6.40
7	Ambala City	4.14
8	Ambala Sadar	7.72
9	Bhiwani	3.00
10	Panipat	7.72
11	Sirsa	8.00
12	Sonepat	0.83
13	Karnal	3.30

14	Hansi	1.60
	B Class	
15	Bahadurgarh	8.80
16	Naranul	7.00
17	Palwal	8.00
18	Dabwali	4.00
19	Kalka	2.50
20	Jhajjar	2.89
21	Gohana T	1.50
22	Tohana	3.30
23	Fatehabad	0.60
24	Narwana	1.30
25	Charkhi Dadri	1.00
	C Class	
26	Ganaur	1.50
27	Kalanwali	1.22
28	Safidon	1.30
29	Buria	0.50
30	Hassanpur	0.70

31	Hodel	2.12
32	Hathin	5.50
33	Kalanaur	1.85
34	Mohindergarh	0.70
35	Nuh	0.34
36	Nariangarh	0.21
37	Pataudi	0.82
38	Sohana	1.00
39	Sadhaura	1.10
40	Taraori	2.70
41	Uchana	3.00
42	Chhachhrauli	0.47
43	Ferozepur Jhirka	0.83
44	Ratia	0.82
45	Taoru	0.42
46	Ladwa	2.20
47	Haily Mandi	1.30
48	Nilokheri	1.00
	1980-81	

	A Class	
1	Hisar	6.70
2	Rohtak	5.20
3	Yamuna Nagar	2.95
4	Ambala City	20.40
5	Ambala Sadar	13.68
6	Bhiwani	2.70
7	Panipat	2.00
8	Sirsa	6.68
9	Sonepat	10.17
10	Karnal	0.55
11	Faridanbad	2.30
12	Thanesar	4.17
13	Kaithal	2.00
	B Class	
14	Narnaul	1.00
15	palwal	1.30
16	dabwali	1.30
17	Kalka	1.30

18	Jhajjar	5.70
19	Tohana	3.60
20	Fatehabad	3.40
21	Narwana	2.10
22	Jagadhari	1.58
23	Beri	0.30
	C Class	
24	Hassanpur	0.45
25	Kalanaur	0.70
26	Mohindergarh	2.00
27	Nuh	0.40
28	Nariangarh	1.30
29	Ratia	3.30
30	Haiuly Mandi	1.53
31	Gharaunda	0.30
32	Assandh	3.30
33	Uklana	1.30
34	Bawal	0.70
35	Rania	3.30

36	Kalayat	2.70
37	Indri	2.70
38	Kanina	0.60
39	Julana	1.70
40	Meham	2.70
41	Nilokheri	1.30
	1981-82	
	A Class	
1	Gurgaon	7.05
2	Hissar	5.65
3	Jind	2.60
4	Rewari	6.70
5	Rohtak	10.65
6	Ambala City	5.85
7	Ambala Sadar	7.60
8	Bhiwani	3.65
9	Panipat	2.00
10	Sirsa	1.25
11	Sonepat	9.50

12	Hansi	1.30
13	Thanesar	2.15
	B Class	
14	Palwal	2.45
15	Dabwali	1.25
16	Kalka	12.20
17	Jhajjar	1.85
18	Gohana	4.20
19	Tohana	3.70
20	Fatehabad	0.60
21	Narwana	1.85
22	Charkhi Dadri	1.85
23	Jagadhri	1.20
	C Class	
24	Beri	0.60
25	Farrukh Nagar	0.60
26	Hodel	2.60
27	Hathin	1.85
28	Nariangarh	1.25

29	Taraori	0.60
30	Uchana	2.45
31	Ratia	3.00
32	Tarou	3.55
33	Haily Mandi	1.85
34	Nilokheri	0.60
35	Indri	1.20
36	Julana	2.45
37	Meham	1.85
38	Barwala	3.65
39	Ateli	2.45
40	Bawani khera	0.60
	To Pay decreetal amounts	
	Charkhi Dadri	7.25

**Statement of Grant/Loan given to the the Class
'A' Municipalities for their water Supply and Sewrerage
during the years 1979-80, 1980-81 and 1981-82**

Sr.	Name of the	1979-80	1980-81	1981-82
-----	-------------	---------	---------	---------

	Committee	Loan (Rs. in lacs)	Grant (Rs. in lacs)	Loan (Rs. in lacs)	Grant (Rs. in lacs)	Loan (Rs. in lacs)	Grant (Rs. in lacs)
1	Gurgaon	12.50	4.90			7.05	4.45
2	Hissar	5.80	2.30	6.70	3.30	5.65	3.35
3	Jind	1.50	0.90			2.60	1.40
4	Rewari	1.50	0.70			6.70	4.30
5	Rohtak	13.50	5.90	5.20	2.60	10.65	6.85
6	Yamuna Nagar	6.40	2.60	2.95	1.40		
7	Ambala City	4.14	1.86	20.04	9.76	5.85	3.65
8	Ambala Sadar	7.72	2.68	13.68	6.57	7.60	4.90
9	Bhiwani	3.00	1.00	2.70	1.30	3.65	2.35
10	Panipat	7.72	2.78	2.00	1.00	2.00	1.00
11	Sirsa	8.00	2.80	6.68	3.32	1.25	0.75
12	Sonepat	0.83	0.17	10.17	4.83	9.50	6.50
13	Karnal	3.30	1.70	0.55	0.40		
14	Hansi	1.60	0.80			1.30	0.70
15	Faridabad			2.30	1.02		

16	Thanesar			4.17	1.83	2.15	2.35
17	Kaithal			2.00	1.00		
	Grand Total	77.51	31.09	79.14	38.33	65.95	42.55

**Statement of Grant/Loan given to the the Class
'B' Municipalities for their water Supply and Sewerage
during the years 1979-80, 1980-81 and 1981-82**

Sr.	Name of the Committee	1979-80		1980-81		1981-82	
		Loan (Rs. in lacs)	Grant (Rs. in lacs)	Loan (Rs. in lacs)	Grant (Rs. in lacs)	Loan (Rs. in lacs)	Grant (Rs. in lacs)
1	Bahadurgarh	8.80	6.20				
2	Narnaul	7.00	3.50	1.00	0.50		
3	Palwal	8.00	4.70	1.30	0.70	2.45	1.55
4	Dabwali	4.00	2.00	1.30	0.70	1.25	0.75
5	Kalka	2.50	1.50	1.30	0.70	12.20	7.80
6	Jhajjar	2.89	0.79	5.70	2.80	1.85	1.15
7	Gohana	1.50	1.00			4.20	2.80
8	Tohana	3.30	1.70	3.60	1.75	3.70	2.46

9	Fatehabad	0.60	0.40	3.40	1.60	0.60	0.74
10	Narwana	1.30	0.70	2.10	0.90	2.60	1.40
11	Charkhi Dadri	1.00				1.85	1.15
12	Jagadhri			1.58	0.82	1.20	0.80
	Grand Total	40.89	22.49	21.28	10.47	31.90	20.60

**Statement of Grant/Loan given to the the Class
'B' Municipalities for their water Supply and Sewrerage
during the years 1979-80, 1980-81 and 1981-82**

Sr.	Name of the Committee	1979-80		1980-81		1981-82	
		Loan (Rs. in lacs)	Grant (Rs. in lacs)	Loan (Rs. in lacs)	Grant (Rs. in lacs)	Loan (Rs. in lacs)	Grant (Rs. in lacs)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ganaur	1.50	1.00				
2	Kalanwali	1.22	0.48				
3	Safidon	1.30	0.70				
4	Beri		0.35	0.30	0.20	0.60	0.40

5	Buria	0.50	0.30				
6	Farrukh Nagar		0.30			0.60	0.40
7	Hassanpur	0.70	0.30	0.45	0.25		
8	Hodel	2.12	0.88			2.60	1.40
9	Hathin	5.50	2.50			1.85	1.15
10	Kalannaur	1.85	0.82	0.70	0.30		
11	Mohindergarh	0.70	0.30	2.00	1.00		
12	Nuh	0.34	0.31	0.40	0.18		
13	Nariangarh	0.21	0.24	1.30	0.70	1.25	0.75
	Grand Total	15.94	8.48	5.15	2.63	6.90	4.10
14	Pataudi	0.82	0.43				
15	Sohana	1.00	0.50				
16	Sadhaura	1.10	0.55		0.10		
17	Taraori	2.70	1.30			0.60	0.40
18	Uchana	3.00	1.50			2.45	1.55
19	Chhachharauli	0.47	0.23				
20	Ferozpur Jhirka	0.83	0.17				
21	ratia	0.82	0.18	3.30	1.70	3.00	2.00

22	Tarou	0.42	0.08			3.55	2.45
23	Ladwa	2.20	1.30				
24	Haily Mandi	1.30	0.70	1.53	0.47	1.85	1.15
25	Nilokheri	1.00				0.60	0.40
26	Gharaunda			0.30	0.20		
27	Assandh			3.30	1.70		
28	Uklana			1.30	0.70		
	Total	15.66	6.94	9.73	4.87	12.05	7.95
29	Bawal			0.70	0.30		
30	rania			3.30	1.70		
31	Kalayath			2.70	1.30		
32	Indri			2.70	1.30	1.20	0.80
33	kanina			0.60	0.30		
34	Julana			1.70	0.80	2.45	1.55
35	Maham			2.70	1.30	1.85	1.15
36	Nilokheri			1.30	0.70		
37	Barwala					3.65	2.35
38	Ateli					2.45	1.55
39	Bawani Khera					0.60	0.40

	Total	Nil	Nil	15.70	7.70	12.20	7.80
	Grand Total yearwise of Pages 1, 2 and 3	31.60	15.42	30.58	15.20	31.15	19.85

Summer Vacations

698. Sh. Bhag Mal: Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that educational institutions in Raipur Rani, Nariangarh and Chhachhrauli Blocks being hilly areas are closed for summer vacations during the months of July/August;

(b) Whether it is also a fact that the said institutions in the hilly areas of Bilaspur Block are closed during the month of June for the purpose referred to in part (a) above; and

(c) Whether there is any proposal under consideration of the Government to close the educational institutions in Bilaspur Block for summer vacations during July/August, on the pattern of the Block referred to in part (a) above; if not., the reasons therefor?

Education Minister (Ch. Des Raj):

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) No, there is no such representation from public for the ensuring academic session.

Constructions of Bridges

699. Ch. Bhag Mal: Will the Minister for public Works (B & R) be pleased to state-

(a) Whether it is fact that construction of bridges at Pabni-Kalan on Jagadhri-Pabnikalan-Sadhaura road and at Berkheri on Ambli-Nangla Rajputan-Nakhraului road was sanctioned in 1979; if so, the reasons for delay in the construction thereof;

(b) The time by which the bridges referred to in aprt (a) above are likely to be constructed?

Supply Works Minister (Kanwar Ram Pal Singh):

(a) No.

(b) Question does not arise.

Supply of Electricity to P.H.C. Bilaspur

700. Ch. Bhag Mal: Will the minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) Whether the Govt. is aware of the fact that the supply of electricity in Public Health Centre, Bilaspur (Ambala) is not regular because of defective fittings; and

(b) if so, the time by which the supply to the said Centre is likely to be made available regularly?

Irrigation and Power Minister (sardar Tara Singh):

(a) and (b) The Supply of electricity to Public Health Centre, Bilaspur (Ambala) is regular and there is no defect in the supply line.

Construction of boundary wall of P.H.C. Bilaspur

701. Ch. Bhag Mal: Will the minister for Health be pleased to state-

(a) Whether it is fact that boundary wall of P.H.C., Bilaspur (Ambala) has not been constructed completely; and

(b) if so, the length of the boundary wall referred to in part (a) above yet to be constructed togetherwith the time by which it is likely to be constructed?

Health minister (Ch. Gajraj Bahadur Nagar):

(a) Yes.

(b) 165 metres. At this stage no time can be given.

**Pay scale of the Electricians in the Government
Polytechnic, Sirsa**

647. Ch. Jagdish Kumar Beniwal: Will the minister for Finance be pleased to state the reasons of the pay scale of the Electricians in the Government Polytechnic, Sirsa, lesser than those Electricians appointed in all the other polytechnics in the Haryana State and whether this anomaly is likely to be removed and, if not, the reasons therefor?

Minister of State for Education (smt. Shanti Devi):

It is true that post of Electrician at Govt. Polytechnic, Sirsa is in lower scale than the scale of this ;post in other Government Polytechnic in Haryana. This is because while fixing the qualification and experience for the post of electrician at Sirsa, lesser experience has been prescribed. The removal of anomaly in the experience and [pay is under consideration. The official at Sirsa has also filed a civil suit and hence the matter is sub-judice.

**Mine Labourers working in the mountains of District
Faridabad**

703. Swami Agnivesh: will the minister for Excise and Taxation be pleased to state-

(a) The number of mineslabourers working in the mountains of Faridabad District;

(b) Whether the Mines Act is applicable upon them and whether the facilities provided in the said Act are being given to them;

(c) Whether 60% mine labourers are suffering from T.B., if so, the arrangements made for their treatment;

(d) The number of labourers of 15 to 50 years of age who died during the last three years together with the amount of compensation given to each of them;

(e) Whether the liquor shops selling the illicit liquor in the mines are being run there and the steps taken by the Govt. to close these shops;

(f) Whether the dust spread from the crushers for twenty four hours is harmful for the health of labourers together with the steps proposed to be taken in the near future by the govt. to check it;

(g) The numbers of girls of mine labourers missing for the last three years together with the names of employees;

(h) Whether the Labour Officers visit these mines regularly; if so, the report submitted by them;

(i) The amount of royalty received by the Govt. from these mines; and

(j) The action taken by the Govt. on the memorandum given by the Mines Labour Union of Mines Labourers of Arvir, Mewlamaharajapur, Lakarpur, Katan, Sarai and Gurukul?

Excise and Taxation Minister (Ch. Mehar Singh Rathee):

(a), (b), (c) & (h) : The State Govt. has no concern as the mines Act is administered by the Central Govt.

(d) No claim for any compensation has been filled by the dependents of these labourers with the authorities or the Labour Department under the Workmen's Compensation Act, 1923.

(e) No; does not arise.

(f) The dust emitted from the crushes is harmful for the labourers provided the workers are subjected to exposoure for several years. The stone crushes have been brought under the purview of the Fcatories Act, 1948; and the listed under the category of dangerous operations. The Govt. has appointed a Certifying Syrgeon to medically examine all the workers working on dangerous operations.

(g) Nil.

(i) Rs. 42,37,314.50 ps. for the year 1981.

(j) No such memorandum was recieved by the State Government in the recent past.

चौधरी हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, कल मुख्य मंत्री ने एक ब्यान दिया था (गोर एवं व्यवधान)।

कामरेड भांकर लाल: स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं
.....

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू:

.....

Mr. Speaker: Nothing will be recorded unless I call upon the member to speak. (Interruptions)

चौधरी हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि पी.डब्ल्यू.डी. के वर्कर्स और हुड्डा के दो वर्कर्स आमरण व्रत पर बैठे हैं। मुख्य मंत्री महोदय ने ब्यान दिया था कि जो एडहोक एप्पलाईज हैं उनको रैगुलर कर दिया है। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि वे उन कर्मचारियों का आमरण व्रत समाप्त कराएं। उन कर्मचारियों में से दो की हालत काफी खराब हैं। (गोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, अगर कोई माननीय सदस्य किसी को लाकर बैठा दे तो हम क्या कर सकते हैं। हमारा तो रास्ता बिल्कुल साफ है कि हमने जो एलान कर रखा है उसको इम्पलीमेंट कर दिया है। अगर कोई सियासी आदमियों के हाथ में खेलकर कोई गलत काम करता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। न इसमें किसी को उठाने की बात है और न ही बिठाने की बात है। कर्मचारी सियासी लोगों के बहकावे में आकर ऐसी बात करने लग जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। हमारी पूरी हमदर्दी इनके साथ है और जो आर्डर्स हमने कर रखे हैं उनको इम्पलीमेंट किया गया है।

परिवहन मंत्री (श्री जगननाथ): स्पीकर साहब, बहन सुशमा

श्रीमति सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि

Mr. Speaker: I entirely agree with you. I myself am very sorry. Nothing was recorded on this matter eariler and nothing will be recorded now.

ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर संक्षिप्त चर्चा

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जो लोग सिरसा से आए हैं उन्होंने इतला दी है कि कल वहां पर भयंकर रूप से ओले पड़े हैं। ओर बहुत भारी नुकसान हुआ है। सैंकड़ों गांवों में यह नुकसान हुआ है और यह सिलसिला पिछले दस पन्द्रह दिन से हरियाणा के मुखतलिफ हिस्सों में हो रहा है। ओलावृष्टि से हरियाणा में काफी नुकसान है। कल जो ओले पड़े हैं वे सिरसा जिले के सैंकड़ों गांवों में पड़े हैं। मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सैंकड़ों गांवों को एक दिन के लिए एडजर्न किया जाए और मुख्य मंत्री, कृषि मंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर मौके पर जाएं और मुखतलिफ हिस्सों में जो स्पेसियल गिरदावरी हो रही है वहां के लोगों को तसल्ली ददें जिससे की लोगों के अन्दर हौंसला आए। ऐसा करने से लोगों को यह यकीन आएगा कि वाकई

सरकार लोगों की मदद करना चाहती है। दूसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि सै। न को एक दो दिन में एडजर्न कर दें और जितना जल्दी हो सके सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए क्योंकि जितनी देर यह सरकार रहेगी ओले पड़ते रहेंगे। इस सरकार से भगवान खु। नहीं हैं। जितनी जल्दी यह सरकार त्याग पत्र देगी उतना ही हरियाणा के हित में होगा।

श्री अध्यक्ष: आपने ओलों की बात कही है यह ठीक कही है। आप इतना ही रहने दें।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जो कुछ कहा है वह ठीक ही कहा है। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि परमात्मा की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। नैचुरल आपदाएं आई हैं और कई जगह ओले पड़े हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह के पास तो बाद में इतला आई होगी मेरे पास तो पहले ही इतला आ चुकी थी। ये ओले जो कल पड़े हैं केवल सिरसा में ही नहीं पड़े बल्कि अम्बाला जिले में भी पड़े हैं। मैंने टैलीफोन पर डिप्टी कमि नर्ज को कहा है कि जहां कहीं ओले पड़े हैं वहां पर वे खुद मौके पर जाएं और बाकायदा जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवा कर सरकार के पास रिपोर्ट भेजें ताकि जो सरकार ने फैसला ले रखा है कि जहां कहीं 75 परसेंट तक नुकसान हुआ है वहां पर चार सौ रूपया फी एकड़, जहां पच्चीस से पचास परसेंट नुकसान हुआ है वहां तीन सौ रूपया फी एकड़ और जहां पच्चीस परसेंट तक नुकसान हुआ है वहां दो सौ रूपया फी एकड़ के

हिसाब से मुआवजा दिया जा सके। हमने उनको कहा है कि पूरी तत्परता के साथ काम किया जाए और यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी किसान के साथ किसी प्रकार की ज्यादाती न हो और गलत तरीके से गिरदावरी न हो। स्पीकर साहब, जैसे ही गिरदावरी की रिपोर्ट आएगी सरकार किसान को मुआवजा दे देगी।

श्री अध्यक्ष: मैं भी सरकार से दरखास्त करूंगा कि जो स्पे ाल गिरदावरी की जा रही है उसके बारे में डी०सी० साहिबान को सख्त हिदायत दे दें कि स्पे ाल गिरदावरी में बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। स्पे ाल गिरदावरी के लिए जो नार्मल रेवेन्यू स्टाफ है, वह काफी नहीं है इसलिए जिन इलाकों में ओले नहीं पड़े हैं वहां के पटवारियों और गिरदावरों को डिटेन करके ओले पड़ने वाली जगहों के लिए एडी ानल स्टाफ लगाया जाए, रेवेन्यू स्टाफ को स्ट्रेथन किया जाए और स्पे ाल गिरदावरी जल्दी से जल्दी की जाए।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही भानदार बात कही है। हमने तो आलरेडी डी०सी० को इस संबंध में हिदायतें दे रखीं हैं। मैं बताना चाहता हूं कि एक जिले में भी सभी जगहों पर ओले नहीं पड़ते। एक जिले का स्टाफ काफी होता है इसलिए हम जहां पर ओले पड़ते हैं वहां सारे स्टाफ की ड्यूटी लगा देते हैं ताकि गिरदावरी वगैरह का काम जल्द हो सके। जिले में डी०सी० अपने सारे स्टाफ को लेकर दूसरी तहसीलों में भी जाता है जहां परकि ओले पड़े हो। अगर

किसी मैम्बर साहब के पास इन हिदायतों की उल्लंघना के बारे में कोई विज्ञापित है तो वे हमारे नोटिस में लाएं, हम उस पर फौरी तौर पर एकान्त लेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय ऐसे मौके पर जाते आते रहते हैं। श्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि हाउस को एक दो दिनों के लिए एडजर्न कर देना चाहिये और मंत्री व मुख्य मंत्री को मौके पर जाकर सारी स्थिति को देखना चाहिये। ऐसी कोई बात नहीं है, इस बारे में सरकार पहले ही सतर्क है और किसी किस्म की ढील गिरदावरी के काम में नहीं हो रही है। हरियाणा प्रांत की जनता यह भली भांति समझती है कि मौजूदा सरकार की अपने किसानों के साथ पूरी हमदर्दी है और किसानों के हितों को पूरी तरह से ध्यान में रखे हुए है।

डा० मंगल सैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, कल मैंने एक प्वायंट रेज किया था कि जींद के अंदर जो सत्याग्रह चल रहा है, जो धरना चल रहा है, उन लोगों की गिरफ्तारियां चल रही हैं, उनको टारचर किया जा रहा है। इस बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि वे जवाब देंगे। लेकिन कल पता नहीं बोलते हुए क्यों इस बात का जवाब देने में विचल गये? स्पीकर साहब, अगर मुख्य मंत्री महोदय जवाब दे देते तो बड़ी अच्छी बात थी क्योंकि वहां पर इस बारे में हलचल है। (गौर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Please take your seat. It is no point of order. (Interruptions). If you want to discuss this matter, give a substantive motion and I will consider it.

Dr. Mangal Sein: Sir, my motion is therer.
(Interruptions)

श्री अजीत सिंह: स्पीकर साहब, जवाहर लाल नेहरू कैनल करनाल के पास से टूट गई है, उसके टूटने से किसानों की हजारों रूपये की फसल तबाह हो गई है। उससे रोहतक जिले के कुछ गांवों गोछी, घांघलान, बेरी, बिसान, बाकरा, दूबलघन, अछेज, पहाड़ीपुर, मातनहेल वगैरह वगैरह को बड़ा नुकसान पहुंचा है और इस इलाके में किसानों की हजारों रूपये की फसल को नुकसान हुआ है। इस नहर में सीपेज है, चूहों के बिल है और यह नहर ओवर फलो भी करती है, रिस्ती है इसलिये इस नहर के रिसने से जो जमीन का और खेतों में फसलों का नुकसान हो रहा है, उसकी रोकथाम का सरकार द्वारा जल्दी ही प्रबंध किया जान चाहिए। इसके साथ साथ मेरी एक और रिक्वेस्ट है जिन किसानों की फसले नहर के पानी के कारण बरबादी हो गयी है, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए और सरकार यह भी बताए कि उनको किस तरह से मुआवजा दिया जाएगा?

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, यह एक चिट्ठी मुझे भिवानी जेल से मिली है, इस में कैदियों ने लिखा है.....
.....

Finance Minister(Chaudhri Khurshid Ahmed): Sir, it is a private letter and has no concern with the House. It has got no relevancy. It is a concocted story. It has been

fabricated deliberately. Therefore, I request that nothing should be recorded in this regard. (Interruptions)

Mr. Speaker: It should not be recorded.

ध्यानाकर्षण सूचना

पंजाब तथा हरियाणा के मध्य रावी-ब्यास के पानी के बंटवारे तथा प्राईम मिनिस्टर द्वारा दिये गये एवार्ड संबंधी

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, मुझे राव राम नारायण, श्री रामलाल वधवा, श्री वीरेंद्र सिंह, एम0एल0एज0 की तरफ से रावी ब्यास पानी के बंटवारे और उस पर प्राईम मिनिस्टर आवार्ड से संबंधित काल अटैं इन मो इन प्राप्त हुए है। मैं उन्हें एडमिट करता हूं। राव राम नारायण जी अपना मो इन पढ़ दें और फिर मंत्री महोदय अपना जवाब आज देना चाहें तो दे सकते है या टाईम मांग सकतसे है।

आवाजें: स्पीकर साहब, होस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलता तो आप इस बारे में मेरे चैम्बर में आकर मुझ से बातचीत करें। (तोर एवं व्यवधान)

(चौधरी जगजीत सिंह पोहलू की ओर से बार बार व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पोहलू साहब, आप आल इंडिया लैवल की पार्टी के इस हाउस में लीडर है। आप एक दफा, दो दफा, तीन दफा बगैर मेरी इजाजत के बोल चुके है। अब मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप कृपया अपना टाईम लेकर फिर बोलें। (गोर एवं व्यवधान)।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा भी मोान है, मैं भी पढ़ देता हूं, इकट्ठा जवाब दे देंगे। केवल आपके दो मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: वधवा साहब, पहले चीफ मिनिस्टर साहब कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछ लें। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवा: प्रश्न तो बाद में होगा ही डिप्टी स्पीकर साहब, अब आप मुझे केवल दो मिनट बोलने के लिए दे दीजियेगा। वैसे काल अटैन्स मोान को पुट करने का यह तरीका होता है कि जिसका मोान हो, उसे पढ़ने का अवसर यहाँ टाइम दिया जाता है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वधवा साहब, आप कृपया बैठिये।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कल हाउस में राव बीरेन्द्र

सिंह जी का नाम एम चिट्ठी के साथ जोड़ा गया था। मैंने अपने तौर पर एस.डी.एम. बहादुरगढ़ से इस बात की पूरी जानकारी प्राप्त की है, उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह की कोई चिट्ठी नहीं है। ये जो ऐलीगे नज यहां पर लगाये गये हैं, वे बे-बुनियाद है, इसलिलए राव साहब का नाम इस सदन की कार्यवाही में से निकाला जाए।

श्री उपाध्यक्ष: इस सदन में जो व्यक्ति अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, अगर उने प्रति कोई आरोप लगाया गया है तो वह सदन की कार्यवाही में नहीं आएगा।

मास्टर रिाव प्र ताद: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। कल मुख्य मंत्री जी ने अपनी स्पीच में श्री हुक्म चन्द गोयल का नाम लिया था और मैंने उसके बारे में कहा था कि इनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए लेकिन वह कार्यवाही से नहीं निकाला गया है।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने कहा है कि जो व्यक्ति इस सदन में अपने आपको डिफेंड नहीं कर सकते उन के नाम सदन की कार्यवाही में नहीं आएंगे।

मास्टर रिाव प्र ताद: धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अब राव रामनारायण जी काल अटैन् न मो न पढें।

Rao Ram Narain: I want to draw the attention of this august House towards the matter of urgent public importance that Haryana State came into existence on 1st November, 1966. Since, then Haryana State has been deprived of its share of Ravi-Beas water for irrigation purposes with the result that large tracts of Mohindergarh District and Bhiwani District remain affected by famine condition.

Award given by Smt. Indira Gandhi in 1975 was not honoured by Punjab State. The matter was re-opened.

After 1975 Haryana State constructed J.L.N. Canal and spread its network by constructing its distributaries and minors. They all go dry upto this time although crores of rupees have been spent.

Had Haryana State got its share of water as early as 1968-70, the State would have earned crores of rupees by producing extra food-grains.

Smt. Indira Gandhi, our worthy Prime Minister of India, has again given her award keeping the share of Haryana intact. But the Carrier channel of about 100 K.M. is to be constructed in Punjab territory. It should be constructed soon. It should be designed and constructed by Haryana Engineers. Its capacity should be such as it may carry more water which may be increased in future.

Punjab will put so many excuses to delay the matter. Haryana Government should have the good offices of Central Government to get the work of Carrier channel completed as expeditiously as possible. Smt. Indira Gandhi may be request to lay the foundation stone. Haryana State has

already lost some time. This is a matter of great public importance. So Haryana State Government are requested to make a statement on the floor of the House as to what steps have been taken to complete work with electric speed and thus allay the apprehensions of Haryana farmers.

Ch. Ram Lal Wadhwa: I want to draw the attention of this House towards this matter of urgent public importance that an agreement has been got made by the Prime Minister, Smt. Indira Gandhi on the 31st December, 1981, 1981 between the Haryana and Punjab Government about the distribution of Ravi Beas water. This agreement is harmful for Haryana and it is against its interest. The Chief Minister of Haryana has breached the rights of Haryana state by signing this agreement.

Before making this agreement the present Prime Minister had given a decision in the year 1976 according to which quantity of water was estimated to be 15.85 MAF water at that time, out of which Haryana and Punjab each of them was given 3.50 MAF water. Rajasthan and Jammu & Kashmir were given 8 MAF and 0.65 MAF water respectively. According to the present agreement the quantity of water has been shown as increased from 15.85 MAF to 17.17 MAF and the water has been distributed as follows:-

1	Punjab	4.22 MAF
2	Haryana	3.50 MAF
3	Rajasthan	8.60 MAF
4	Delhi	0.20 MAF

5	Jammu-Kashmir	0.65 MAF
	Total	17.17 MAF

Whereas Punjab and Rajasthan have got more share of water than before Haryana has not been given any share from the increased quantity of water which is a great injustice to Haryana and the Chief Minister, Sh. Bhajan Lal, is responsible for this injustice. The Chief Minister has done another great injustice with Haryana state that according to this agreement Punjab will go on utilising the share of Rajasthan till the Rajasthan does not make any arrangements to utilise this water in their State. The Haryana has not been given any right to utilise water out of this water. This thing is not been given any right to utilise water out of this water. This thing is not understandable that how did the Chief Minister agreed to this decision and he accepted to take less share of water out of the increased quantity of water. This is betrayal with the public of Haryana and it is just to sell the rights of Haryana in the hands of Punjab.

Immediately after the agreement, the Chief Minister had made an announcement and it is also mentioned in the agreement that the work on Satluj-Yamuna link canal will be started in Punjab State within 15 days for bringing water into Haryana but the work has not been started on it so far. The Chief Minister had also been making this announcement that the Prime Minister will inaugurate this work but no action has been taken on this agreement even after the lapse of two months.

The Punjab is not serious about the construction of this canal and is playing the tricks to delay it. Sometime the news comes that the Punjab Government has asked for changing the present course of canal and to adopt the new course for it and sometime more money is asked for construction of the canal. They are trying to delay the matter with one excuse or the other. The decision taken in 1976 has not been implemented till 1982 and now it appears that the new agreement will also not be implemented.

There is great resentment amongst the public of Haryana on this matter which relates to the economic condition of Haryana and will cause a special impact on the development of the State. It is a serious matter and relates to the present situation. Therefore, I draw the attention of the Government towards this matter of urgent public importance and request the Chief Minister to clarify the position by making a statement in the House and to take the House in confidence.

Sh. Verender Singh: I want to draw the attention of this House towards this matter of urgent public importance that the Ravi Beas water dispute was resolved in the year 1976 and Haryana was allocated 3.5 MAF water out of the flow in the river, estimated to the extent of 15.85 MAF. The present Congress (1) Government in Haryana reopened the issue while the stand of Ch. Devi Lal's Government consistently was that the Award of 1976 was not negotiable. The present Government has signed an agreement which is detrimental to the interest of Haryana State and its people. The flow in the rivers had been estimated notionally as 17.5 MAF., out of this

wate Punjab has been given 4.8 MAF but Haryana's share has been kept 3.5 MAF. If mathematically worked out, if the flow of water is 15.85 MAF then the share of Haryana comes to 3.05 MAF instead of 3.5 MAF water. This clearly shows that by reopening the issue and by the withdrawal of the case in the Supreme Court the State of Haryana has suffered a lot at the hands of the present Govt. Not only this but the present Govt. has also agreed to dig up the canal in Punjab portion with a capacity of 6500 cusecs whereas the capacity of canal in Haryana portion is already 7500 cusecs. This also shows that the share of water for Haryana has been decreased. But the present Govt. is misleading the people of Haryana and is claiming as if it has achieved a great feat. Because of this agreement there is a great resentment amongst the people of Haryana and they are feeling agitated and much concerned. The matter is of urgent public importance. It is, therefore, prayed that the statement clarifying the position be made by the Minister concerned in this august House immediately.

वक्तव्य

मुख्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण सूचना सम्बन्धी

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): पंजाब तथा हरियाणा सरकारों के साथ लगभग सात वर्षों के अर्से के विचार विमर्श के पश्चात् भूतपूर्व पंजाब के हिस्से में आने वाले सरपलस रावी और ब्यास के फालतू पानी की बांट भारत सरकार के आदेश दिनांक 24-3-1976 द्वारा दी गई थीं। इस बांटवारे के अनुसार, 7.2 एम.ए.

एफ. सरपलस रावी ब्यास पानी में से हरियाणा को 3.5 एम.ए.एफ., पंजाब को 3.5 एम.ए.एफ. और देहली के लिए 0.2 एम.ए.एफ. पानी दिया जाना था। पंजाब ने इस बंटवारे को स्वीकार नहीं किया था और इसको दुबारा जांचे जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण करने से भी इन्कार कर दिया था जिसके माध्यम से हरियाणा के भाग का पानी हरियाणा में आना था। यह गतिरोध 1980 तक चलता रहा। 1979 में पंजाब तथा हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में मुकद्दमे दायर कर दिये।

केन्द्र, हरियाणा तथा पंजाब में कांग्रेस (आई) की सरकारों की स्थापना पर हरियाणा सरकार ने पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना लिंक कैनल के निर्माण का प्र न पंजाब तथा केन्द्रीय सरकार के साथ उठाया तातिक इस समस्या का समाधान किया जा सके। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण मामले पैडिंग थें, जैसे कि हैडवर्कस का कंट्रोल और राजस्थान का भाखड़ा सिस्टम के माध्यम से 0.57 एम.ए.एफ. पानी को लिये जाने का क्लेम। इन सभी मसलों पर केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार विम र्फ किया और प्रधान मंत्री जी के आ र्पिर्वाद से तीनों राज्यों में एक विस्तृत समझौता हुआ जिस पर 31-12-1981 को हस्ताक्षर किये गये। इस समझौते की मुख्य व्यवस्थाएं और उनकी विवक्षा निम्न प्रकार है:-

(क) पंजाब सरकार ने पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना लिंक नहर का समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के 2 वर्षों के

अन्दर निर्माण करना स्वीकार कर लिया है। जहां तक हरियाणा का संबंध है यह एक बहुत महत्वपूर्ण मसला था क्योंकि इस बारे में किसी प्रकार के समझौते के बगैर सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण तथा रावी ब्यास के जल में से हरियाणा का भाग उपलब्ध होना बहुत ही अनिश्चित था।

(ख) भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को यह अनुमति दे दी गई कि वह पानी के नापे जाने के लिए सभी अवश्यक उपाय ताकि सभी संबंधित राज्यों को उनके अधिकार का पानी मिल सके। कंट्रोल प्वाइंट्स बोर्ड द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। कंट्रोल प्वाइंट्स में वह सभी प्वाइंट्स शामिल हैं जिनसे भाखड़ा और रावी ब्यास दरयाओं का डिस्चार्ज एक या अधिक राज्यों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है तथा दरयाओं और नहरों पर सभी रैगुलेटिंग प्वाइंट्स भी शामिल हैं ताकि हिस्से में आने वाली सप्लाई का निर्धारण किया जा सके। इस प्रकार हैड वर्क्स का प्रभावी कंट्रोल अब भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा डिस्चार्ज की जांच पड़ताल किये जाने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके फलस्वरूप हरियाणा तथा राजस्थान सतलुज, ब्यास और रावी की सप्लाईज में से अपने भाग का जल प्राप्त किये जाने में कठिनाई महसूस करते रहें

(ग) 1955 के समझौते और 24-3-1976 के आदेशों में दिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भागों की नाम मात्र एडजस्टमेंट की गई है जिससे हरियाणा का हिस्सा, 3.5 एम.ए.एफ. कायम रखा गया।

(घ) पंजाब, राजस्थान के उस पानी को जोकि राजस्थान की आवयकता से अधिक है तब तक इस्तेमाल कर सकेगा, जब तक कि राजस्थान अपने भाग के सारे पानी का उपयोग करने की स्थिति में नहीं हो जाता। पंजाब अपनी भूमि की सिंचाई के लिए आवयक प्रबन्ध भीघ्रता से उस समय की अवधि में कर लेगा जब तक राजस्थान अपने भाग के पूरे जल का प्रयोग करने की स्थिति में हो जाता है। वास्तव में पंजाब पहले ही राजस्थान के भाग के उस पानी को जो उसकी आवयकता से अधिक है, उपयोग कर रहा है। हरियाणा द्वारा ऐसा उपयोग कैरियर चैनल न होने के कारण संभव नहीं था। वास्तव में हरियाणा इसी कारणवत अपनी भाग के पानी का भी उपयोग नहीं कर सकता था।

(ङ) राजस्थान के 0.57 एम.ए.एफ. पानी को सतलुज यमुना लिंक/भाखड़ा सिस्टम के माध्यम से कनवे किये जाने के क्लेम के बारे में यह मान लिया गया था कि इस का निर्णय भारत सरकार के सचिव, सिंचाई मंत्रालय द्वारा किया जायेगा। इस मामले का फैसला हो चुका है।

(च) सतलुज यमुना लिंक नहर की कपैसटी पंजाब तथा हरियाणा 15 दिन के अन्दर आपस में मिल कर तय करेंगे अन्यथा यह 6500 क्यूसिक्स होगी। इस मामले में पंजाब सरकार के साथ अभी बातचीत चल रही है। हमने अपने क्षेत्र में 7500 क्यूसिक्स कपैसटी की नहर का निर्माण किया है। लेकिन चेयरमैन, सैन्ट्रल

वाटर कमिशन ने अगस्त 1978 में नहर की कपैस्टी 6500 क्यूसिकस रिकमेंड की थी। हरियाणा ने इसे विरुद्ध प्रतिवेदन किया कि कपैस्टी 7500 क्यूसिकस ही होनी चाहिए। आजा की जाती है कि पंजाब सरकार के साथ इस बारे में संतोशजनक हल निकल आयेगा।

(छ) सतलुज नहर की भू रेखा, समझौता के 3 मास के अन्दर तय कर ली जायेगी अन्यथा इस मामले का निर्णय भारत सरकार 2 सप्ताह के अन्दर करेगी। सदन को यह जान कर खुशी होगी कि भू रेखा के बारे में पूर्ण सहमति हो गई है।

(ज) हरियाणा तथा पंजाब सरकारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किये हुये अपने मुकद्दमें किसी रिजर्वेशन के बगैर, परन्तु एग्रीमेंट की धाराओं के अधीन रहते हुए वापिस ले लिये जायेंगे। यह मुकद्दमे वापिस लिये जा चुके हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समझौता जो राष्ट्रीय हित की भावना से किया गया है, इससे तीनों राज्यों हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान को लाभ हुआ है। पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना लिंक नहर न होने के कारण हरियाणा को हर वर्ष पैदावार के रूप में 100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की हानी होती रही है। खरचीचल और लम्बी अवधि तक चलने वाली मुकद्दमें बाजी में फंसे रहना कोई समझदारी की बात नहीं थी क्योंकि इससे तनाव और झगड़ा ही बढ़ता और नहर के निर्माण के बारे में फिर भी भांका ही बनी

रहती। समझौते पर पहुंचना एक दूरदर्शिता का काम था जिससे पंजाब और हरियाणा सरकारों के बची सदभाव का एक नया युग आरम्भ होगा और हमारे राज्य में खुशहाली आयेगी। हरियाणा अपनी लिफ्ट सिंचाई स्कीमों से पूरा लाभ उठा सकेगा और राज्य के बाकी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का सुधार कर सकेगा। समझौते का राज्य की जनता के सभी वर्गों ने स्वागत किया है और वह रावी ब्यास से बहुत देर से प्रतिक्षित होने वाले लाभों की ओर देख रहे हैं जोकि हरियाणा का नहर के निर्माण हो जाने पर प्राप्त होंगे।

सदन को यह बताते हुए मुझे हर्ष है कि प्रधान मंत्री जी ने पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना लिंक नहर का उद्घाटन 8-4-1982 को करना स्वीकार कर लिया है।

चौधरी राम लाल वधवा: मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे कौन से हालात हैं जिसके नीचे हरियाणा ने दो बातों पर ठीक रूप से ध्यान नहीं दिया और जिसकी वजह से हरियाणा को नुकसान हुआ है। पहली बात तो यह है कि पानी 15.85 एम.ए.एफ. की बजाए 17.17 एम.ए.एफ. बढ़ा हुआ बताया गया है। इसमें से हरियाणा को पूरा हिस्सा क्यों नहीं मिला और पंजाब को ज्यादा क्यों मिला? दूसरी बात यह है कि जो पानी राजस्थान को मिलना है जब तक वह उसका इस्तेमाल नहीं करता तब तक उस हिस्से में से हरियाणा को पानी क्यों नहीं मिलेगा जबकि पंजाब उस पानी को इस्तेमाल करेगा। क्या हम यह समझें कि

मुख्य मंत्री जी पानी के बंटवारे की लड़ाई को ठीक तरह से नहीं लड़ सके ?

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी राम लाल जी ने दो प्वायंटस उठाए हैं। एक तो यह कि बढ़े हुए पानी का हिस्सा हरियाणा को क्यों नहीं मिला। इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि बरसात के दिनों में वहाँ कुछ पानी बड़ेगा। अगर बढ़ा हुआ पानी पंजाब को मिले तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि हमारे हिस्से का पानी नहीं कटना चाहिए। आप जानते हैं कि किस तरह से हमारे अधिकारियों ने इस मामले को फाइट किया है। इनको नुकसान वाली बात की जानकारी है कि हरियाणा प्रान्त को यह फैसला न होने की वजह से कितना नुकसान हो रहा था। अगर यह केस कोर्ट में रहता तो इसका फैसला होने में 5-10 साल लग सकते थे। तो आप अन्दाजा लगाएं कि इतने अर्से में कितना नुकसान इस प्रान्त का होता। इसलिए प्रान्त और ने इन के हित में यह बहुत भानदार फैसला हुआ है। दूसरा इन्होंने एक प्वायंट रोज किया कि राजस्थान का पीन पंजाब इस्तेमाल करता है हरियाणा क्यों नहीं करता ? उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी नहरें हैं वे सारी पंजाब में से गुजरती हैं। यदि यह पानी हरियाणा में से गुजरे तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पानी का हरियाणा से थोड़ा बहुत भी लगाव नहीं है। उस पानी को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कैरियर चैनल भी नहीं है। इस पीन को पंजाब तक तक इस्तेमाल करेगा

जब तक राजस्थान कैनल बन कर तैयार नहीं हो जाती। जिस समय राजस्थान कैनल तैयार हो जाएगी उस समय राजस्थान स्टेट उस पानी का इस्तेमाल करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा भानदार फैसला हुआ है। इस फैसले से हरियाणा प्रान्त को बेहद खुशी है। लेकिन कुछ सियासी लोग अपना मतलब हासिल करने के लिए इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेनाल्टी करना चाहते हैं। (गोर एवं विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, जो सवाल चौधरी राम लाल वधवा ने मुख्य मंत्री जी से पूछा था उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने यह सवाल पूछा था कि 1921 से 1945 की फलो सीरीज के हिसाब से 15.85 एम.ए.एफ. वाटर ही बनता है और पानी में 15.8 एम.ए.एफ. से 17.17 एम.ए.एफ. की नो गारंटी इन्क्रीज हुई है लेकिन इन्क्रीज के हिसाब से पानी में हरियाणा को हिस्सा नहीं मिला। इसका क्या कारण है ? मुख्य मंत्री जी 17.17 एम.ए.एफ. में से 3.5 एम.ए.एफ. पानी मान कर आए हैं जबकि श्रीमति इन्दिरा गांधी ने हरियाणा प्रान्त को पहले जो अवार्ड दिया था वह 15.85 एम.ए.एफ. पानी में से 3.5 एम.ए.एफ. पानी दिया था। लेकिन मुख्य मंत्री जी 17.17 एम.ए.एफ. पानी में से 3.5 एम.ए.एफ. पानी ही मान कर आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने किस कारण से दबाव में आ कर हरियाणा का नुकसान किया है क्योंकि बढ़े हुए पानी में से अपना क्लेम छोड़ दिया। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा और पंजाब दोनों

सरकारों के सुप्रीम कोर्ट में दावे दायर थे। क्या मुख्य मंत्री जी को यह पता है कि 1950 के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस किस्म के तीन केसिज आए हैं और उन केसिज में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यू लिया था कि इस किस्म के केसिज का एक साल के अन्दर अन्दर फैसला कर दिया जाएगा ? क्या मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं थी ? लेकिन मुख्य मंत्रीजी इस बहम में रह गए किए यह मामला तो 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहेगा और फैसला कर आए। एस.वाई.एल. का जो फैसला किया है उसमे ये हरियाणा के हितों को बेच कर आए हैं।

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको क्या बताऊं ? इनकी जो कारगुजारियां रही हैं उनके बारे में सबको मालूम है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी जब जनता पार्टी की सरकार में आई.पी.एम. थे उस समय इन्होंने एक इंच पानी नहीं मांगा। आज ये किस मुह से कहते हैं कि हरियाणा प्रान्त को फालतू पानी मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा को जितना पानी मिलना चाहिए था वह मिला है। हरियाणा हितों की पूरी रक्षा की गई है। इसे अलावा यह कहते हैं कि एक साल के अन्दर यह फैसला हो जाना चाहिए था। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि आप भी 2 साल 6 महीने मंत्री रहे हैं उस समय आपने यह फैसला क्यों नहीं करवाया आज किस मुंह से यह बात कहते हैं कि एक साल के अन्दर यह फैसला हो जाना चाहिए था। सारी बातों को सामने रख कर यह फैसला किया गया है और बड़ा भानदार

फैसला हुआ है। इस फैसले में हरियाणा प्रान्त के हितों की रक्षा पूरी तरह से की गई है। इस फैसले से हरियाणा की जनता बहुत खुश है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि नई एलाइनमेंट पंजाब के किस एरिया से हुई है ?

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने कल ही बता दिया था कि पहले 122 किलोमीटर एलाइनमेंट थी अब उसमें 14 किलोमीटर कम हो गई है और वह सारी कम्पलीट हो गई है। इस बारे में पंजाब के इंजीनियर्स और हमारे इंजीनियर्स ने आपस में बैठकर फैसल किया है। उसका आधार मिला हमारे देश की महान नेता प्रधान मंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी 8 अप्रैल को अपने हाथों से कस्सी मार कर रखेगीं

चौधरी राम लाल वधवा: ये हरियाणा की जनता के भाग्य का सौदा करके आए हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि एस.वाई.एल. नहर का पानी हरियाणा में कौन सी डेट तक पहुंच जाएगा ?

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहले तो यह कह दिया है कि जो फैसला हो गया है वह ठीक है और नहर भी बन जाएगी। जब नहर बनने का प्रोग्राम तय हो गया तो यूँ पूछने लग गए कि पानी कब तक आ जाएगा। मैं सदन में यह बात

दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे देश की महान नेता, प्रधान मंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी इस नहर को खोदने के लिए आधार पाला रखेगी और जो काम दो साल में होना चाहिए था वह एक या डेढ़ साल के अन्दर अन्दर मुकम्मल हो जाएगा।

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट

श्री उपाध्यक्ष: अब मैं बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट पेश करता हूँ:-

“The Committee met at 11.00 A.M. on Monday, the 22nd March, 1982, in the Chamber of the Hon. Speaker.”

The Committee after some discussion, recommended that the Business on the 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 29th, 30th, 31st March, 1st April and 2nd April, 1982 be transacted by the Sabha as follows:-

<p>Tuesday, the 23rd March, 1982 (9.30 A.M.)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Question Hour. 2. Presentation and Adoption of the Second Report of the Business Advisory Committee. 3. Leave to introduce and introduction of Government Bills. 4. Discussion and Voting on Supplementary Estimates (Second Installment) for the
---	---

	<p>year 1981-82.</p> <p>5. Discussion and Voting on Excess Demands for Gramnts over Appropriations for the year 1977-78.</p>
<p>Wednesday, the 24th March, 1982 (9.30 A.M.)</p>	<p>1. Question Hour.</p> <p>2. Papers to be laid on the Table.</p> <p>3. General discussion on Budget.</p>
<p>Thursady, the 25th March, 1982 (9.30 A.M.)</p>	<p>1. Question Hour.</p> <p>2. Non-Official Business.</p>
<p>Friday, the 26th, March, 1982 (9.30 A.M.)</p>	<p>1. Question Hour.</p> <p>2. Resumption on General Discussion on Budget.</p>
<p>Saturday, the 27th March, 1982 (9.30 A.M.)</p>	<p>1. Resumption of general Discussion on Budget and reply by the Finance Minister.</p>
<p>Sunday, the 28th March, 1982 (9.30 A.M.)</p>	<p>Holiday.</p>
<p>Monday, the 29th March, 1982 (11.00 A.M. to 6.00 P.M.)</p>	<p>1. Question Hour.</p> <p>2. Discussion and voting on Demands for Grants of</p>

	Budget.
Tuesday, the 30 th March, 1982 (9.30 A.M.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Question Hour. 2. Presentation of assembly Committee Reports. 3. Discussion and voting on Demands for Grants of Budget.
Wednesday, the 31 st March, 1982 (9.30 A.M.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Question Hour. 2. Motion under rule 30. 3. Appropriations Bill in respect of Budget. 4. Appropriations Bill in respect of Supplementary Estimates. 5. Appropriations Bill in respect of Excess Demands for Grants over Appropriations.
Thursady, the 1 st April, 1982 (9.30 A.M.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Question Hour. 2. Legislative Business <ol style="list-style-type: none"> (i) The Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill, 1982 (alongwith notice of disapproval of the Ordinance

	<p>goiven notice of by Sh. Ram Lal Wadhwa, M.L.A.)</p> <p>(ii) The Faridabad Complex (Regulation and Development), Amendment Bill, 1982 (alongwith notice of disapproval of the Ordinance goiven notice of by Sh. Ram Lal Wadhwa, M.L.A.)</p> <p>(iii) The Punjab Cinemas (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1982.</p> <p>(iv) The Haryana Public Wakfs (Extension of limitatation) Bill, 1982.</p> <p>(v) The Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1982.</p>
<p>Friday, the 2nd April, 1982 (9.30 A.M.)</p>	<p>1. Question Hour.</p> <p>2. Motion Under rule 15.</p> <p>3. Motion under rule 16.</p> <p>4. Legislative Business</p> <p>(i) The East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment</p>

	<p>Bill, 1982</p> <p>(ii) The Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1982.</p> <p>(iii) The Haryana Affiliated College (Security of Service) Amendment Bill, 1982.</p> <p>(iv) The Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Amendment Bill, 1982.</p> <p>(v) The Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill, 1982.</p>
--	--

इस रिपोर्ट के हिन्दी व र्नि में 29-3-82 को होने वाली बैठक का समय इनऐडवरटेंटली 9.30 बजे टाईप हो गया है, इसको 9.30ण बजे की बजाये 11.00 बजे पढ़ा जाए।

वित्त मंत्री (चौधरी खुर गिद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारि गों के साथ सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:-

कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के साथ सहमत है।

चौधरी राम लाल वधवा: उपध्यक्ष महोदय, यह बजट सेशन आखिरी सेशन है। यहां पर प्रत्येक मैम्बर को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट पेश की गई हैं इसमें दो तिथियों पर सदन की कार्यवाही चलाने के बारे में मुझे आपत्ति है। पहली तिथि तो 27-3-82 है। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि इस दिन भानिवार है। भानिवार को छुट्टी होती है। दूसरे 2 अप्रैल को भी सेशन न दख दिया है। इस दिन भी छुट्टी है। 2 अप्रैल को हिन्दुओं का सबसे बड़ा पवित्र त्यौहार है। यह बापू गांधी जी का भी माना हुआ त्यौहार है। इस राम राम नवमी के दिन हरेक आदमी भगवान राम की मन्दिरों में जाकर पूजा करता है और व्रत आदि रखता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस दिन भी सेशन न किया जाये। मेरी समझ में नहीं आता कि छुट्टी वाले दिन भी ये मैम्बरों को क्यों बैठा रहे हैं? यह ठीक बात नहीं है। सरकार को अपने बिजनैस का पता होता है कि उसे पास कितना बिजनैस है यदि सरकार यह समझती है कि उसके पास बिजनैस ज्यादा है तो उसे सेशन पहले भुरु करना चाहिए। यह तो सरकार ने फैसला करना होता है। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा हूँ कि छुट्टी वाले दिन सेशन न रखा जाये। इन दोनों छुट्टियों की बजाये सेशन 5 और 6 अप्रैल को रख लिया

जाये क्योंकि 3 और 4 अप्रैल को भी छुट्टी है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि ये इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं ? चुनाव तो अभी जूना से पहले हो नहीं रहे फिर इनको इतनी जल्दी भागने की क्या जरूरत है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपके द्वारा लीडर आफ दि हाउस से नुरोध करता हूँ कि 27 मार्च और 2 अप्रैल के सैशन की बजाये 5 और 6 अप्रैल का सैशन रख लिया जाये।

चौधरी संत कंवर: उपाध्यक्ष महोदय, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट सदन में पेश की गई है इसका मैं विरोध करते हुए, कुछेक बातें सदन के सम्मुख रखना चाहता हूँ। इसके साथ ही साथ वध्वा जी ने जो बात कही है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, 2 तारीख को हिन्दुओं का पवित्र त्यौहार है। इस बात को आप भी मानते हैं कि यह हमारा पवित्र त्यौहार है। इस दिन की छुट्टी होनी चाहिए। मैं विरोध इसलिए भी कर रहा हूँ कि दो तारीख को सैशन का आखिरी दिन है आप जानते हैं कि उस दिन क्वैचन आवर के बाद प्रत्येक मैम्बर को अपने अपने घर जाने की इच्छा होगी क्योंकि उस दिन रामनवमी का त्यौहार भी है। उस दिन 5 बिल भी रखे गए हैं समय कम है। मैम्बर साहेबान इस पर अधिक बहस नहीं कर सकेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो 2 तारीख का एजेंडा है उसको पहले कर लें और बजट डिमांडज को बाद में रख लें। दूसरी बात जो चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने कही है कि सारे प्रदेश में ओलों और बारिश की वजह से फसलों को काफी

नुकसान हुआ है, कल भी बारि । हुई और ओले भी पड़े हैं इस पर बहस होनी चाहिए। इस में जल्दी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। यह हाउस 5-6 तारीख तक चलना चाहिए और बीच में 2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए।

श्री देवी दास: उपाध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट हाउस में पे । की हैं मैं उसका विरोध करता हूँ और जो बातें चौधरी राम लाल वधवा जी ने कही हैं, उनका समर्थन करता हूँ। 27 तारीख को भानिवार का दिन छुट्टी का दिन है। इसी प्रकार से 2 अप्रैल को भी राम नवमी होने की वजह से छुट्टी का दिन है। इन दोनों दिनों में सै । न नहीं होना चाहिए। हमारे पड़ोसी राज्य के अन्दर भी आज भाहीद भगत सिंह दिवस है वहां पर आज की छुट्टी है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदे । अपने आप को भगवान राम का पुजारी कहलाता है। इसलिए मैं ज्यादा न कहता हुआ सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि राम नवमी की छुट्टी होनी चाहिए और जो बातें वधवा जी ने कही हैं, उनका समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ। (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: कामरेड जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

कामरेड भांकर लाल: मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि दो तारीख को राम नवमी वाले दिन अवका । होना चाहिए।

श्री मूल चन्द जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, जो बातें राम लाल वधवा जी की तरफ से आयी हैं वह ठीक हैं। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि आज प्रातः स्पीकर साहब ने वाटर पोल्यूशन के मामले में आधा घंटा की डिस्कशन एलाऊ की है। इसलिए उसको भी इस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में शामिल कर लिया जाए।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि यह सेशन इन इस अवधि का आखिरी सेशन है। फिर दुबारा हम में से कोई आये या न आये इसलिए अब सब को बोलने का खुला मौका मिलना चाहिए। मैं गवर्नर एड्रेस पर सिर्फ 5-6 मिनट ही बोला था। यहां पर एक एक एम.एल.ए. एक एक लाख लोगों की नुमायंदगी करता है। इस असेम्बली के अन्दर 90 एम.एल.ए. हैं इसलिए सब को बोलने का मौका देते हुए सेशन 6 तारीख तक चलना चाहिए। हमारे यहां पर कांग्रेस (आई) भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। इन सभी को बोलने का खुल कर मौका मिलना चाहिए। सबसे बढ़िया पार्टी और रीयल कांग्रेस जो है वह बाबू जगजीवन राम जी की पार्टी है जिसका मैं मैम्बर हूँ। (विधन) चौधरी भजन लाल जी उनकी कद्र करते हैं क्योंकि उनके घर में जाकर ही ये चीफ मिनिस्टर बने थे। अब मैं उनकी पार्टी में शामिल हुआ हूँ भायद मेरा नम्बर भी पड़ जाए (हंसी) इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सेशन का टाइम का हफ्ता बढ़ा दिया जाए

और कम से कम एक घंटे का टाईम मुझे बोलने के लिए दिया जाए क्योंकि हाउस में उस पार्टी का मैं लीडर हूँ। इस सरकार को कोई खतरा नहीं है। जून में इलैक्शन हो जाएगा। फिर पता नहीं किसको यहां बोलने का टाईम मिले या न मिले। (विधन) अगर सरकार के खिलाफ मैम्बर्ज साहेबान कुछ बोलते हैं तो उसका यह जवाब दें।

श्री भले राम: डिप्टी स्पीकर साहब, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है इसमें लिखा है। कि 27 तारीख को, जो कि घनिवार का दिन है और दफ्तरों में छुट्टी होती है, तथा 2 अप्रैल को, जो कि राम नवमी का दिन है और दफ्तरों में छुट्टी है, भी सैशन होगा। यह सरकार अगर तीज त्यौहार को भी नहीं मानती तो बड़ी गलत बात है। मैं समझता हूँ कि सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। न तो चौधरी रिजक राम जी कहीं जाएंगे और न ही सुरेन्द्र सिंह जी कहीं जाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हाउस की बैठक को कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए। (विधन)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया डारेक्ट बातचीत न करें।

वित्त मंत्री (चौधरी खुरीद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी साथियों ने दो तीन प्वायंट्स ही ज्यादा प्रैस किए हैं। एक तो यह है कि बजट सैशन में मैम्बर्ज साहेबान को बोलने के लिए टाईम कम मिला है। इसके बारे में अर्ज यह है कि बिजनैस

एडवाइजरी कमेटी ने टाईम ज्यादा देने के लिए ही सैंशन को दो दिन और बढ़ाया है। इसके अलावा एक दिन सैंशन 11 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा मैम्बर्स को बोलने का समय मिल जाए। दूसरी बात यहां कही गई कि 27 तारीख को छुट्टी थी लेकिन उस दिन के लिए सैंशन रखा दिया गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बारे में निवेदन यह है कि हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव सैंशन के ऑफिसर्स जब इतनी एफिफिएंटली काम करते हैं तो हरियाणा असेम्बली को भी रिकार्ड कम नहीं रखना चाहिए। एक छुट्टी वाले दिन अगर हम बैठक कर लेंगे तो वह पब्लिक के हित में ही होगा। फिर कहा गया है कि 2 तारीख त्यौहार का दिन है लेकिन उस दिन भी सैंशन रखा गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, 2 तारीख का दिन इस असेम्बली के सैंशन का आखिरी दिन होगा। इसलिए बेहतर होगा कि उस दिन हम यहां बड़े प्रेम से आएँ, एक दूसरे के गले मिलें, अच्छे वातावरण में यहां बड़े सद्भाव के साथ अपना काम काज करें और प्रेमपूर्वक अपने अपने घरों की जाएँ। राम नवमी वाले दिन इसलिए हमने इस सैंशन को रखा है। इन भावों के साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि इस रिपोर्ट में जो भी प्रस्ताव रखे गए हैं वे उचित हैं और इन्हें इसी तरह से पास कर दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे याद है कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में माननीय सदस्य श्री बलदेव तायल की ओर से यह सुझाव आया था कि राम नवमी का दिन चूंकि बड़ा शुभ दिन

है इसलिए अगर उस दिन भी सैान हो जाए तो सबके लिए भुभ होगा। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं (विघ्न) मेरे दोस्तों ने कहा कि 27 मार्च और 2 अप्रैल को सैान न किया जाए तथा सदन की बैठक पांच और छः तारीख के लिए और की जाए लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी दुबारा मीट करे और यह सारे का सारा बिजनैस 27 मार्च से पहले कम्पलीट किया जाए क्योंकि 28 तारीख को लखनऊ में श्रीमति मेनका गांधी एक नई पार्टी का ऐलान कर रही हैं। (गोर) 29 तारीख के बाद यह सरकार नहीं ठहरेगी क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है:—

कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के साथ सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वाक आउट

चौधरी राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है इसलिए मैं वाक आउट करता हूं।

चौधरी उदय सिंह दलाल: हम भी वाक आउट करते हैं।
जो हिन्दू धर्म को नहीं मानते वे यहां ठहरे रहें।

(इस समय विरोधी दल के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

बिलज (इन्ट्रोड्यूस्ड – सदन की अनुमति से)

1. दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमेंडमेंट एण्ड वैलीडे ान) बिल, 1982

Finance Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move:-

That leave be granted to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved:

That leave be granted to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill.

Mr. Deputy Speaker: Question is:

That leave be granted to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now a Minister will introduce the Bill.

Finance Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill.

2. दि पंजाब एक्साईज (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1982

Finance Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move:-

That leave be granted to introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved:

That leave be granted to introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill.

Mr. Deputy Speaker: Question is:

That leave be granted to introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now a Minister will introduce the Bill.

Finance Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill.

3. दि ईस्ट पंजाब एक्साईज (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1982

Finance Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move:-

That leave be granted to introduce the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved:

That leave be granted to introduce the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill.

Mr. Deputy Speaker: Question is:

That leave be granted to introduce the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now a Minister will introduce the Bill.

Finance Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I introduce the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill.

4. दि पंजाब पैसिंजर्ज एण्ड गुड्ज टैक्से ान (हरियाणा अमैंडमेंट) बिल, 1982

Finance Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move:-

That leave be granted to introduce the Punjab Passengers and Goodd Taxation (Haryana Amendment) Bill.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved:

That leave be granted to introduce the Punjab Passengers and Goodd Taxation (Haryana Amendment) Bill.

Mr. Deputy Speaker: Question is:

That leave be granted to introduce the Punjab Passengers and Goodd Taxation (Haryana Amendment) Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now a Minister will introduce the Bill.

Finance Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I introduce the Punjab Passengers and Good Taxation (Haryana Amendment) Bill.

5. दि पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल,
1982

Finance Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move:-

That leave be granted to introduce the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved:

That leave be granted to introduce the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill.

Mr. Deputy Speaker: Question is:

That leave be granted to introduce the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now a Minister will introduce the Bill.

Finance Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I introduce the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill.

6. दि फरीदाबाद कॉम्प्लैक्स (रैगूले ान एण्ड डिवैल्पमेंट) अमेंडमेंट बिल, 1982

Finance Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move:-

That leave be granted to introduce the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved:

That leave be granted to introduce the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill.

Mr. Deputy Speaker: Question is:

That leave be granted to introduce the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now a Minister will introduce the Bill.

Finance Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I introduce the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill.

वर्ष 1981-82 के सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स (दूसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान

1. राज्य के राजस्वों पर प्रभावित व्यय के अनुमानों पर चर्चा

2. अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 1981-82 की सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स दूसरी किस्त की डिमांडज फार ग्रान्टस पर डिस्कान होगी। पहली प्रैक्टिस के अनुसार और हाउस का समय बचाने के लिए आर्डर पेपर्स पर रखी गई सभी डिमांडज फार ग्रान्टस एक साथ पढ़ी गई तथा पेरा की गई समझी जायेगी। माननीय सदस्य किसी भी डिमान्ड पर डिस्कान कर सकते हैं लेकिन बोलते समय वह डिमान्ड का नम्बर बता दें जिसके ऊपर बोलना चाहते हैं। The demands will be put to the vote of the House after the conclusion of discussion.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1689100 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 1 - Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14416501 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for

the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 2 – General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 47502266 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 3 – Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 29195287 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 4 – Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4729160 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 5 – Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14889505 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 6 – Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 13990409 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 7 – Other Administrative Services.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5719000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 8 – Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 73309310 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 9 – Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 53555040 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 10 – Medical and Public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 21365495 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 11 – Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 46768844 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 13 – Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2897000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for

the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 14
– Food and Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6871045 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 15
– Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10956585 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 16
– Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5394200 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 18
– Animal Husbandry.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4936140 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 20
– Forest.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 46184055 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 23
– Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5031960 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 24 – Tourism.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 25 – Loans and Advances by State Government.

चौधरी रिजक राम (राई): डिप्टी स्पीकर साहब, आज ऐसे मौके पर इन डिमान्डज फार ग्रान्टस पर चर्चा हो रही है जबकि सारे हरियाणा प्रान्त में कुछ ओलावृष्टि हुई है और भीत लहर से बड़ा भारी नुकसान हुआ है। वैसे तो इस विशय में पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है। मैं इस बारे में सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। लेकिन एक बात की ओर मैं मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कवेल ओलावृष्टि से ही फसलों का इतना नुकसान नहीं हुआ है बल्कि भीत लहर से ओलावृष्टि से भी अधिक नुकसान हुआ है। सरसों, तारामीरा, गेहूं और चने की फसल के फूल मारे गये हैं। खेतों में फसल खड़ी है परन्तु उनमें दाना नहीं है। इस कारण से अनाज के उत्पादन में बड़ी भारी कमी पड़ेगी। इसलिए यह बड़ी गहरी समस्या नहीं है। इस बारे में कोई मुकम्मल हल तला ा करना पड़ेगा। आज जो लोगों के सामने संकट खड़ा है उसका हल तला ा करना होगा। आज सरसों,

तारामीरा और चना तो बिल्कुल ही खत्म है। जहां ओलावृष्टि हुई है वहां तो फसल नष्ट हो गई लेकिन जहां भीत लहर चली है वहां पर भी कोई फसल में दाना नहीं रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्रीगण इस बारे में पूरा ध्यान दे कर इस संकट से लोगों को राहत दिलाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक और भी मसला इरीगेटन मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाना चाहता हूं। अभी यहां हाउस में जिक्र आया कि जवाहर लाल कैनाल की जो बिक्र लाइनिंग हुई है उसमें भी पानी की सीपेज है। मैं मुख्य मंत्री और मंत्री जी के ध्यान में एक नहर की बात लाना चाहता हूं। दिल्ली ब्रान्च जिसकी सीमेंट से लाइनिंग की गई है वहां पानी की सीपेज ही नहीं हो रही बल्कि धार की धार गिरती है। नहर के आसपास कई कई एकड़ तक पानी फैला हुआ है। कम से कम दो अढ़ाई एकड़ में पानी खड़ा है। उन खेतों की फसल मारी गई है। अभी तक इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है। जिन पत्थरों को सीमेंट से जोड़ा गया है उनके बीच से पानी की धारा की धारा निकल रही है। सीमेंट अच्छी प्रकार से नहीं लगायी गई है। इस तरह से वहां खेतों में दिन प्रतिदिन पानी बढ़ रहा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को कोई न कोई कदम जल्द से जल्द उठाना चाहिए।

तीसर मसला यह है कि आजकल के दिनों में बरसात नहीं होती है परन्तु इस साल काफी बारिश है। लोगों की पानी की मांग नहीं है लेकिन जितने टेल के इलाके हैं चाहे कोई छोटा रजबाहा है या माइनर है ऊपर के इलाके वाले उनका पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं सारा पानी नीचे जा कर गिरता है। वह पानी उन लोगों के खेतों को डुबो रहा है, सारी फसल को खराब कर रहा है। यह समस्या भी ऐसी नहीं है कि गिरदावरी करने से हल हो जायेगी। आज के दिन लोगों का इतना भारी नुकसान हो रहा है जिसका हल ढूँढना अत्यन्त आवश्यक है। अगर अनाज ही पैदा नहीं होगा तो गरीब देहात में बसने वाले मजदूर और किसान परेशान होंगे। आज गांवों में 20 रुपये मन चारे का भाव हो चुका है। एक बात और भी नोटिस में लाना चाहता हूँ कि कितने ही ऐसे रजबाहे हैं जिनका पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वे ओवर फलो भी कर रहे हैं। कतलूपूर, छजिया के इलाके में फसल खराब हो गई है। वहां उन रजबाहों में सीलिंग है जिन्हें डीसीलिंग करने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब 15 तारीख से हाउस में चर्चा चल रही है। इस चर्चा के दौरान तरह तरह की बातें आयीं। यह भाषण आखिरी बजट से इन इन मैम्बरान के लिए हो। इसलिए कड़वी बातें नहीं कही जानी चाहिए लेकिन अपोजी इन अपना रोल अदा करने के लिए कड़वी बातें कह देती है। अभी यहां बोलते हुए चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि इस सरकार के समय में ओलों से बहुत नुकसान हुआ है इसलिए मुख्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए लेकिन मैं

एक बात हाउस को बताना चाहता हूँ कि मेरे और मुख्य मंत्री जी के छोटी मोटी बातों पर चाहे कुछ भी मतभेद हो लेकिन एक बात की सलाह उन्हें जरूर दूंगा कि यह ओलावृष्टि भी वीरेन्द्र सिंह जी के टाईम से ही भुरू हुई है। डिप्टी स्पीकर साहब इन लोगों को बड़ी मुश्किल से खींच कर उधर बिठाया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक राहत देने का सवाल है मैं मुख्य मंत्री और मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि इस ओर पूरा ध्यान दे कर जो कठिनाइयां किसानों की हैं उन्हें हल करने की कोशिश करें। (घंटी)

मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव और पब्लिक सर्विस कमीशन की मांगों के विषय में बोल रहा हूँ। मैं किसी भी मैम्बर या मंत्री पर कोई लाडन नहीं लगाना चाहता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब जिस रोज यह सेशन भुरू हुआ उसी दिन इनके बहुत ही नजदीकी दोस्त बिछुड़ गये। इनका खाना पीना भी उनके साथ था। जब तक भाम को इकट्ठे नहीं होते थे तब तक खाना अच्छा नहीं लगता था और इनके ठिकाने भी इकट्ठे ही थे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की हालत में कोई इल्जाम लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। बल्कि मैं तो यह सोचता था कि हाउस में इतने भावुक प्रस्ताव आए हैं, एक उन पर भी आ जाता। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी भजन लाल: उस बेचारे को तो आपने मार दिया। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी रिजक राम: वह भी मैं बताता हूँ। लोग यह कहते हैं कि सन् 1979 के इलैक्ट्रान के बाद मेरी छुट्टी हुई थी और उसके बाद लैंड स्लाईड मूवमेंट हुई थी। सबको याद होगा। लोगों को तो यह भी संदेह है (व्यवधान व भाोर)

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, यह कौन सी डिमान्ड पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य चौधरी रिजक राम जी, इस सदन में काफी मैम्बर ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं और आप तो खासे वरिष्ठ सदस्यों में से एक हो। कृपया डिमान्ड पर ही बोलें। अगर डिमान्ड पर नहीं बोलना है तो कृपया वाईन्ड अप कीजिये।

चौधरी रिजक राम: डिप्टी स्पीकर साहब, काँसिल आफ मिनिस्टर्ज की इसमें एक डिमान्ड है, इसलिए मैं मिनिस्टर्ज के बारे में तो बोल ही सकता हूँ। मैं यह कह रहा था कि कुछ लोगों को तो यह भी संदेह है कि जैसे 1979 में बात हुई थी, एक बड़ी भारी मूवमेंट आयी और जलजला सा आय था (व्यवधान व भाोर) सारे का सारा अपना प्रोग्राम बदल दिया, उसी तरह से फिर ने कहीं बदल जायें। (व्यवधान व भाोर)

एक आवाज: यह तो हमारे घर का मामला है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह घर का मामला नहीं है। इन्होंने अभी तक मेनका गांधी जी की पार्टी में जाने का ऐलान नहीं किया है।

चौधरी रिजक राम: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि जो मुख्य मंत्री जी ने पहले किया था कि चौधरी मुख्तियार सिंह ने पहल की और इन्होंने उसको फौलो किया, कहीं अब फिर यह ऐसा न करें कि चौधरी मुख्तियार सिंह को फौलो कर लें। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात याद आ गयी। पोलैंड में, जिस समय जर्मनी में कैसर का राज था और रूस में जार का राज था वहां पर एक दुकानदार था (व्यवधान व भाोर)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य कृपया वाईन्ड अप कीजिये। दूसरे बहुत से मैम्बर्ज ने अभी बोलना है। (घंटी) (व्यवधान व भाोर)

चौधरी रिजक राम: आप मुझे दो मिनट तो बोल लेने दें। आपका क्या खर्च होने लग रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: चौधरी साहब, बहुत से दूसरे मैम्बर्ज भी बोलने वाले हैं। खर्च तो सदन का हो रहा है।

चौधरी रिजक राम: अगर आप नाराज हों तो मैं बैठ जाता हूं। मगर मुझे आपनी बात कह लेने दें। तो वह बड़ा सियाना दुकानदार था। उसने (व्यवधान व भाोर)

एक आवाज: कौन सी डिमान्ड पर ये बोल रहे हैं ।

चौधरी रिजक राम: डिप्टी स्पीकर साहब, कौंसिल आफ मिनिस्टर्ज की इसमें डिमान्ड है, मैं उस पर बोल रहा हूँ। अगर किसी को कुछ समझने में दिक्कत हो तो मैं उसको दोबारा भी दोहरा दूंगा। वहां पर जर्मन फौज के आदमी भी चाय पीने के लिए जाते थे और रूसी फौज के आदमी भी आते थे। उसने सोचा बड़ी मुश्किल में फंस गया। अगर कैसर की फोटो लगाऊं तो रूसी नाराज हो जायेंगे और अगर जार की फोटो लगाऊं तो जर्मनी नाराज। उसने क्या किया ? उसने दोनों की एक-एक फोटो लगा दी। तो हमारे भी कुछ माननीय सदस्य और वी०आई०पी० ऐसे हैं जिन्होंने ड्राइंग रूम में चौधरी भजन लाल जी की फोटो जरूर लगा रखी है मगर दूसरे कमरों में बाबू जगजीवन राम की लगा रखी है क्योंकि इलैकशन का टाईम नजदीक आ रहा है, इसलिए मैं इस बारे में और ज्यादा बात नहीं करता। मैं आखिरी बात कहकर बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्षा: चौधरी साहब, आप बैठिये। आपका समय समाप्त हो चुका है।

चौधरी रिजक राम: बहुत अच्छा जी, अगर आप मुझे और टाईम नहीं देते तो मैं बैठ जाता हूँ।

श्री जय नारायण वर्मा (बरवाला): डिप्टी स्पीकर साहब, इस समय 117 करोड़ 39 लाख 66 हजार 390 रुपये की सप्लीमेंट्री

डिमांडज हाउस में जेरे गौर है। मैं इनका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इस बारे में चाजर्ड और दूसरी डिमांडज, दोनों के बारे में अपनी बात कहूंगा। मुझे सबसे पहले तो इस बात पर बड़ा दुःख आता है कि ऐसे जंक्चर पर जबकि जनरल बजट हाउस के सामने है, इतनी हैवी सप्लीमेंट्री डिमांडज इस तरह से जल्दी जल्दी सेपास करवाने की कोशिश की जाये जबकि न तो हम उसकी स्कूटनी कर सकते हैं और न ही अस पर प्रौपर्टी चर्चा कर सकते हैं। Neither it is fair to the State nor to the members of the House. हम इस मामले में तैयार नहीं होंगे तो किस तरह से इस बात की जांच कर सकेंगे कि इस बारे में महकमें में क्या किया जा रहा है। मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि इस सप्लीमेंट्री डिमांडज में बहुत से खर्चे तो सितम्बर तक हो चुके थे और इसमें बहुत से ऐसे खर्चे हैं जो बड़ी आसानी से एंटीसिपेट किये जा सकते थे। यह ठीक है कि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में एंटीसिपेट नहीं किया जा सकता लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिनके बारे में एंटीसिपेट किया जा सकता था। उदाहरण के तौर पर पुलिस के लिये जो पांच करोड़ रुपया मांगा है यह पुलिस में अंधाधुंध भर्ती की वजह से मांगा गया है, यह खर्चा तो बड़ी आसानी से सितम्बर के अंदर लाया जा सकता था क्योंकि उस समय यह हाउस इस खर्चे को बड़ी आसानी से देख सकता था और जांच पड़ताल कर सकता था। उसके बाद इस पर थैरोली बहस हो सकती थी। मेरा कहना यह है कि हाउस में इस बारे में साथ में जनरल बजट आ जाने के कारण अभी पूरी तरह से चर्चा

का समय नहीं हैं। तीसरा मरो मुद्दा यह है कि इस बजट के अंदर 16.30 करोड़ रूपया प्लान आर्टिक्ल के लिये रखा गया है जबकि इससे लगभग दुगुना खर्चा यानी 33.50 करोड़ रूपया नान-प्लान आर्टिक्ल के लिये रखा गया है। यह बड़े ही खेद का विशय है कि एक तरफ तो योजनागत खर्चों की तरफ ध्यान देने के लिए कहा जाता है ताकि स्टेट की तरक्की हो सके और और दूसरी तरफ फिजूलखर्ची को भी रोकना नहीं चाहते। एक तरफ तो आप नान प्लान आर्टिक्ल के लिए इस तरह से इतना पैसा खर्च कर रहे हो, यहां कोई न्यायसंगत बात नहीं है और दूसरी तरफ आप बचत की बात कहते हो। डिप्टी स्पीकर साहब, यह इनके लिये बिल्कुल भी भाभा की बात नहीं है। एक बात लीडर आफ दि हाउस ने यहां मानी है कि स्टेट का 50-60 करोड़ रूपये का ओवर ड्राफ्ट होने जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर बड़ा ही आ चर्य हो रहा है कि 1981-82 के बजट अनुमानों में जो इस गरिमामय सदन के सामने वित्त मंत्री महोदय ने रखे थे, उसके अंदर तो 10-15 करोड़ रूपये का ओवर ड्राफ्ट ही एंटीसिपेट किया गया था। क्या यह कोई बजटिंग है? क्या वह हमारे वित्त विभाग की काबलियत है? ओवर ड्राफ्ट का इतना बढ़ जाना कहां तक उचित है? लेकिन पांच छः गुणा ओवर ड्राफ्ट बढ़ जाना यह क्या बजटिंग है? 10-15 करोड़ से थोड़ा बहुत तो बढ़ सकता है। क्या यह एंटीसिपेट नहीं किया जा सकता था कि इतना ज्यादा ओवर ड्राफ्ट होने जा रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वित्त विभाग ने रिजर्व बैंक को जो

सूद देने की बात कहीं है उस बारे में भी मूल बजट के अंदर केवल 42 लाख रूपये की प्रोवीजन रखी थी। हम मान सकते हैं कि उसमें कुछ थोड़ी बहुत बढ़ाव हो सकती है जो कि एंटीसिपेट नहीं की जा सकी। लेकिन आप हैरान होंगे वित्त विभाग ने रिजर्व बैंक को सूद देने के लिये 298 लाख रूपया और मांगा है। इस तरह से 340 लाख रूपया रिजर्व बैंक को सूद का देने के लिए टोटल बन जाता है। डिप्टी स्पकीर महोदय, मैं आपकी मारफत एक बात और कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो ये ऐक्स्ट्रा एक्सपेंडीचर को सेव करने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि कोई नई नौकरी नहीं निकालेंगे, कोई खर्चा फिजूल का नहीं करेंगे और दूसरी तरफ लगातार भर्ती की जा रही है और इनका रिक्लूटमेंट का जो तरीका है उसमें मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि उस बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है वह तो अपने आप में एक स्केंडल है, एक घपला है। मैं तो सिर्फ बजट प्वाएंटे आफ व्यू से ही बात कहना चाहता हूं जिसमें केवल पैसा इंवाल्वड है। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे यह भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जा रही है या एस0एस0एस0 बोर्ड द्वारा की जा रही है और चाहे किन्हीं पोस्ट्स पर की जा रही है, यह सरकार चाहती है कि अगली आने वाली सरकार पांच छः साल तक कोई आदमी न लगा सकें। यह सरकार चाहती है कि आने वाली सरकार को किसी को लगाने की गुंजाइश ही न रहे। यह चाहते हैं कि अपने लोगों की जितनी भर्ती यह कर सकें, कर जाएं.....

..... ।

चौधरी बीरेंद्र सिंह: डिप्टी स्पीकर महोदय, इनको यह भी पता होना चाहिए कि हरियाणा में हर साल पंद्रह हजार ऐम्पलाइज रिटायर होते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री जय नारायण वर्मा: बीरेंद्र सिंह जी रिटायर तो आप भी हो जाएंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, जब वित्त मंत्री ने बजट पे 1 किया तो इन्होंने कहा कि 49 करोड़ के घाटे को कम करके हम 37 करोड़ पर लाने जा रहे हैं लेकिन जो यह अनुपूरक मांगों को पोथा हमारे सामने पे 1 किया गया है और हर आइटम के साथ एक लाइन जोड़ दी गई है कि हम इतना खर्चा करने जा रहे हैं, इतनी सेविंग कर लेंगे बाकी सदन मंजूर कर दे। जनरल एडमिनिस्ट्रे टन के अंदर विधान सभा के स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब के विवेकाधीन अनुदान की राशि 1 के मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं डिमांड नंबर 2 को लेता हूँ। इसमें मंत्रियों द्वारा विवेकगत अनुदान के लिए 12 लाख 68 हजार रूपया मांगा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि चंद दिनों में ये लोग जनता को कैसे खु 1 करने जा रहे हैं और ये क्या करना चाहते हैं। इसी डिमांड में न केवल डिस्की नरी फंड के लिए पैसा मांगा जा रहा है बल्कि इनकी कोठियों के लिए 4 लाख 90 हजार रूपया मांगा गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, इनको इतने से ही सब्र नहीं हुआ इनकी पुरानी कारों की मेनटेनेंस करने के लिए 19 लाख 18 हजार 600 रूपया मांगा जा रहा है। एक तरफ तो हालत यह है कि इस दे 1 के गरीब किसान के लिए, इस दे 1 के मजदूर के

लिए कोई पैसा नहीं है। किसान को राहत देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। जगह-जगह किसान की फसल का नुकसान हो रहा है लेकिन यह जो मुआवजा दे रहे हैं वह ना के बराबर है और दूसरी तरफ इन मंत्रियों की कारों के लिए इनकी कोठियों के लिए इतना अधिक पैसा मांगा जा रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नम्बर 16 के बारे में कहना चाहता हूँ। डिमांड नम्बर 16 के अधीन उद्योगों को सबसिडी देने के लिए पैसा मांगा गया है। सबसिडी के मामले में बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन समय कम है इसलिए मैं बहुत थोड़ा ही कहूँगा। डिप्टी स्पीकर साहब, औरिजनल डिमांड के तहत सबसिडी देने के लिए बजट में 40.00 लाख रूपया रखा गया था और आज उसके लिए 45.76 लाख रूपया और मांगा जा रहा है इस तरह से टोटल 85.76 लाख रूपया गरीब ग्रामीण कारीगरों और छोटे दस्तकारों को सबसिडी देने के लिए बन जाता है। डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जो छोटे दस्तकार हैं, जो गांव के अंदर काम करने वाले दस्तकार हैं उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है एक तरफ ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने की दुहाई दी जाती है लेकिन दूसरी तरफ केवल भाहरी लोगों को ही बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। चूंकि 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है इसलिए ये सारा पैसा खत्म करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि वित्त मंत्री वह सूची सदन में पेश करें कि सबसिडी किस-किस को दी गई है। जिससे पता

लग सके कि देहात के मजदूरों को और देहात के दस्तकारों को कितना पैसा दिया गया है और कहां-कहां दिया गया है।

डिप्टी स्पीकर महोदय, 117 करोड़ रूपया सप्लीमेंटरी मांगों के जरिए हाउस से मांगा जा रहा है। इसमें कोई भाक नहीं है कि स्कूल भी अपग्रेड हुए हैं, सड़कें भी बनी हैं लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि हम भी डेढ़ लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। यह बात ठीक है कि ट्रेजरी बेंचिज के पास वोटों की मैजोरिटी है और उसके बल पर वे जो कुछ चाहते हैं करवा लेते हैं यह सारा खर्च भेदभाव की नीति के आधार पर किया जाता है। लीडर आफ दि हाउस ने सदन में कहा था कि यह सरकार किसी भी एम0एल0ए0 के साथ भेदभाव नहीं करती। चाहे अपोजि न का मैम्बर हो और चाहे ट्रेजरी बेंचिज का एम0एल0ए0 हो दोनों की कांस्टीच्युएंसी में एकसा काम किया जाता है। लेकिन जो कुछ हो रहा है वह इसके बिल्कुल उलट हो रहा है। मेरे एक सवाल के जवाब में बताया गया कि मेरे हल्के में 6.9 किलोमीटर सड़क बनाई गई है। आज सवेरे ही श्री भागी राम ने सदन में बताया था कि इनके यहां एक ढाणी में छः सौ लोगों की आबादी है लेकिन वहां पर कोई सड़क नहीं बनाई गई है और दूसरी तरफ जो चीफ मिनिस्टर का इलाका आदमपुर है उसमें 69.7 किलोमीटर सड़क बनाई गई है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह भेदभाव की नीति नहीं है तो और क्या है? मेरे यहां 6.9 किलोमीटर सड़क और चीफ मिनिस्टर के हल्के में

69.7 किलोमीटर सड़क। दूसरी तरफ श्री भागी राम जी ऐसे इलाके के लिए सड़क मांग रहे हैं जहां पर छः सौ लोग बसते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, यह भेदभाव केवल सड़कों के मामले में ही नहीं बल्कि स्कूलों के मामलों में और दूसरी बातों के मामले में भी है। डिप्टी स्पीकर महोदय, मेरे हल्के में बनभोरी से कापड़ों की सड़क नहीं है और कौथ से खापड़ की सड़क नहीं है जबकि ये दोनों बहुत पहले मंजूर हुआ है। एक तरफ तो यह हालत है और दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर के यहां अधिक से अधिक सड़क दी जा रही है। यह भेदभाव केवल सड़कों के मामले में ही नहीं बल्कि अस्पताल, स्कूल, इंडस्ट्रीज और वाटर सप्लाई तक में है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: खादी बोर्ड में जो भर्ती की गई थी क्या वह सब को बांट कर भर्ती की गई थी? (तोर एवं व्यवधान)

श्री जय नारायण वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री से एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। हो सकता है मेरे समझने में गलती हो और यह भी हो सकता है कि लिखा ही गलत हो। सो गलत वैलफेयर के तहत खादी बोर्ड को चालीस लाख रूपया देने के लिए रखा है और उद्योग के आइटम में भी वहीं 40 लाख रखा गया है। यह चालीस लाख की जो आइटम दो बार रखी गई है यह वास्तव में दो बार ही है या गलती से दो बार लिखी गई है। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं हरियाणा भवन के बारे में कहना चाहता हूं। हरियाणा एम0एल0एज0 होस्टल की कैंटीन को मैं

डिस्कान का मामला नहीं बनना चाहता। मगर मुझे यह बात कहते हुए दुःख होता है कि जय नारायण वर्मा हरियाणा भवन में जाता है तो यह कह दिया जाता है कि पहले आप चंडीगढ़ जाओ और वहां से रिजर्वान करवा के लाओ, तब जाकर के कहीं कमरा मिलेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, यह कितनी बुरी बात है। हमारी सरकार सक एक उप-सचिव वहां पर इसी परपज के लिये तैनात है और चार, पांच या छः कमरे तो वहां पर वहीं दे सकते थे मगर होता क्या है कि आज हिसार या गुड़गांव से आने वाला एम०एल०ए० पहले चंडीगढ़ जाए और वहां से रिजर्वान करवाने के बाद फिर दिल्ली ठहरने के लिये आये, यह बिल्कुल गलत बात है। इसके दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी के एम०एल०एज० के लिए मिनिस्टर्स के लिए और चीफ मिनिस्टर के मेहमानों के लिये पहले ही सारा कोटा रिजर्व रखा जाता है ताकि उन लोगों को आने पर किसी किस्म की सुविधा न हो। इस तरह की रिजर्वान अधिकारियों की जेबों में रखी होती है।

डिप्टी स्पीकर साहब, इससे आगे एक और बात की तरफ मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गवर्नर साहब के लिये और चीफ मिनिस्टर साहब के लिये जो सूट रिजर्व रखे जाएं हमें इस पर कोई एतराज नहीं है परन्तु वहां पर अगर पांच-छः कमरे अधिकारियों के लिये जैसे ओ.एस.डी. टू सी.एम. के लिए पहले ही रिजर्व रखें जाएं, चाहे वह हरियाणा भवन दिल्ली जाए या न जाए, उसके लिए रिजर्व ही रहेंगे, और एक एम.एल.ए.

को वे कमरे नहीं मिलेंगे, ऐसी व्यवस्था हरियाणा भवन में की गयी है, यह उचित नहीं है क्योंकि यह एम.एल.एज. के साथ बड़ा भारी अन्याय है।

डिप्टी स्पीकर साहब, समाज के अन्दर सामाजिक मान्यताएं होती हैं। जहां पर अनाचार होंगे, ओर अत्याचार बढ़ेंगे तो इन सब बातों का प्रकृति ही बदला लेगी। यह स्वाभाविक ही है डिप्टी स्पीकर सहाब, कि आज की सरकार के राज्य में अत्याचार बढ़े हैं अनाचार हुए हैं और मंत्रियों के स्कैण्डल हुए हैं तो इस राज्य में ओले नहीं पड़ेंगे तो क्या फूल बरसेंगे ? अन्त में, मैं इतना ही कहता हुआ और सप्लीमेंटरी डिमांडज का विरोध करता हुआ अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

डा. बृज मोहन गुप्ता (जगाधरी): डिप्टी स्पीकर सहाब, यह जो सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स की एक किताब हमारे सामने रखी गयी है, यह बहुत ही घटिया है। 117.4 करोड़ रुपये की मांगे यहां पर हमारे सामने प्रस्तुत की गयी है ताकि यह हाउस इनको सर्वसम्मति से पास कर दें, इसलिये मैं इनका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

डिप्टी स्पीकर साहब, सब से पहले, मैं डिमान्ड नम्बर 2 के बारे में कहना चाहता हूं जिसमें 36 लाख 91 हजार 56 रुपये की मांग की गयी है जोकि मिनिस्टर्स की कारों के लिए, बंगलों के लिए और मंत्रियों की अपनी तरफ से डिसक्रि गनरी ग्रान्ट्स

देने के लिए है। डिप्टी स्पीकर साहब, क्या जरूरत थी इन सब पैसों की, इसलिये कि इलैव इन नजदीक आ रहे हैं। मिनिस्टर्ज की डिसक्रिप्शनरी ग्रांट की राशि है 12 लाख 68 हजार रूपये। हर गांव में जाकर देख लो चाहे हरिजन चौपाल पहले ही पूरी हो, फिर भी ग्रांट इन्होंने मंजूर जरूर करनी है, दूसरी तरफ जिस चीज की गरीब लोगों को गांवों में जरूरत होती है, उनकी तरफ इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है लेकिन जो पंच और सरपंच होते हैं, वे जिस तरह से कहते हैं, उनके अनुसार मिनिस्टर लोग ग्रांट्स मंजूर कर आते हैं और लोगों से मिठाई ओर चाय वगैरह पीकर के यह सारे काम हो जाते हैं। अतः मेरी आपके द्वारा सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और वहां पर इस तरह की डिसक्रिप्शनरी ग्रांट्स लोगों को दी जाएं जिनकी लोगों को आवश्यकता हो। यह नहीं होना चाहिए कि गांव के पंच और सरपंचों के कहने पर ही ग्रांट्स दे दी जाएं।

इससे आगे डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नम्बर 3 पर अपने विचार रखना चाहता हूं जिसमें पुलिस विभाग के लिए नई भर्ती और नई वर्दियों से संबंधित कुछ मांग रखी गयी है। इस समय होम मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे नहीं हैं, मैंने बार बार उनसे कहा भी है और लिख कर भी दियसा है कि जगाधरी जो कि एक छोटा सा कस्बा है, देश के नक्शे पर अब एक इंडरट्रीयल सिटी बन गया है। हरियाणा के नक्शे पर इस नगर की बड़ी छाप है। इसलिए वहां के थाने को अपग्रेड किया जाए

लेकिन इस पर होम मिनिस्टर साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, बदकिस्मती से, अम्बाला जगाधरी और यमुनानगर से हम सारे के सारे एम.एल.एज.च अपोजी इन से हैं, इस सरकार ने हमारी इस रिक्वैस्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए आपके द्वारा मैं होम मिनिस्टर साहब से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि कम से कम जो मैंने लिख कर दिया है, उस पर तो ध्यान दिया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, अभी अभी हरियाणा भवन की कमरों की रिजर्वे इन के बारे में बातचीत चल रही थी। इस पर श्री जयनारायण वर्मा जी ने काफी तफसील में कहा है, और वे सब बातें ठीक भी है। जब एक एम.एल.ए. रात के वक्त हरियाणा भवन में अगर 9-10 बजे जाता है तो पता लगता है कि यहां पर कोई कमरा खाली नहीं है। वहां पर यह कहा जाता है कि पहले चण्डीगढ़ से रिजर्वे इन करवाओ। डिप्टी स्पीकर साहब, आप ही बातएं कि दिल्ली जैसी जगह पर रात को कई बार कंवैन्स भी अवेलेबल नहीं होती है। एम.एल.ए. को अगर हरियाणा भवन में कमरा न मिलेगा तो रात के वक्त वह कहां जाएगा ? यह कितनी अजीब सी बात है। अगर वहां पर सख्ती से बोला जाए तो फौरन कमरा मिल जाता है। कमरों के आगे फर्जी चिटें लगी होती है कि यह कमरा फलां के नाम है और यह कमरा फलां मैम्बर के नाम पर रिजर्वेड है लेकिन असल में रिजर्वे इन होती ही नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, एम.एल.एज. के लिए दस कमरे पहले से ही रिजर्वे

होने चाहिए। अगर यह सम्भव ना हो तो कम से कम 5 कमरे तो अव य ही एम.एल.एज. के लिए रिजर्व होने चाहिए, इस तरह की हिदायतें सरकार की तरफ से हरियाणा भवन में जाएं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।

इससे अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एम.एल. एज. होस्टल में सै इन के दिनों में ही आने का मौका मिलता है। खाना पीना तो डिप्टी स्पीकर साहब, जैसा है सो है लेकिन कम से कम दूध तो अच्छा मिलना चाहिए। हरियाणा तो दूध दही के लिए बड़ा ही म ाहूर है लेकिन यहां पर बढ़िया दूध नहीं मिलता है, इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नम्बर 5 के बारे में कहना चाहूंगा जोकि राठी साहब से संबंधित है। It is regarding replacement of condemned vehicles & creation of Sales Tax Barriers etc. डिप्टी स्पीकर साहब, मैं राठी साहब से कहूंगा कि इस विभाग ने जगाधरी में तो गदर मचा रखा है क्योंकि जगाधरी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। जगाधरी एक इंडस्ट्रीयल टाऊन होने के नाते वहां पर ब्रास की फैक्ट्रियां हैं काटेज इंडस्ट्रीज भी है और इस तरह से गरीब आदमी अपनी अपनी म िनरीज लगाकर के वहां पर काम करता है और अलग अलग चीज बनाने की जगह भी अलग अलग होती है। सारा प्रौसैस किसी भी एक फैक्टरी में नहीं होता है। कोई आदमी तो चक्का बनाता है, कोई प्रैस करता है, कोई कुछ करता है, इस तरह से हरेक का काम अलग अलग

है, कोई पालि ा करता है और इसी तरह से वे सारे गरीब आदमी अपना गुजारा करते हैं और वहां पर एक कारखाने से दूसरे कारखाने में माल लाते हैं और ले जाते हैं। यानी उसकी फाइनल भोप आखिर में जाकर बनती है लेकिन सेल्ज टैक्स वाले रास्ते में अन फिनि ाड गुडज को पकड़ लेते हैं। इन्होंने अपने दफ्तर में एक कत्लगाह बना रखी है। वहां पर माल भी आधा गायब हो जाता है और जो जुर्माना होता है वह भी फिफ्टी-फिफ्टी हो जाता है। क्या आपने ऐसी हिदायत आज तक जारी की है कि ऐसे अन-फिनि ाड गुडज को रास्ते में न रोका जाए। इनके महकमें वाले सवेरे से भाम तक गाड़ियां लेकर घूमते रहते हैं और लोगों को परे ान करते हैं।

आगे फूड एंड सप्लाई विभाग की मांग है। सरदार जी ने कहा था कि हमने हरियाणा में से कभी भी गेहूं बाहर ले जाने के लिये रोका नहीं है लेकिन अब ये उसी काम के लिये हमसे धनरा ि की मांग कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम हमने 22 बैरियर्ज बनाने हैं और वहां पर सारा सामान भी रखना है। ये कहते हैं कि हमने प्रोक्योरमेंट के लिए गेहूं और चावल को बाहर जाने से रोकना है जबकि कल ये हाउस में कह रहे थे कि हम बिल्कुल भी नहीं रोकते। (विघ्न) आप मुझे यह बताएं कि कौन सा बैरियर ऐसा है जहां पर रि वत न ली जाती हो।

इसके बाद अर्बन डिवैल्पमेंट की बात आती है। अर्बन डिवैल्पमेंट में इन्होंने छोटे भाहरों को, बड़े भाहरों को और

मीडियम साइज के भाहरों को ठीक करने के लिए एक तो इन्होंने 45 लाख रूपये की मांग की है और दूसरी मांग 1 करोडत्र 64 लाख 80 हजार रूपये की मैचिंग ग्रांट के लिये की है। मंत्री जी अगर यहां बैठे हों तो मैं उनको सुनाना चाहता हूं कि जिस म्यूनिसिपल कमेटी में अपोजी इन के मैम्बर है उन्होंने क्या कसूर किया है। उनकी बात को न कोई सुनता है और न ही उनकीबात की तरफ सरकार ध्यान देती हैं। हमने जगाधरी म्यूनिसिपल कमेटी के बारे में बार बार कहा कि वहां की सड़कें टूटी हुई है और आधी जगाधरी में न पानी का इंतजाम है और न सीवरेज का इंतजाम है। आधी जगह जो पानी और सीवरेज का इंतजाम है वह भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। मैंने मंत्री जी को वहां की हालत दिखाई थी लेकिन चूंकि हम अपोजी इन के मैम्बर है इसलिये हमारी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। मेरी गुजारि है कि वे इस मामले में कोई भेद भाव न रखें और हमारी तरफ भी ध्यान दें। आपकी भी पार्टी के वहां मैम्बर रहते होंगे और हो सकता है कल को उनको इलैक इन लड़ना पड़े इसलिये कम से कम इस की तरफ ध्यान रखें और जगाधरी म्यूनिसिपल कमेटी को भी इस ग्रांट में से कुछ जरूर भेजा जाए।

इसके बाद में मैडिकल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वैसे तो इसमें मैडिकल और पब्लिक हैल्थ दोनों को इक्ठठा कर दिया है लेकिन कुछ जरूरी बातें है जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता है। सेंद्रल गवर्नमैट ने एक स्कीम बनाई थी

प्रिवें 1न आफ बलाईडनैस एंड गार्नीवल इम्पेयरमेंट। यह स्कीम 1979 में लागू की गई थी। हरियाणा के अंदर हर साल दस प्रति 1त बलाईडनैस बढ़ती जा रही है। इसको चैक करने के लिये सेंटरल गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत आई थी कि प्राइमरी हैल्थ सेंटर में और जिला हैडक्वार्टर के ऊपर ऐसे सेंटर खोले जाएं जिनके अन्दर एक आपटोमिटिस्टिक हो जो यक चैक करेंगे कि आंखों में क्या खराबी है। वे दवाई तो नहीं दे सकते लेकिन गाइड कर सकते हैं। हरियाणा के अन्दर इनकी 70 पोस्टें थीं जिनमें से इन्होंने केवल 8 भरी हैं और 62 अभी भरनी है। दूसरे इन्होंने पाणि यिली हैंडीकैपड के लिए अम्बाला में एक सेंटर खोला था। इसके लिए सब से जरूरी बात यह थी कि इस सेंटर में आर्थोपैडिक सर्जन होना चाहिए था। इन्होंने उसकी बजाए आई सर्जन लगा दिया। यह ठीक है कि आई सर्जन आंखों की, इ एंड टी वगैरह की बीमारी के लिए मदद कर सकता है लेकिन सबसे जरूरी उस सेंटर में आर्थोपैडिक सर्जन का होना था। उसके न होने की वजह से वह सेंटर बेकार पड़ा है।

श्री भले राम (बड़ौदा, अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, गवर्नर एड्रेस पर बोलते समय पूरा साहब ने एक बात कही थी कि:—

जो हाउस में बोले उसको अपना ख्याल कहते है।

जो सब का ख्याल करे उसे भजन लाल कहते है।

मैं इसको इस तरह से कहना चाहता हूँ कि:-

जो हाउस में बोले वह उसका ख्याल होता है

जो दल बदल करे उसे भजन लाल कहते हैं

जो किसान का नेतृत्व करे उसकी देवी लाल कहते हैं ।

इस सरकार ने होम डिपार्टमेंट के लिए चार करोड़ रुपये से ज्यादा की मांग की है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि पुलिस किस काम के लिए होती है ? किसी भी स्टेट में वहाँ के लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए पुलिस बनाई जाती है। लेकिन जहाँ बाड़ ही खेत को खाने लग जाए तो वहाँ के राज का क्या होगा ? हरियाणा पुलिस लोगों की मदद नहीं करती है। जितनी भी हमारे यहाँ चोरियाँ और डाके पडते हैं उनमें से आधे तो पुलिस मिल कर करवाती है और चोरी के माल को बरामद नहीं करती। मैं यह कहना चाहता हूँ कि चाहत कितना भी गम्भीर मामला क्यों न हो पुलिस उसे दर्ज नहीं करती। गोहाना में हिम्मतपुर माजरी गांव है, वहाँ पर एक राज रानी नाम की औरत अपनी दरिद्रता लेकर थाने में गई लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। वह अपने प्लॉट में ईंट डाल रही थी तो वहाँ पर एक अहमदपुर माजरी का एक सरपंच है उसने उसे जेली मार दी। वह अपने हसबैंड के साथ थाने में गई लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अगर पुलिस सही मायनों में लोगों की रक्षा करना चाहता है तो उसे ऐसे केसिज में लोगों की मदद करनी

चाहिए। मेरे पास एक टेलीग्राम आई है इसमें लिखा है – “the Inspector General has stopped from 1st March promotion to head constables of Harijans and recruitment of Harijans” सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि प्रोमो इन में भी रिजर्वे इन होगी लेकिन आई.जी. हरियाणा ने, जिनते हरिजन लोग हैंड कांस्टेबल बनने थे, वे सारे के सारे एक मार्च से प्रोमोट हाने से रोक दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नम्बर 3 में 1994625 रूपये की मांग की गई है। यह पैसा इस सरकार ने आने वाले इलैक् इन की मतदाताओं की सूचियों में गलतियों को सुधारने के लिए मांगा है। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको भी पता होगा कि इस सरकार ने किस ढंग से खास करके आदमपुर, फतेहाबाद, भट्टू कलां, कालका और कुरुक्षेत्र के हल्कों में बोगस वोट तैयार करवाए थे। उसके बारे में अखबारों में भी खबर आई थी। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार जात पात नहीं फैलाती है ? डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा प्रान्त के अन्दर इलैक् इन बूथ बनाए जा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में डी.सी. को यह हिदायत दी गई है कि जाहं पर हरिजनों को वोट नहीं डालने दिए जाते उन गांवों में हरिजनों के लिए अलग बूथ बना कर दिए जाएं। रोहतक और सोनीपत जिलों के डी.सी. पर इस सरकार का यह दबाव है कि इन जिलों के हल्कों में हरिजनों को अपने वोट डालने के लिए अलग बूथ बनाए जाएं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस तरह से बूथ बनाने से जातपात का जहर नहीं फैलता लेकिन इस

सरकार को यह बहम है कि यदि हरिजनों के लिए अलग से बूथ बना दिए जाएं तो आने वाले इलैक्शन में सारे हरिजन कांग्रेस को वोट देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए इस सरकार को यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह से बूथ बनाने से हरिजन लोग आपको कभी भी अपनी राय नहीं देंगे। इसलिए मेरी इस सरकार से पुरजोर मांग है कि हरिजनों को अपने वोट डालने के लिए अलग बूथ न बना कर दिए जाएं। इस तरह से अलग बूथ बनाने से जातपात का जहर खत्म नहीं होगा। इसके अलावा मैं इस सरकार से एक और बात कहना चाहता हूँ कि जहां जाटों के गांव हैं वहां पर इस सरकार ने अलग बूथ बनाए हैं और जहां ब्राह्मणों के गांव हैं वहां पर नहीं बनाए। इसलिए यह सरकार हरिजनों के साथ भेदभाव करती है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय मैं डिमांड नम्बर 13 के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। डिमांड नम्बर 13 सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में है। यह सरकार कहती है कि स्पैशल कम्पोनेंट स्कीम चलाई है चाहे कोई भी काम हो हर काम में यह सरकार कहती है कि हमने कम्पोनेंट स्कीम चलाई है, चाहे गधी मरी पड़ी हो फिर भी यह सरकार कहती है कि हमने 20 सूत्रीय प्रोग्राम चलाया है। डिप्टी स्पीकर साहब, कम्पोनेंट स्कीम का मतलब होता है कि सरकार जितना पैसा हर महकमें के लिए अलाट करती है उसका 12 परसेंट पैसा हरिजनों की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए। यह सरकार कहती है कि हमने 30 करोड़

41 लाख रुपया हरिजनों की भलाई के लिए खर्च किया है लेकिन मैं यह कहता हूँ कि किसी भी महकमें में 12 परसेंट पैसा हरिजनों की भलाई के लिए खर्च नहीं होता है। डिप्टी स्पीकर साहब, एक रिजर्व्ड कास्टस सैल बनाया हुआ है जिसके चेयरमैन चीफ मिनिस्टर खुद होते हैं। उस सैल का एक डेढ़ साल पहले सर्कुलर हुआ था कि इस सैल की हर तीन महीने बाद एक मीटिंग होगी, उसमें अपोजीटिव पार्टी के सदस्य भी होते हैं, मैं और श्री जय नारायण वर्मा उस सैल के मैम्बर हैं, आज तक उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी एक भी मीटिंग नहीं बुलाई। वह सैल इसलिए बनाया गया है ताकि हरिजनों की जो समस्याएं होती हैं उन पर विचार किया जा सके और उन समस्याओं का कोई न कोई हल निकाला जा सके। डिप्टी स्पीकर साहब इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में भी यह फैसला किया है और उसकी यह पालिसी है कि जितनी भी कस्टोडियन की जमीन है उसकी हरिजनों में बंटी की जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, 3800 से ज्यादा लोगों ने कस्टोडियन की जमीन पर कब्जा कर रखा है इसलिए मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह सारी जमीन बेदखल करके हरिजनों में उसकी बंटी की जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट का यह भी फैसला है कि जिस जमीन पर जिसका पांच साल से कब्जा है उसको उस जमीन का मालिक बना दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, यह सरकार उन लोगों को उस जमीन का मालिक बनाने जा रही है जो चीफ मिनिस्टर साहब के नजदीक हैं और गांवों में

हरिजनों को सरज़प्लस जमीन दे कर किसानों के साथ लड़ाते हैं। जितनी भी जमीनों पर नाजायज कब्जे होते हैं वह सारे यह सरकार करवाती है। इसलिए डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि जितनी भी सरकारी जमीन है वह सारी कस्टोडियन की जमीन है इसलिए उसकी हरिजनों में बोली होनी चाहिए। इसके अलावा यह सरकार कहती है कि हम हर काम 20 सूत्री प्रोग्राम के तहत करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इसको 20 सूत्री प्रोग्राम न कह कर, 20 गृह कहूंगा। एक गृह ने अपना असर दिखाया ओले पड़े, दूसरे ने असर दिखाया तो भीत लहर चली, तीसरे ने दिखाया तो आंधी चली और बर्फ पड़ी। सभी गृहों ने अपना अपना काम किया लेकिन अभी एक गृह बाकी है और उसका असर होगा। इन भाब्डों के साथ मैं यह कहता हूँ कि इस सरकार ने जितना पैसा मांगा है वह गलत मांगा है वह हाउस मंजूर न करे।

वाक आउट

स्वामी आदित्यवे । (हथीन): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय चौधरी खुर गीद अहमद जी ने जो अनुपूरक मांगे हमारे सामने रखी है मैंने उनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जिन

विकास के कार्यों के लिए जो पैसा मांगा गया है (गोर एवं विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, हम स्वामी आदित्यवे 1 का भाषण नहीं सुनना चाहते (गोर एवं विघ्न) इसलिए हम सदन से वाक आउट करते हैं। (गोर एवं विघ्न)

(इस समय विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)

वर्ष 1981-82 के सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स (दूसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

स्वामी आदित्यवे 1: आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक मांगों के जरिए इस सरकार ने जितना भी पैसा मांगा है वह न्यायोचित है। सरकार ने केवल 117 करोड़ रूपए की मांग मांगी है और इसमें से 68 करोड़ यूप कर्जे के रूप में चुकाने हैं। यह कर्जा भी जनता पार्टी की सरकार के समय का है जो कर्जा न चुका सकी और कांग्रेस सरकार चुका रही है। यह कर्जा भी रिजर्व बैंक आफ इंडिया का ओवर ड्राफ्ट है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 18 करोड़ रूपया सरकारी कर्मचारियों को डी.ए. की अतिरिक्त किस्ते देने के कारण और नए वेतनमान देने के कारण खर्च हुआ है। लगभग 4-5 करोड़ रूपया समाज कल्याण विभाग को दिया गया है जोकि हरिजन लोगों पर और पिछड़ी जाति के लोगों को भलाई के लिए खर्च किया गया है। इन

अनुपूरक मांगों में जितना भी पैसा रखा गया है वह एक एक रूपया एक एक व्यक्ति पर खर्च किया गया है। चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे सरकारी कर्मचारी है और चाहे कोई विकास के कार्य है यह सारे का सारा पैसा बड़े अच्छे तरीके से खर्च किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि एक सबसे वयोवृद्ध सन्यासी भीश्म जी की एक हजार रूपया प्रति माह पेंशन कर दी हैं। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। आज तक किसी भी सरकार ने उस वयोवृद्ध सन्यासी के बारे में नहीं सोचा था। इस सरकार ने उसको पेंशन दी है यह बहुत ही अच्छा काम किया है इसके लिए प्रतिपक्ष के सदस्यों को भी सहानुभूति होनी चाहिए। लेकिन मेरे प्रतिपक्ष के साथियों के सामने केवल एक सूत्री प्रोग्राम है, चरित्र हनन करना एवं मिथ्यारोप लगाना। जब बाबू मूल चन्द जैन बोलने के लिए खड़े हुए उस समय वे कह रहे थे कि (गोर एवं विघ्न)

चौधरी उदय सिंह दलाल: डिप्टी स्पीकर साहब, स्वामी आदित्यवे । क्या मिनिस्टर लगे हुए हैं जो बाबू जी का नाम ले रहे हैं। स्वामी आदित्यवे । दोशी आदमी है इसलिए इनको बाबू मूल चन्द जैन जी का नाम नहीं लेना चाहिए। (गोर एवं विघ्न)

मास्टर रिाव प्रसाद: आन ए प्वाएंटा आफ आर्डर सर। मैं आपके द्वारा स्वामी आदित्य वे । जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन्होंने फारेन टूर पर कितना पैसा हड़प किया और दो जगह से टी.ए. लेकर कितना पैसा इकट्ठा किया ? (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

स्वामी आदित्यवे T: उपाध्यक्ष महोदय, बाबू मूलचन्द जैन जी बड़ी होि गयारी के साथ बात करते है। (गोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: आप जैन साहब का नाम कैसे ले सकते हैं ? (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब, ये जैन साहब की कोई बुराई नहीं कर रहे। (गोर)

स्वामी आदित्यवे T: उपाध्यक्ष महोदय, बाबू मूल चन्द जैन जी कह रहे थे कि चौधरी भजन लाल की सरकार मोतियो की सरकार है। मैं कहता हूँ कि मोतियों की नहीं बल्कि हीरों एवं रत्नों की सरकार है। (गोर एवं व्यवधान)

(इस समय विरोधी पक्ष की ओर से आवाजें आई, रंगीन बाबा हाय हाय)

नेमिंग आफ मैम्बर

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्वामी आदित्यवे T हाउस में कैसे बोल सकते हैं ? (गोर) इन का यह पोस्टर सारे हाउस को बताया है कि ये कैसे कैसे काम करते हैं ? (गोर) मेरे हाथ में जो पोस्टर है, उससे साफ जाहिर है कि ये कैसा कैसा काम करते हैं ? (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: पोहलू जी आप बैठ जायें। (गोर) आप बैठ जायें नहीं तो आपको नेम करना पड़ेगा।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: डिप्टी स्पीकर साहब, ये हाउस में कैसे बोल सकते हैं ? (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: पोहलू जी आप बैठ जाए। (गोर) पोहलू जी आप बैठ जाएं। (गोर) Pohloo Sahib, I name you. (गोर)

(इस समय मा र्ल द्वारा श्री जगजीत सिंह पोहलू को हाउस से बाहर ले जाया गया)

वर्ष 1981-82 के सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स (दूसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

स्वामी आदित्यवे ा: मैं यह कह रहा हूं कि जो काम ये करते हैं, उनको छिपाते हैं ? (गोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: डिप्टी स्पीकर साहब, बाबा जी हाउस में कैसे बोल सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब आप बहुत इन्ट्रुप्ट कर रहे हैं। आप चुप हो जाएं। (गोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: ये हाउस में बोल कैसे रहे हैं। (गोर)

आवाजें: स्वामी जी को अस्तीफा देना चाहिए।

स्वामी आदित्यवे A: यदि ये हमें नहीं बोलने देंगे तो मैं भी इनमें से किसी को नहीं बोलने दूंगा। (गोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। ये हाउस में किस मुंह से बोल रहे हैं ? (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। (गोर)

स्वामी आदित्यवे A: डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी भजन लाल की सरकार की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। (गोर) यहां पर दलाल साहब बैठे हुए हैं इनका तो सिर्फ एक ही सूत्र है कि सरकार की बदनामी की जाए। (गोर) इनका काम तो सिर्फ सरकार की आलोचना करना ही है। (गोर) दलाल साहब जहां पर बैठकर करते हैं। (गोर एवं विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इन भाब्डों के प्रति गहरा रोश प्रकट करता हूं।

चौधरी उदय सिंह दलाल: बाबा जी आपको तो सिलवार सिलवा कर देनी पड़ेगी। (गोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: का भाब्द एक्सपंज होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: गुण्डागर्दी का भाब्द एक्सपंज कर दिया जाये। (गोर) स्वामी जी आप किस डिमांड पर बोल रहे हैं। अगर

डिमांड पर नहीं बोलना है तो आप बैठ जाये। अगर डिमांड पर बोलना है तो बोल लें।

चौधरी उदय सिंह दलाल: बाबा जी तेरे को जनता ऐसे याद रखेगा। (गोर)

चौधरी गया लाल: डिप्टी स्पीकर साहब, सभी को बराबर का मौका बोलने के लिए मिलना चाहिए। (गोर एवं विघ्न)

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): स्वामी जी को भी बोलने का पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। ये जब किसी को नहीं बोलने देते तो इनको भी नहीं बोलने दिया जायेगा। (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगन नाथ जी आप बहुत इन्ट्रूट कर रहे है। आप मंत्री भी है। आपको ज्यादा बोलने के सम्बन्ध में पहले भी कई बार कहा जा चुका है। आप चुप रहें। (गोर)

स्वामी आदित्यवे T: डिप्टी स्पीकर साहब, ये मेरे बारे में बहुत कुछ कह चुके है। (गोर) ये कह रहे थे कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं अब भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यदि मैंने कोई गलत काम किया है तो ये मुझे सजा दे सकते हैं। (गोर) इनको बोलते हुए कुछ सोचना चाहिए। ये हाउस में किसी की बहन बेटी पर कीचड़ उछाल रहे है इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है ? (गोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: हमने किसी पर कोई कीचड़ नहीं उछाला। (गोर) आप रिकार्ड चैक कर सकते हैं। हमने किसी पर कीचड़ नहीं उछाला। (गोर)

श्री रण सिंह मान: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए सी.एम. साहब कह रहे थे हमने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया। (गोर) मैं अब भी कह रहा हूँ कि इन्होंने फतेहाबाद में जमीन पर नाजायज कब्जा किया है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात की जांच पड़ताल के लिए बे एक हाउस की एक कमेटी बना दें। (गोर) इन्होंने वकफ बोर्ड की जमीन हड़प ली है। (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। आप बैठ जाएं। (गोर)

श्री रण सिंह मान: यह बात मैं अब भी कह रहा हूँ कि इन्होंने जमीन पर नाजायज कब्जा किया है। (गोर)

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ग़िद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी मर्जी के बग़ैर जो बोला जाये वह रिकार्ड न किया जाये। (गोर)

चौधरी अजीत सिंह (बेरी): डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं डिमांड नं. 2 पर बोलना चाहता हूँ। (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: गया लाल जी आप बैठे बैठे स्वामी जी को बोलने के लिए कह रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है। अजीत सिंह जी आप बोलें।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमति भान्ति देवी): इनको बोलने के लिए पूरा समय दिया जाना चाहिए था। (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: इनको डिमांडज पर बोलने के लिये पूरा समय दिया गया था। लेकिन ये डिमांडज पर बोले ही नहीं। मैंने इनको दो बार कहा था कि आप डिमांड पर बोलें लेकिन इन्होंने मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। (गोर)

श्रीमति भान्ति देवी: यदि ये हमें नहीं बोलने देंगे तो हम भी इन्हें नहीं बोलने देंगे। (गोर)

श्री सुरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वामी जी को डिमांड पर तो बोलने का मौका दें। (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: श्री अजीत सिंह जी, आप अपनी स्पीच जारी रखें।

चौधरी अजीत सिंह: मैं सबसे पहले डिमांड नं 2 पर अपनी कुछेक बातें हाउस के सामने कहना चाहता हूँ। (गोर)
हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, ये हमें गा चण्डीगढ़ से बाहर टूर पर रहते हैं। कुछेक मंत्री तो हमें गा दिल्ली में पड़े रहते हैं। उपाध्यक्ष

महोदय, मंत्री परिशद अपने दौरों के लिए जो पैसा मांग रही है, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। इतनी अधिक मात्रा में खर्चा करना उचित नहीं है। आज दूसरी तरफ किसानों की क्या हालत है, मजदूरों की क्या हालत है, यह देखने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, जिन मंत्रियों को ज्यादा समय काम करने में लगाना चाहिए वे ऐसा न करके टी.ए. और डी.ए. कमाने में लगे हुए हैं जो मंत्री एक भाब्द भी हाउस के अन्दर लोगों की भलाई के लिए नहीं बोलते वे सबसे ज्यादा दिन दौरा करते हैं और यात्रा भत्ता वसूल करते हैं। मुख्य मंत्री जी ने तो रिकार्ड ही तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा पैसे इन्होंने यात्रा भत्ते के वसूल किए हैं और 36 लाख रूपया और मांगा जा रहा है इससे बुरी और क्या हो सकती हैं। एक तरफ तो हरियाणा के अन्दर लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है लेकिन दूसरी तरफ मंत्रिगण दौरे और करने के लिए पैसे मांग रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वह बात है कि:—

स्वानो को मिलता दूध वसन,

भूखे बालक अकुलाते हैं,

मां की हड्डी से चिपक ठिठुर,

जाड़े की रात बिताते हैं।

नारी के लज्जा बसन बेच,

जब ब्याज चुकाए जाते है,

मालिक जब तेल फुलैलों पर, पानी सा द्रव्य बहाते हैं।

स्वामी आदित्यवे 1: उपाध्यक्ष महोदय, यह कौन सी डिमांड है ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप डिमांड नम्बर बता दें।

चौधरी अजीत सिंह: डिमांड नं. 2 है जी। (गोर) उपाध्यक्ष महोदय, इनकी फजूलखर्ची का एक और उदाहरण मैं देता हूँ। मांग नं. 24 में लिखा है कि सूरजकुंड में राज हंस मोटल बनाने के लिए 50,00,000 रूपया चाहिए। आज किसान को रोटी नहीं मिलती, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, दस्तकार को उसकी चीजों की पूरी कीमत नहीं मिलती, छोटे कर्मचारियों को पूरी तख्वाह नहीं मिलती लेकिन ये अपनी ऐ गे इ ारन के लिए राजहंस मोटल बना रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, यह गरीबों के खून पसीने की कमाई है इसे इस तरह से व्यर्थ खर्च नहीं किया जाना चाहिए। ये इस पैसे को वहां हरी घास देखने के लिए खर्च करना चाहते हैं। इनको हरी घास देखनी हो तो किसानों के खेतों में जाकर देखें। नाच देखेन और गाने सुनन हों तो ओलावृष्टि से छपपआते हुए किसानों के खेतों में जाकर देखें। उपाध्यक्ष महोदय, रंगरलियां मनाने के लिए इनको जनता के खून पसीने की कमाई

में से 50,00,000 रूपया नहीं दिया जाना चाहिए। इस पैसे को लोगों की भलाई के कामों में खर्च किया जाना चाहिए। (विधन)

श्री उपाध्यक्ष: ये बातें आप पहले भी कह चुके हैं। आप रैपिटि न न करें।

चौधरी अजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मांग नं. 5 आबकारी औरकराधान महकमे से सम्बन्धित हैं। इसके तहत ये 11,55,950 रूपए चल जांच प्रायेग ाला स्थापित करने के लिए मांग रहे हैं। यह प्रयोग ाला अवैध रूप से निकलने वाली भाराब को पकड़ा करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसे बारे में मैं कहना चाहता हूँ:—

जो डूबे हैं गिलासों में, न उभरे जिन्दगानी में,

हजारों डूब कर मर गए, बन्द बोतल के पानी में।

(विधन)

श्री बीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय सदस्य आबकारी और कराधान विभाग की बात कर रहे हैं लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि इसी महकमे की बदौलत हरियाणा सरकार को 60 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है जो कि एक उपलब्धि है। (विधन)

चौधरी अजीत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस पैसे से जो जीप खरीदी जाएगी और स्टाफ लगाया

जाएगा वह अवैध रूप से बनाई गई भाराब को रोकने में काम नहीं आएगा बल्कि इलैक्ट्रिक इन के अन्दर प्रयोग किया जाएगा। (विधन)

उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नं. 14 फुड एंड सप्लाइज की है। इसमें इन्होंने 2897000 रूपये की मांग की है। इसमें इन्होंने कहा है कि 22 चौक पोस्टस बनाई गई थी ताकि किसानों का गेहूं बाहर न जाए। इन्होंने 14 अस्थाई टेलिफोन भी लगाए थे। डिप्टी स्पीकर साहब, एक तरफ तो यह बात कही जाती है कि सारे देश का एक जोन है लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि गेहूं की अधिप्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए 22 चौकियां स्थापित की गई थी। यह कंट्राडिक्ट्री बात है। इसका सरकार जवाब दे।

डिप्टी स्पीकर साहब, मांग नं. 10 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य से सम्बन्धित है। इस मांग के तहत जल प्रदूषण केन्द्रीय बोर्ड के लिए 1353000 रूपया मांगा गया है। क्या यह पैसा ठीक ढंग से प्रयोग किया जाता है इसमें भी मुझे भाक है। आज सुबह जब चर्चा चल रही थी तो यहां बताया गया कि 12 फैक्टरीज के खिलाफ केस बनाए गए लेकिन ये एक आदमी का नाम ले लें जिसको पुलिस ने हथकड़ी लगा कर पेश किया हो या किसी के खिलाफ स्टे लिया हो। एक भी फैक्टरी के मालिक को वहां पेश नहीं किया गया क्योंकि ये फैक्टरी वालों के रखवाले हैं। उनकी खुशी आमद करते हैं। परन्तु दूसरी तरफ ये किसानों को और मजदूरों को जो पांच सौ रूपये या पचास रूपये सरकार के किन्हीं मजबूरियों के कारण नहीं दे पाते उनको ये जेल में बन्द करवाते

हैं और ऐसी जेलों के अन्दर बन्द करवाते हैं जहां सांप हों, बिच्छू हों और भिंडों के छते हो। इसलिए यह पैसा भी सरकार को नहीं दिया जाना चाहिए।

मांग नं. 9 शिक्षा से सम्बन्धित है। इसमें कहा गया है कि ऐजुके टन बोर्ड शिक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि पुरानी पुस्तकों को बदल कर अच्छी किताबें तैयार की जानी चाहिए।

मांग नं. 5 के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। स्वामी आदित्य वे ा जी ने चौधरी देवी लाल जी की सरकार के समय में भाराब बन्दी के लिए भूख हड़ताल की थी लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं क आज फिर भूख हड़ताल करने का समय हैं। इन्हें यह समय हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इन भाब्दों के साथ डिप्टी स्पीकर साहब मैं इन सब मांगों का विरोध करता हूं क्योंकि यह पैसा न तो पहले ठीक प्रयोग हुआ है और न ही आगे होगा।

कामरेड भांकर लाल (सिरसा): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं जनरल डिमांडज पर बोलना चाहता हूं। एम.आई.टी.सी. ने जो खालें बनवाई हैं उनका खर्च किसानों से वसूल किया जा रहा है। यह खर्चा किसानों से वसूल नहीं किया जाना चाहिए। खुद सरकार इस बरदा त करें। 50 परसैन्ट खालें जो हैं वे टूटी हुई हैं। वे इसलिए टूटी हुई हैं उन पर ठीक तरह से सीमेंट और मिट्टी

नहीं लगाई गई थी। इसलिए जिन ठेकेदारों ने और अफसरों ने वे खालें बनवाई हैं उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, फोर्थ क्लास कर्मचारियों को अभी सूती वर्दी मिल रही है जबकि तकनीक डिमांड टैरीकोट वर्दी की है। वर्कचार्जड कर्मचारी जगह जगह धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांगों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

एक डिमांड रिक्वायर्स पुलर की है। पहले रिक्वायर्स पास करवाने के तीन साढ़े तीन रूपये लिए जाते थे लेकिन अब सारी कमेटियों ने 12 रूपये कर दिए हैं। तीन रूपये रिक्वायर्स पुलर से ड्राइवरीकरण के लिए जाते थे लेकिन इसका रेट अब सरकार ने 6 रूपये कर दिया है। (विधन) डिप्टी स्पीकर, मैं यह बात गरीबों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए कर रहा हूँ। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा के अन्दर ला एंड आर्डर की हालत भी बड़ी चिन्ताजनक हैं। गरीब आदमियों को आज बिना कसूर पीटा जाता है। इस तरह से कई लोगों की मौतें हुई हैं। सरकार को चाहिए कि इस तरह की नाजायज हरकत करने वाले लोगों के खिलाफ ऐक्शन ले।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों घग्गर नाले में बाढ़ आ जाने के कारण सिरसा में 2 हजार एकड़ जमीन पानी में डूब गई

थी। सिरसा जिले के बारे में सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और न ही सरकार की ओर से कोई जवाब मिला है। एक मेरा सवाल था कि जोहड़नाला, अबूबगढ़ और घनुर कैहलेना गांवों का रकबा डूब गया है उसे बचाया जाये परन्तु कोई भी स्टैप्स नहीं लिए हैं।

इसके अलावा झुग्गी झोंपड़ियों की हालत भी वहां बहुत ही खराब है। जिन लोगों ने जमीन पर अपनी झोंपड़ियां बना ली थी उन कालोनियों को सरकार ने रिकगनाइज्ड नहीं किया। वहां पर गरीब लोग बसते हैं। वहां न पानी का प्रबन्ध है और न ही सड़कों आदि का प्रबन्ध है। इसलिए मेरी सरकार से गुजारि है कि वहां पर उन कालोनियों को रिकगनाइज्ड किया जाये।

इसी प्रकार से मेरे इलाके में फूलकां से कंवरपुरा सुचान मंडी से जोदकां और दड़बी से भरेकां की सड़के अधूरी पड़ी हैं, उन्हें पूरा किया जाये। मैं अपोजी इन का मैम्बर हूं। अपोजी इन का हल्का होने से वहां पर विकास का कोई काम नहीं हो रहा है खासकर मेरे हल्के सिरसा में। अपोजी इन का एम.एल.ए. होने के कारण सारा काम ड्रौप कर दिया है। कमेटी एरिया में काफी गन्दगी है। ढेर के ढेर गन्दगी के पड़े हैं। कुछ खैरपुर वगैरह का एरिया म्यूनिसिपल कमेटी में आया है उसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार की ओर से चालीस लाख रूपया मंजूर किया गया था लेकिन आज तक वह पैसा नहीं दिया

गया। (तोर) इसलिए मेरी गुजारि ा है कि इस ओर ध्यान दिया जाये।

स्वामी आदित्य वे ा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि क्या आपने अपोजी ान के लोगों को फ्री लाइसेंस दे रखा है कि वे कुछ भी कहें।

Mr. Deputy Speaker: This is no point of order. So I over rule it. Please sit down.

श्री लहरी सिंह मेहरा (रादौर—एस.सी.): उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने 117 करोड़ की सप्लीमेंटरी डिमांडज आयी है। कई मैम्बरज ने बोलते हुए कहा है कि यह पैसा खामखाह ही खर्च किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर आठ पर बोलना चाहता हूँ। यह पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट के विशय में है। आप को जान कर हर्ष होगा कि हरियाणा का कोई ऐसा गांव नहीं है जो कहीं न कहीं से सड़क से न जोड़ा गया हो। अपोजी ान के भाइयों की जब सरकार थी उस समय तो इन लोगों ने काम करके नहीं दिखाया। अब यह सरकार कर रही है तो भी यह एतराज कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जो भी पैसा पी. डब्ल्यू.डी. विभाग ने खर्च किया है वह पास किया जाये। हरियाणा के गरीब लोगों को भाहर में पहुंचने की दिक्कत होती थी परन्तु आज हर गांव को सड़क के साथ जोड़ दिया गया है। हर गांव का आदमी भाहर में आसानी से पहुंच सकता है।

श्री फतेह चन्द विज: डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी लहरी सिंह जी कह रहे हैं कि हरियाणा में कोई गांव नहीं है जहां सड़क नहीं है। मैं 7-8 गांवों के नाम बता सकता हूँ जहां आज तक सड़क नहीं है। मिनिस्टर साहब बे तक पता कर लें।

श्री उपाध्यक्ष: आप गांव के नाम मिनिस्टर साहब को लिख कर दे दें।

श्री लहरी सिंह मेहरा: ये सड़े रिटों के कारण रूकी हुई है। इन लोगों ने ही रिटे करवा रखी है। अब मैं डिमान्ड नम्बर नौ पर बोलना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज तक सात सौ स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। भारी खर्च किया होगा। जब तक एजुकेशन नहीं बढ़ायी गई थी तब तक हमारे छोटे भाई बहिनों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी थी क्योंकि उन लोगों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर तक स्कूलों में जाना पड़ता था। अब हमारे यहां थोड़े थोड़े फासले पर स्कूल खुल रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। सात करोड़ 33 लाख रूपया एजुकेशन पर खर्च हो रहा है। यह बहुत अच्छी जगह पैसा लगा है। अपोजी एन के भाई तो वैसे ही कहते रहते हैं कि खामखाह पैसा खर्च किया है।

अब मैं। हैल्थ डिपार्टमेंट के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। रूरल एरिया में सरकार ने अस्पताल और डिस्पेंसरीज काफी मात्रा में खोली है। सारे देश में एक प्रकार से रिकार्ड कायम

किया है। आप को यह जान कर भी खुशी होगी कि इरीगे टान डिपार्टमेंट पर तीन करोड़ 57 लाख बजट से अलग खर्च हुआ है। यह वास्तव में सही जगह पर पैसा लगा है। इस वर्ष कई जगहों पर बाढ़ इतनी ज्यादा आयी कि यमुना नदी ने कटाव करके काफी जमीदारों का नुकसान कर दिया। उस कटाव से बचाने के लिए सरकार ने काफी कोशिश की है। वहां पर बान्ध बांधे गये हैं। वहां पर ठोकरें लगायी है। ताकि गरीब किसानों की जमीन बच सके और हरियाणा ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सके। उपाध्यक्ष महोदय ऐनिमल हस्बैन्डरी डिपार्टमेंट ने भी बहुत ज्यादा काम किया है। (विधन)

श्री उपाध्यक्ष: चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अभी आपने चौधरी बीरेन्द्र सिंह को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। रूल में है कि हाउस में जो भी मैम्बर तकरीर करें वह अपनी सीट से करे, दूसरी की सीट से नहीं कर सकता। अगर कोई मैम्बर किसी मैम्बर से कंसलटे टान के लिए बैठ जाये तो क्या यह भी रूल की उल्लंघना है ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण व्यवस्था देने का काम आप लोगों ने मुझे सौंपा है। आप किसी मैम्बर से कंसलटे टान के लिए जा सकते हैं मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप नहीं जा

सकते। अगर कोई सदस्य हाउस की व्यवस्था खराब कर रहा है तो ही मैंने कहा है।

श्री लहरी सिंह मेहरा: मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि पशुपालन विभाग के मंत्री जी, जिन्होंने हरियाणा में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में एक रिकार्ड कायम किया है कि रूरल एरियाज में जो बेजुबान जानवर हैं, उनका इलाज हो सके, उनको मैं बधाई देता हूँ। इससे हरियाणा के अन्दर भवेत क्रान्ति आने से इन्डिया में फर्स्ट नम्बर पर हमारा प्रदेस आ सकेगा। इस बारे में मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि जो अगले साल के बजट में इस काम के लिए 2 करोड़ रुपया रखा गया है, उसकी बजाये 6 करोड़ रुपया रखा जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में और भी ज्यादा काम हो सके।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं वन विभाग के बारे में भी कुछ बोलना चाहूंगा। आज तक इस बारे में आपके सामने सारे इंडिया की फिगरज आयीं हैं। हरियाणा ने भी 6 करोड़ पेड़ लगाकर एक रिकार्ड कायम किया है। आज हरियाणा के हर गांव की सड़क पर दरख्त लगे हुए हैं। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसकी सड़क पर दरख्त न लगे हों। इन दरख्तों के लगाने का यह फायदा होगा कि इससे बाढ़ कम होगी और बरसात का जो पानी है, वह टाईम पर बरसेगा। किसानों को इसका बड़ा फायदा होगा।

इसके साथ साथ मैं इन्डस्ट्रीज के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। इस बारे में मांग संख्या 16 है। इन्डस्ट्रीज के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, जितना भी रूपया मांगा गया है, यह वास्तव में ठीक जगह पर लगाया गया है। मेरा अपनी सरकार से यह निवेदन भी है कि रादौर में स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेट्स की तरफ से एक कामप्लैक्स बनाया जाना था। उस कामप्लैक्स को मन्जूर हुए भी 4-5 साल हो चुके हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि वह आज तक भुरु भी नहीं हुआ है। हर बार बजट में इसके लिए पैसा रखा जाता है लेकिन उसको भुरु नहीं किया जाता। इसलिए मेरी अपनी सरकार से यह गुजारि है कि इस काम को जल्दी से जल्दी एक्सीपीडिईट करवाया जाये और इसे जल्दी से जल्दी बनाया जाये (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और सुझाव एग्रीकल्चर के बारे में दूंगा। (घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: आप जल्दी खत्म कीजिए। अभी मंत्री जी ने भी जवाब देना है। डेढ़ बजे तक सदन ने चलना है।

श्री लहरी सिंह मेहरा: अब मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। मंडूसी को मारने के लिए, जिसकी वजह से गेहूं की फसल बिल्कुल खत्म हो जाती है, जो दवाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा दी गयी है उससे कुछ एरिया में तो फायदा हुआ है क्योंकि दवाई ठीक पहुंची है लेकिन कुछ एरिया में दवाई ठीक न होने की वजह से सरसों ही खत्म हो गयी है और मंडूसी अभी भी ज्यों की त्यों कायम है। मेरा कहना यह है कि इस

बारे में इन्कवायरी करवाई जाये और जिस कम्पनी ने एजेंसी ने वह दवाई सप्लाई की है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाये ताकि आगे से ऐसा घपला न हो और मंडूसी को मारने के लिए दवाई ठीक मिले। (घंटी) अच्छा जी, धन्यवाद।

मास्टर रिाव प्रताप (अम्बाला भाहर): उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी लहरी सिंह ने अभी सप्लीमेंटरी डिमांडज पर बहस में भाग लिया है। जो बातें पहले कही गयी हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। सबसे पहले तो मैं मांग नं. 9 पर कुछ कहना चाहता हूँ जोकि एजुकेशन के बारे में हैं और मैं एक अध्यापक होने के नाते इस पर बोलना जरूरी समझता हूँ। (व्यवधान एवं भाोर) इस हाउस में जो सप्लीमेंटरी डिमांडज रखी गयी है, उनमें एजुकेशन की डिमांड है। इसके तहत पहले मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात करूंगा। सरकार ने यह कहा है कि हमें इसके लिए कुछ पैसा जरूर मिलना चाहिए। इसमें कोई भाक नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला और बुनियादी काम प्राइमरी शिक्षा का है। (व्यवधान) यहां पर बहुत ही ऊंची आवाज में यह कहा जाता है कि हमने गांव गांव में प्राइमरी स्कूल खोल दिये हैं ताकि हरेक बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन दुःख की बात यह है कि जब भी प्राइमरी शिक्षा या स्कूल के टीचर्स के बारे में कोई मांग रखी जाती है तो उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अगर सरकार वाकई प्राइमरी शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहती है तो मैं यह कहता हूँ कि प्राइमरी शिक्षा के

बारे में जो समस्याएं हैं, उनकी ओर सरकार विशेष ध्यान दे। मैं यह समझता हूँ कि सरकार जो पैसा पुलिस पर खर्च कर रही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पुलिस और प्राइमरी एजुकेशन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज क्या हाल है। इन्होंने यह मांग इसलिए रखी है क्योंकि यह कुछ कॉलेजिज जो हरियाणा में हैं, उनके लिए एक अलग से डायरेक्टोरेट कायम करना चाहते हैं। हायर सैकण्डरी स्कूलज और हाई स्कूलज इतने ज्यादा नहीं हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के साथ उनको जोड़ा जा सके। जब यह मांग रखी जाती है कि प्राइमरी स्कूलज के लिए एक अलग से डायरेक्टोरेट कायम किया जाये तो यह सरकार कोई ध्यान नहीं देती। इस डिमांड को मानने में क्या परेशानी हो सकती है। आज प्राइमरी शिक्षा से सम्बन्धित लोग यह महसूस करते हैं, कि उन्हें अपनी उचित मांगें मनवाने के लिए भी सड़कों पर मारा मारा फिरना पड़ता है। पिछले सदन में भी मैंने ट्रान्सफर के बारे में एक सुझाव दिया था। गांव के अन्दर अगर किसी अध्यापक को लगाया जाता है तो उसको कुछ न कुछ इन्सैन्टिव दिया जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है। होता यह है कि बाहर में लगने वाले अध्यापक को तो सिटी अलाउन्स भी, हाउस रेंट अलाउन्स भी और मैडीकल फैसिलिटी भी पूरी मिलती है लेकिन गांव में लगने वाले अध्यापक को कुछ भी नहीं मिलता। उल्टे उसको रोज आने जाने पर बस का किराया अपनी जेब से देना पड़ता है। मैंने पिछली दफा भी इस बारे में सुझाव दिया था कि टीचर्स को ऐसा कोई इन्सैन्टिव देने के लिए पैसा मांगा जाता तो हम इस सरकार

की सरहाना करते लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा नहीं किया गया है। मेरा कहना यह है कि अगर यह ऐसा कर देते कि यह जो इन्सैटिव एक टीचर को गांव में पोस्टिंग की वजह से मिलने चाहिए वह भी मिलते और उसको आने जाने के लिए फ्री पास मिलता तो भायद कुछ हद तक यह जो ट्रांसफर्ज की समस्या है, यह भी हल हो जाती। प्राइमरी स्कूलज के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कई स्कूलों में दो सौ रूपया देकर ज्यादा रूपये पर दस्तखत करवाये जाते हैं। ऐसा ही एक महावीर गर्ज स्कूल जींद में हैं, जहां चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की वजह से 17 अध्यापक आज स्कूल से बाहर हैं क्योंकि एक ग्रुप को यह स्पोर्ट करते हैं। ऐसे स्कूलज में जो 200 रूपये देकर 600 रूपये पर दस्तखत करवाते हैं, यह समस्या हल हो जाती, यदि उनको खजाने से वेतन दे दिया जाता। आप 95 प्रति त तो उनको ग्रांट देते ही हो, अगर यही 95 प्रति त ग्रांट के बदले उनको खजाने से वेतन दे दिया जाता है तो यह समस्या हल हो जाती है। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि इस ओर कुछ न कुछ ध्यान अव य दें।

इसके बाद मैं पुलिस की डिमांड पर बोलना चाहता हूं। मैंने ला एण्ड आर्डर के कई उदाहरण दिये हैं। स्वामी आदित्यवे जी ने कहा कि इस सरकार को मोतियां वाली सरकार कहा गया है। मैं इस सरकार की मोतियां आपको बताना चाहता हूं कि कहां कहां पर क्या हो रहा है। कोई तो बलविन्द्र कौर कांड के साथ

जुड़ा हुआ है और कोई प्लाट्स की अलाटमेंट्स की वजह से उलझन में पड़ा हुआ है। किसी ने फतेहाबाद में अपने भतीजे को जमीन अलाट करवा दी है। कहीं पर रैस्ट हाउसिज में अयया गी के अड्डे बनाये जाते है तो कहीं पर कुछ और किया जा रहा है। ऐसे ऐसे काम हरियाणा में हो रहे है। आप केवल इन मुद्दों पर चर्चा ही कर सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने मुख्य मंत्री जी को पुलिस की एफी गियैन्सी और हालत को चैक करने की बाबत एक सुझाव देना चाहता हूं। एक रात अपनी कार लें और अचानक पुलिस स्टे गन्ज को चैक कर लें। कहीं पर भी चले जायें। इनको 8-9 बजे के बाद कहीं पर भी पुलिस स्टे गन्ज में इन्सपैक्टर्ज या सब इन्सपैक्टर्ज भाराब पीये हुए बगैर नहीं मिलेंगे। अगर कोई मिल जाये तो मेरी बात झूठी होगी। मेरा कहना यह है कि आज भारीफ आदमी पुलिस थानों में भी नहीं जा सकता। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहता हूं। (व्यवधान व भाोर) जिस पुलिस के लिए पैसा मांगा जा रहा है, उसके होते हुए आज बैंक लूटे जा रहे है, बसे लूटी जा रही हैं। पिछले दिनों में पुलिस की जो भर्ती हुई है, उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो बच्चे दौड़ों में फर्स्ट आये हुए थे, खेलों में अव्वल नम्बर पर अये हुए थे, जिनकी छाती पूरी थी और सब तरह से वे फिट थे, उनको न लेकर अपने सिफारि गी आदमियों को भर्ती कर लिया गया है। (घांटी) इन्हीं भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

वित्त मंत्री (चौधरी खुर गिद अहमद): डिप्टी स्पीकर साहब, हाउस के सामने आज जो सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स ऐस्टीमेट्स पे 1 किए हैं और उनके बारे में मैम्बर साहेबान ने अपने अपने मुखतलिफ ख्यालात का इजहार किया है

नेम किए गए सदस्य को वापिस बुलाना

श्री भागी राम: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। कुछ देर पहलै एक मैम्बर को नेम किया गया था। वह एक पार्टी के प्रधान हैं। उनको वापिस बुला लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: आप उनको बुला लो। उन्होंने एक चिट भेजी है कि वे अपनी तरफ से सदन में व्यवस्था को भंग नहीं होने देंगे।

वर्ष 1981-82 के सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स (दूसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी खुर गिद अहमद: डिप्टी स्पीकर साहब, 117 करोड़ रूपये के ऐस्टीमेट्स हाउस के सामने पे 1 किए गए हैं। अगर इसको देखा जाए तो पता चलता है कि कहां कहां पैसा खर्च हो रहा है और किस खाते में यह पैसा गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, 68.4 करोड़ रूपया पब्लिक डैट्स अकाउन्ट में रखा गया है। सिर्फ इसकी ऐन्टरी होती है। हिसाब किताब के खाते में यह

सिर्फ लिखा जाता है। इसके बाद जो पैसा रहा जाता है उसमें से सोलह करोड़ रूपया के करीब प्लान साइड में भोर्टफाल मं आया और उसकी तरफ हमने पैसा दिया। इसके बाद आपके सामने टोटल कमी 33.6 करोड़ रूपए की रह जाती है जो नोन प्लान साइड पर आया है। मेरे साथी श्री वर्मा ने एक केस रैफर किया और बाकी साथियों ने कोई खास बात नहीं कही सिर्फ अमाउन्ट रैफर किया है। डिप्टी स्पीकर महोदय, इस 33.6 करोड़ रूपए में से एक आइटम डीयरनेस अलाउन्स की है जाकि हरियाणा सरकार ने अपने ऐम्पलाइज जिनको स्टेट के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डीयरनेस अलाउन्स जो हरियाणा ऐम्पलाइज को ड्यू था उसको रोकना ठीक नहीं था और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक साल में पांच कि तें उनको दी हैं। इस मद पर 17 करोड़ पचास लाख रूपया खर्च हुआ है जो 33 करोड़ के आधे से ज्यादा बन जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, बाकी जो रूपया खर्च किया गया हैं वे छोटी छोटी मदें हैं जिन पर खर्च किया गया है। पैन् इन एण्ड अदर बैनिफिट्स पर 1.43 करोड़ रूपया, पेमेन्ट आफ इंट्रैस्ट पर 42 लाख रूपया, गवर्नमेंट आफ इंडिया को फरीदाबाद में जमीन स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर के लिए चालीस लाख रूपया दिया गया। पब्लिके इन आफ टैक्सट बुक्स के लिए 51 लाख रूपया। इस तरह के छोटे छोटे आइटम्ज हैं जिन पर खर्चा किया गया है। कोई ऐसा आइटम नहीं है जो गैर जरूरी हो। वर्मा साहब ने अपनी स्पीच में मिनिस्टर्ज की कोठियों और कारों के बारे में कहा। उन्होंने इस मद में पैस बढ़ाने पर एतराज किया। डिप्टी स्पीकर

साहब, एक तरफ तो श्री वीरेन्द्र सिंह चाहते हैं कि हर मिनिस्टर जाकर चैक करे कि कहां कहां किसान का नुक्सान हुआ है और दूसरी तरफ ये कारों के खर्च पर एतराज करते हैं। अगर हम कारों पर न जाएं तो क्या यह चाहते हैं कि हम लोग खच्चरों पर जाएं। Efficient Government needs the most efficient means of communication और उसके लिए यह खर्चा बिल्कुल ठीक है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्य: आप एक मैटाडोर ले लें और सब मिलकर उसमें चले जाएं।

चौधरी खुर शिद अहमद: आप भी मिनिस्टर रहे हैं और उस वक्त आपका टी.ए. सबसे ज्यादा होता था और हालत यह थी कि आप अपने हल्के का एक स्कूल हर महीने अपग्रेड करते थे। डिप्टी स्पीकर साहब, इनकी आपस की ही कन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। अभी वर्मा जी कह रहे थे कि पुलिस में इतनी भर्ती क्यों कर दी है ? डा. बृज मोहन गुप्ता ने कहा कि पुलिस की भर्ती और होनी चाहिए। इन लोगों को बोलने से पहले आपस में फैसला कर लेना चाहिए। भर्ती की तो हालत यह है कि जब वर्मा जी खादी बोर्ड के चेयरमैन थे तो इन्होंने एक दिन के काम के लिए तीन मिनिट्स का स्टाफ भर्ती किया था और मिनिट्स एक भी काम नहीं करती थी। वर्मा जी ने हरियाणा भवन के कमरों की रिजर्वेशन के बारे में यहां पर जिक्र किया। डिप्टी स्पीकर महोदय, हमने यह व्यवस्था कर दी है कि अगर किसी मैबर को हरियाणा भवन में कमरे की

जरूरत है तो टेलीफोन करके कमरा रिजर्व करा सकता है। हर मैम्बर के पास टेलीफोन है, उसको टेलीफोन अलाउन्स मिलता है फिर टेलीफोन करके कमरा बुक कराने में क्या दिक्कत है। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर कोई कन्ट्रोल हम न रखें या किसी तरह की कोई व्यवस्था न हो तो एक एक आदमी बीस बीस दिन और एक एक महीने तक कमरा ही खाली न करें। यह बात भी सभी के नोटिस में आई होगी कि कुछ लोग सालों तक कमरे पर कब्जा करके बैठे रहे और कमरे का किराया तक न ही दिया। कुछ मैम्बर्ज ने कमरों का गलत इस्तेमाल किया और किराया दिए बगैर महीनों तक ठहरते रहे। इस चीज को दूर करने के लिए अगर हम कोई व्यवस्था करते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। सो गल वैल्फेयर विभाग की डिमांड के नीचे खादी बोर्ड को चालीस लाख रूपया दिया है रूरल इंडस्ट्री में सका जिक्र इसलिए किया गया है कि यह गवर्नमेंट आफ इंडिया से मदद मिलती है। दोनों अलग अलग नहीं है

श्री जय नारायण वर्मा: मैं तो एक बात क्लीयर करवाना चाहता था कि सो गल वैल्फेयर के अन्डर खादी बोर्ड को चालीस लाख रूपया दिया है और इंडस्ट्रीज के हैड के अन्डर भी चालीस लाख रूपया दिया है। ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं ? कहीं गलती से दो जगह तो चालीस लाख रूपया नहीं लिख दिया गया ?

चौधरी खुर गद अहमद: दोनों अलग अलग स्कीमज नहीं है। हमने अस्सी लाख रूपया नहीं दिया है।

श्री जय नारायण वर्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा इनसे यह कहना चाहता हूँ कि जरा ओवर ड्राफ्ट के बारे में भी बतला दें।

चौधी खुर गद अहमद: हां, डिप्टी स्पीकर साहब, ओवर ड्राफ्ट के बारे में यहां पर कहा गया कि ओवर ड्राफ्ट बहुत बढ़ गया है। मैं हाउस के सामने यह बात रखना चाहूंगा कि जब हमने पिछले साल का बजट पे 1 किया था (गोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बताना चाहता था कि ओवर ड्राफ्ट की डेली पोर्जी इन देखने की बात नहीं होती। कब भुरु होता है और कब खत्म होता है, कितने से भुरु हुआ और कितने पर खत्म हुआ, इन सब बातों को मिलाकर हिसाब किताब देखना पड़ता है। डिप्टी स्पीकर साहब, 1981-82 में जब बजट पे 1 किया था तो हमारा डेफीसिट 49.29 करोड़ था लेकिन करेन्ट फाइनेंसियल ईयर में यह सारा खर्चा लगाकर तमाम को मिलाते हुए, उसको हम अगल साल में टैक्स क्लैक इन के जरिये साढ़े 31 परसेन्ट बढ़ौतरी पर लायेंगे और इस वजह से बगैर टैक्स लगाये 37 करोड़ रूपयों का डेफीसिट इस साल के क्लोजिंग अकाउन्ट पर बनता है और अगले साल के अन्त तक यह डेफीसिट 19.31 से फालतू नहीं बढ़ने दिया जाएगा। That speaks of increase in efficiency alround. डिप्टी स्पीकर साहब, इससे आगे यहां हाउस में हमारे कुछ

साथियों ने छोटी छोटी चीजों के बारे में जिकर किया है और ऐसी बातों का यहां पर जिकर किया गया है जिसमें कोई हकीकत ही नहीं है, कोई सदाकत ही नहीं है, बस यूंही राई का पहाड़ बनाया गया है। कुछ भाईयों ने इस हाउस को इजारेदारी बना रखा है। डिप्टी स्पीकर साहब, हमने जो एक्साइज की लैबोरेटरी कायम की है, उस बारे में काफी कुछ इस हाउस में क्रिटिसिजम हुआ है और यहां तक कहा गया कि इलैक् इन नजदीक आ रहे हैं, और केवल इलैक् इन को मददेनजर रखते हुए यह लैबोरेटरी कायम की गयी है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप ही बताएं कि इस लैबोरेटरी का इलैक् इन के साथ क्या संबंध है ? यह तो इसलिए कायम की गयी है कि कोई आदमी नाजायज भाराब की क रूीदकी न कर सके ओर नाजायज भाराब बेचकर लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न कर सकें। इन बातों की रोकथाम के लिए ऐसी एक्साइज लैबोरेटरी की स्थापना की गयी है।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक और बात के बारे में, मैं यहां पर जिकर करना चाहता हूं कि इन अपोजी इन के भाइयों की तरफ से एक पोस्टर इस हाउस में लहराया गया जिसमें कुछ तस्वीरें भी थी। उन तस्वीरों को मैंने देखा है, उनमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, जिसको लेकर के इन अपोजी इन वालों ने उछाला है। इस तरह की तस्वीरें आम घरों में भाई बहनों की खिंची होती है। किसी भी घर में आप इस तरह की तस्वीरें खींच सकते है। (ओर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, कोई भी

परिवार ऐसा नहीं होगा जहां पर कि आपस में बहन भाई, मां के साथ तस्वीरें न खिंचीं हों और लोगों ने एलबम न बना रखे हों। इसलिए डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज एक इंसान की जैसी थिकिंग होती है, उसी के अनुसार ही उस आदमी का दिमाग बन जाता है और वह आदमी उसी प्रकार से अपने माइंड को ऐप्लाइ करता है और इस तरह के गलत नतीजे पर पहुंचता है। Nothing is good or bad but thinking makes it so. डिप्टी स्पीकर साहब, इन लोगों ने इस तरह की गलत बातें की हैं और उस मासूम बच्ची के ऊपर इस तरह के गलत इलजाम लगाये हैं। मासूम बच्ची की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया है। किसी की बहु बेटियों के साथ, किसी की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करने का किसी को कोई प्रिविलिज नहीं है। इस तरह से किसी को भी हाउस में ब्लैक मेल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी को यहां हाउस में इस तरह की बातें करने का कोई अधिकार नहीं है कि किसी मासूम बच्ची के ऊपर इस तरह के गलत लांछन लगाये जाएं। यह कितनी निन्दनीय बात है कि इस किस्म के हथकण्डे अपनाकर किसी के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, ऐसे लोग जो हैं, वे गलती से इस बार तो चुनकर हाउस में आ गये हैं लेकिन आगे से इन गाल्लू खुदा करे कि ऐसे लोग इस हाउस में न आने पाएं। (गोर) लोग इस बार ऐसे लोगों का खास ध्यान रखेंगे। (गोर एवं व्यवधान)

बैठक का समय बढ़ाना

आवाजें: डिप्टी स्पीकर साहब, हाउस का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: साहेबान, समय को देखते हुए, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि अगर हाउस की सैन्स हो तो हाउस का समय बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्ष: सदन का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1981-82 के सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स (दूसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी खुरीद अहमद: डिप्टी स्पीकर साहब, एक और प्वायंट यहां पर पुलिस के बारे भी हाउस में उठाया गया और पुलिस के बारे में तरह तरह की बातें की गयीं लेकिन आज यह रिकार्ड की बात है कि जहां कहीं भी डाके पड़े हैं, हमारी पुलिस ने डाकुओं को पकड़ा है, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि वे अपनी ड्यूटी में कामयाब हुए हैं चाहे डाकू कहीं के भी हों, वे पकड़े गये हैं। अम्बाला भाहर में जो डाका पड़ा उन डाकुओं को भी पकड़ा गया। डिप्टी स्पीकर साहब, यह रिकार्ड की बात है कि Haryana police is most efficient in detecting crimes and

apprehending the culprits. डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इन अलफाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा और यह निवेदन करूंगा कि यह जो अनुमान पे 1 की गयी है, इनको पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: साहेबान, अब मैं गिलोटिन ऐप्लाइ करता हूँ और डिमांडज को हाउस की वोटिंग के लिए पे 1 करता हूँ।

Mr. Speaker: Question is:-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1689100 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 1 – Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14416501 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 2 – General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 47502266 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 3 – Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 29195287 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for

the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 4 – Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4729160 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 5 – Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14889505 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 6 – Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 13990409 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 7 – Other Administrative Services.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5719000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 8 – Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 73309310 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 9 – Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 53555040 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 10 – Medical and Public Health.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is:-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 21365495 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 11 – Urban Development.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is:-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 46768844 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 13 – Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2897000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 14 – Food and Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6871045 for revenue expenditure be granted to the Governor

to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 15 – Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10956585 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 16 – Industries.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is:-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5394200 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 18 – Animal Husbandry.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is:-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4936140 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 20 – Forest.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is:-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 46184055 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 23 - Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5031960 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 24 - Tourism.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1982 in respect of Demand No. 25 - Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

डा. मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन है कि अभी अभी भाई खुरीद जी बोलते बोलते पसीनों पसीनों हो गये। उन्होंने एक बात ठीक कही है कि किसी की बहू बेटियों के ऊपर किसी प्रकार का लांछन नहीं लगाना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इनको उस बहन से दिली हमदर्दी है तो क्या यह हाउस में खड़े होकर आवासन देते हैं कि मिस दया रावत का अस्तीफा वापिस कर देंगे और मन्जूर नहीं करेंगे। (गौर एवं व्यवधान)

चौधरी खुर गद अहमद: डिप्टी स्पीकर साहब, इसकी सारी जिम्मेदारी अपोजी ढन पर आती है, उस बेचारी ने अपनी इज्जत बनाने के लिए अस्तीफा दिया है। (गोर एवं व्यवधान)

आवाजे: डिप्टी स्पीकर साहब, उसकी जगह स्वामी जी को निकालना चाहिये था। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी खुर गद अहमद: उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उस मासूम बहन को, हमारी बच्ची को इन अपोजी ढन वालों ने मजबूर किया है।

डा. मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, इस हाउस में एक अच्छी रिवायात रहेगी, अगर मुख्य मंत्री महोदय दिलेरी से खड़े होकर हाउस में यह कह दें कि मिस दया रावत का अस्तीफा पार्टी मीटिंग के बाद नहीं लिया गया था ? (गोर एवं व्यवधान)

वर्ष 1977-78 के लिए ऐक्सैस डिमांडज ओवर ग्रान्ट्स एण्ड एप्रोप्रिरे ढज पर चर्चा तथा मतदान

श्री उपाध्यक्ष: अब वर्ष 1977-78 के लिए ऐक्सैस डिमांडज ओवर ग्रान्ट्स एण्ड एप्रोप्रि ढज इकट्ठी पढ़ी तथा पे ढ की गयी समझी जाएंगी। माननीय सदस्य किसी भी डिमांड पर डिस्क ढन कर सकते हैं लेकिन बोलते समय वह डिमांड नम्बर बता दें जिसके ऊपर बोलना चाहते हैं।

That a grant of a sum not exceeding Rs. 390124 be made to regularise the charges already incurred in excess of

the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1977-78 in respect of 4 – Revenue.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2213408 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1977-78 in respect of 9 – Education.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 6255172 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1977-78 in respect of 10 – Medical & Public Health.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 20303131 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1977-78 in respect of 15 – Irrigation.

(No member rose to speak)

श्री उपाध्यक्ष: साहेबान, अब मैं वेरीअस डिमांडज को हाउस के सामने वोटिंग के लिए प्रस्तुत करूंगा।

Question is:-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 390124 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1977-78 in respect of 4 – Revenue.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is:-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2213408 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1977-78 in respect of 9 – Education.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is:-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 6255172 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1977-78 in respect of 10 – Medical & Public Health.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is:-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 20303131 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1977-78 in respect of 15 – Irrigation.

The motion was carried.

श्री उपाध्यक्ष: अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

13.30 बजे

(तत्पश्चात् हाउस कल बुधवार, दिनांक 24-3-82 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)